## CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XXVII, Eleventh Session, 2012/1934 (Saka) No. 2, Thursday, August 9, 2012/Sravana 18, 1934 (Saka)

SUBJECT	PAGES	
OBITUARY REFERENCES	2-3	
SUBMISSIONS BY MEMBERS		
(i) Re: Need to enact a Legislation to Safeguard the Constitutional Provision of reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the country	4-10	
(ii) Re: Recent killing of Sikhs in the USA	613-626	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
*Starred Question Nos. 21 to 23	11-43	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	44-602	
Starred Question Nos. 24 to 40	44-127	
Unstarred Question Nos 231-460	128-602	

 $<sup>^*</sup>$  The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

International Indigenous People's Day	603
PAPERS LAID ON THE TABLE	604
ASSENT TO BILLS	605
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED	
CASTES AND SCHEDULED TRIBES 21 <sup>st</sup> Report	606
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 37 <sup>th</sup> Report	606
STANDING COMMITTEE ON LABOUR 31 <sup>st</sup> Report	606
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND AND NATURAL GAS	
13 <sup>th</sup> Report	606
COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (LOK SABHA) 9 <sup>th</sup> Report	607
STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 102 <sup>nd</sup> Report	607
BUSINESS OF THE HOUSE	608-612
NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010	299-329
Motion to Consider	627-636
Shri Kapil Sibal	627-636
Shri Anant Kumar Hegde	637-648
Dr. K. S. Rao	649-656

PRI	VATE MEMBER'S BILLS- INTRODUCED	657
(i)	Constitution (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new Chapter VIA, etc.) By Shri L. Rajagopal	657
(ii)	Land Acquisition (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new section 44C) By Shri L. Rajagopal	657
(iii)	National Assets (Protection) Bill, 2011 By Shri A.T. Nana Patil	658
(iv)	Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of section 20A, etc.). By Shri A.T. Nana Patil	658
(v)	Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Bill, 2012 (Amendment of section 2, etc.). By Shri Baijayant Panda	659
(vi)	Tourism Promotion Corporation of India Bill, 2012 By Shri Nishikant Dubey	659
(vii)	National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2011 By Shri Nishikant Dubey	660
(viii)	Constitution (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of the Eighth Schedule) By Shri Ajay Kumar	660
(ix)	Health Insurance (For Persons Living Below Poverty Line) Bill, 2011 By Shri Ajay Kumar	661
(x)	Environment Protection (Amendment) Bill, 2011 (Insertion of new Chapter IIIA) By Shri A.T. Nana Patil	661

(xi)	Consumer Protection (Amendment) Bill,2012	
	(Amendment of section 16)	661
	By Shri L. Rajgopal	
(xii)	Constitution (Amendment) Bill, 2012	
	(Amendment of articles 85 and 100)	662
	By Dr. Rajan Sushant	
(xiii)	Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2012	
	(Insertion of new sections 59A and 59B)	662
	By Shri Mahendrasinh P. Chauhan	
(xiv)	Rural Labour Welfare Fund Bill, 2012	663
	By Shri Mahendrasinh P. Chauhan	
(xv)	Constitution (Scheduled Castes) Order	
	(Amendment) Bill, 2012	
	(Amendment of the Schedule)	663
	By Shri Ajay Kumar	
(xvi)	National Highways (Amendment) Bill, 2012	
	(Substitution of new section for section 5)	664
	By Shri Mahendrasinh P. Chauhan	
(xvii)	Glorification of Alcoholic Beverages in	
	Motion Pictures (Prohibition) Bill, 2012	664
	By Shri Mahendrasinh P. Chauhan	
(xviii)	Petrol Pump Workers (Welfare) Bill, 2012	665
	By Shri Adhir Chowdhury	
(xix)	Central Universities (Amendment) Bill, 2012	
	(Amendment of section 3)	665
	By Prof. Rajan Prasad Yadav	
(xx)	Lakshadweep Fishermen (Welfare) Bill, 2012	666
	By Shri Hamdullah Sayeed	

(xxi)	Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2012	
	(Amendment of the Schedule) By Shri A.T. Nana Patil	666
(xxii)	HIV/AIDS Bill, 2012	675
()	By Dr. Kirit Premjibhai Solanki	
(xxiii	Prohibition of Human Trafficking of Indian Citizen and Welfare of Overseas Indian Bill, 2012 By Shrimati Jayshreeben Patil	689
(xxiv	Government of Union Territory of Andaman And Nicobar Islands Bill, 2012 By Shri Bishnu Pada Ray	705
BAN ON	N WITCHCRAFT BILL, 2010	
M	lotion to Consider	667-670
Sl	nri Om Prakash Yadav	667-670
Sl	nri Satpal Maharaj	671-674
Sl	nri Arjun Ram Meghwal	676-680
Sl	nri Shailendra Kumar	681-684
Sl	nri Vijay Bahadur Singh	685-688
Sl	nri Jagdambika Pal	690-692
Sl	nri Tathagata Satpathy	693-697
SI	nri S. Semmalai	698-699
SI	nri Hukmadeo Narayan Yadav	700-704
Sl	nri Adhir Chaudhary	706-709
Sl	nri Mahendrasinh P. Chauhan	710-711
Sl	nri Gorakh Nath Pandey	712-713
SI	nri Virendra Kumar	714-715
D	r. Kirit Premjibhai Solanki	717

ANN	EX	URE	- I

Ministry-wise Index to Unstarred Question

<del></del>	
Member-wise Index to Starred Questions	729
Member-wise Index to Unstarred Questions	730-734
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	735

736

## **OFFICERS OF LOK SABHA**

#### THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

#### THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

#### PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Dr. Girija Vyas
Shri Satpal Maharaj

#### SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

T	OK	SA	RHA	DEB	<b>A</b> <sup>-</sup>	$\Gamma F S$
L	UN.	$\mathcal{D}A$	DHA	UED	$\boldsymbol{A}$	

## **LOK SABHA**

-----

Tuursday, August 09, 2012/Sravana 18, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

#### **OBITUARY REFERENCES**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House about the sad demise of our former colleague Shri Bibudhendra Misra.

Shri Bibudhendra Misra was a member of the Third Lok Sabha from 1962 to 1967 representing Puri Parliamentary Constituency of Odisha.

Shri Misra was also a member of Rajya Sabha during 1958 to 1962.

An advocate by profession, Shri Bibudhendra Misra took active part in politics from his student days and underwent imprisonment during the Quit India Movement in 1942.

An able parliamentarian, Shri Misra served as Deputy Minister in the Ministry of Law during 1962 to 1964.

Shri Bibudhendra Misra passed away on 15 February, 2012 at the age of 91 in Cuttack, Odisha.

We deeply mourn the loss of our friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

Hon. Members, you may be aware that more than six persons are reported to have been killed and several others missing in flash floods and landslides in Kerala due to heavy rain on 7 August, 2012.

The House expresses its profound sorrow on this natural calamity which have brought pain and suffering to the families of the missing, injured and deceased.

Hon. Members, it was seventy years ago on this day, that is the 9th of August, 1942 that Mahatma Gandhi launched the 'Quit India' movement to liberate our country from the shackles of foreign rule.

The 'Quit India' movement galvanized the entire nation to unitedly raise its

voice for freedom and liberation.

On this occasion, we pay our respectful homage to the Father of the Nation

and to all the martyrs who laid down their lives in the freedom struggle and

rededicate ourselves to the high ideals for which they stood.

Hon. Members, may also recall that sixty-seven years ago, atom bombs

were dropped on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on the 6th and 9th

of August, 1945 respectively, causing unthinkable human suffering and misery.

Thousands of innocent people lost their precious lives and millions were

crippled in this catastrophe.

On this occasion, let us reiterate our commitment towards the total

elimination of nuclear weapons. This House extends its wholehearted support to

all endeavors which seek to ensure global peace.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect

to the memory of the departed, martyrs of our freedom movement, and victims of

the atomic holocaust in Japan

**11.03 hrs** 

The Members then stood in silence for a short while.

\_\_\_\_

... (Interruptions)

#### 11.04 hrs

#### **SUBMISSION BY MEMBERS**

(i) ReL Need to enact a legislation to safeguard the constitutional provision of reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the country

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, पूरे देश में एससी, एसटी के प्रमोशन के आरक्षण को ले कर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।...(व्यवधान) सरकार ने एक बार भी इसका संज्ञान नहीं लिया है।...(व्यवधान)

श्री शेलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: इसके लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की जरूरत है।...(<u>व्यवधान</u>) केवल यू पी में ही नहीं, पूरे देश में एससीएसटी के प्रमोशन के आरक्षण को लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।...(<u>व्यवधान</u>) यह बहुत गंभीर मामला है।...(<u>व</u>्यवधान)

#### 11.05 hrs

At this stage Shri Shailendra Kumar, Dr. Rattan Singh Ajnala and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : अभी सभी वापस जाइए। आप सब अपने अपने स्थानों पर वापस जारू

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

## 11.06 hrs

At this stage Shri Shailendra Kumar, Dr. Rattan Singh Ajnala and some other hon. Members went back to their seats.

अध्यक्ष महोदया : हरसिमरत जी, आपका नोटिस मिला है। यह गंभीर विषय है। आप अगर इसे शून्य प्रहर में उठा लेंगी तो हम इस पर आपको बोलने का अवसर देंगे। आप इस मामले को शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Wakchaure, please keep it down.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। बोलने दीजिए। आपने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। हम एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि कल ही एडजर्नमेंट मोशन हो चुका है और चूंकि यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए अगर आप मुझे नियम 193 के अधीन नोटिस देंगे तो हम इस पर चर्चा करवा देंगे। अब प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, कृपया हमारी बात सुन ली जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जब चर्चा होगी तब आप बोल लीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चोहान: अध्यक्ष महोदया, हमने भी नोटिस दिया है।...(<u>व्यवधान</u>) हमारी दो मिनट बात सुन ली जाए। हमने नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मुझे मालूम है कि आपने नोटिस दिया है। नोटिस तो आपने दिया है लेकिन हमने कहा है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, हमारे जो संविधान के निर्माता थे जिन्होंने संविधान की रचना की, उसमें संवैधानिक रूप से हमारे अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जनजाति के लोग जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक तौर से कमजोर थे, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया।...(व्यवधान) इसमें आपसे यह भी मांग करेंगे कि समय समय पर कोर्ट से लेकर सरकारी महकमे में अधिकारियों का हमेशा तुषाराघात हुआ है। प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म किया गया है। ...(व्यवधान) आज यह साजिश हो रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। चूंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि इसको सरकार संज्ञान में ले और इस पर चर्चा हो तथा इस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए।...(व्यवधान) यह हम आपसे मांग करना चाहेंगे। यह बड़ा गंभीर मामला है। यह पूरी साजिश है। ...(व्यवधान) इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। इसमें हम लोगों ने सरकार से माननीय प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन किया था। हम लोग उनसे मिले थे लेकिन आज तक कोई ठोस परिणाम, कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला।...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से

इस पर जवाब आए और किसी प्रकार से जो प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया गया है, वह न हो। लोगों को रिवर्ट किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के अंदर आतंक का वातावरण है। चूंकि यह मामला बड़ा गंभीर है। ...(<u>व्यवधान</u>) इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसे गंभीरता से ले। आज हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा कराई जाए। अगर असम में हिंसा हुई है तो यह पूरे देश की समस्या है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Wakchaure, please keep it down.

... (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, यह केवल एक प्रांत की समस्या नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है। हम चाहेंगे कि इस पर आज ही चर्चा कराई जाए।...(व्यवधान) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का रिजर्वेशन समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हम आपसे चाहते हैं कि आज ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह केवल एक राज्य का मामला नहीं है, यह पूरे देश का मामला है। हम चाहते हैं कि इस पर आज ही चर्चा कराई जाए। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों ने इसका विरोध किया है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आप इस पर आज ही चर्चा करायें और इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब

अध्यक्ष महोदया : पुनिया जी, आप बोलिये, लेकिन एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइये और माननीय सदस्यों को भी सुन लीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर मामले पर बोलने का मौका दिया। यह सही बात है कि पूरा समाज, पूरा देश...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, अभी आप बैठ जाइये। ऐसे अनुशासन में रहकर सब लोग बात कर लेंगे। आप बैठ जाइये, अभी वह बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Punia is saying (*Interruptions*)\* ...

MADAM SPEAKER: Dara Singhji, please sit down.

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

#### ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only what Shri Punia is saying will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions)\*

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Punia is saying.

(Interruptions)\*

MADAM SPEAKER: Dara Singhji, please sit down.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Only what Shri Punia is saying will go on record. Nothing else will go on record.

## (Interruptions) \*

श्री पन्ना लाल पुनिया: महोदया, पदोन्नित में आरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूरा समाज, पूरा देश इससे प्रभावित है और मैं आपको यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दल, उनके सारे सांसद चाहे राज्य सभा के हों, चाहे लोक सभा के हों, सारे इस बात से सहमत हैं, सभी राजनीतिक दल इससे सहमत हैं कि यह संविधान संशोधन होना चाहिए। संविधान ने इसी पार्लियामैन्ट में संविधान में संशोधन द्वारा हमें अधिकार दिये हैं। उन अधिकारों का हनन अगर पांच आदमी वहां बैठकर करने लगें तो उसका इलाज अगर हो सकता है तो वह लोक सभा के माध्यम से हो सकता है। पहले भी जब-जब हमारे अधिकारों पर हमला हुआ, इस सदन के माध्यम से हमें न्याय मिला। इसलिए आज हम रिक्वैस्ट करना चाहते हैं कि संविधान संशोधन हो और पदोन्नित में आरक्षण हमें उपलब्ध हो। आज आरक्षण का कानून नहीं है, कानून के लिए 2004 से मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि अब आ रहा है, अब आ रहा है और आठ साल निकल चुके हैं। इसलिए संविधान संशोधन हो, पदोन्नित में आरक्षण हो और रिजर्वेशन एक्ट बनाया जाए। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग हुई थी। सरकार ने भी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जायेगी। लेकिन उसकी तिथि निर्धारित नहीं हो रही है। कम से कम तिथि निर्धारित करके सरकार घोषणा करे कि इसी सत्र में संविधान संशोधन पास कराया जायेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बोलिये।

श्री दारा सिंह चौहान: सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिलना चाहिए कि सरकार इस पर क्या करने जा रही है, सरकार संविधान संशोधन के लिए क्या करने जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है,

\_

<sup>\*</sup> Not recorded.

इसलिए सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये। बंसल जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा.डोम, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Dr. Dome, please take your seat.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) \*

MADAM SPEAKER: Yes, now, Mr. Minister.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, some of the hon. Members have raised the point... (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): The Government should come out with the amendment.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKEAR: Hon. Member, please sit down. Let the hon. Minister respond.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, this matter is important and from time to time, as everybody knows, the Government has been proactive in assuring and ensuring the rightful place of the *dalits* in the country. There is no dispute about it.

The point has arisen because of the judgment of the Supreme Court; and, therefore, the matter has to be processed and proceeded with that way. There was a talk of calling an all Party meeting. From the Government I can again say that I would bring this matter to the notice of the concerned Minister also.

Madam, the meeting could not be held because of the events in the last month and a half. There were other things, which engaged the attention of the

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

hon. Members; and perhaps many could not have been present here also. But I only would like to stand up again and say that the Government attaches utmost importance to this matter.

You yourself have said that you are prepared for a discussion under Rule 193; and we are okay with that... (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखा है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं। यहां नियम 193 के तहत डिस्कशन करके इस मामले को लटकाना चाहते हैं।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It is not a matter that you go to the Supreme Court again about. मैडम, यह कहना वाजिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते। कोर्ट में जो फैसला हो जाता है उस पर एकदम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाता, उसके लिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। There, I do not differ with what the hon. Members are saying. I do not differ with what they are saying but then the response has to be worked out. The response has to be one which is a solid one and is not challenged later. The response has to be one which stands the test of time. ... (Interruptions) श्री दारा सिंह चौहान: संविधान में संशोधन किया जाए। ... (व्यवधान) अगर संविधान में संशोधन नहीं होगा तो हम बार-बार इसी तरीके से विधान करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यही कह रहा हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैडम, यह एकदम जल्दबाज़ी में नहीं किया जा सकता है। ...(व्यवधान) जल्दबाज़ी में नहीं होता है। ...(व्यवधान) जो रिस्पांस होगा ...(व्यवधान) वह कंसिडर्ड रिस्पांस होना बनता है। ...(व्यवधान) और रिस्पांस वह है जो समय का टेस्ट पूरा कर सके। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। सिर्फ एकदम जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं लिया जाता है। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: जल्दबाज़ी नहीं है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record. Nothing else will go on the record.

# (Interruptions) \*

श्री पवन कुमार बंसल: यह एक लॉन्गलास्टिंग फ़ैसले के लिए होना है। ...(<u>व्यवधान</u>) मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में गंभीर है। ...(<u>व्यवधान</u>) सरकार इस इश्यू को संजीदगी के साथ लेगी। ...(व्यवधान)

<sup>\*</sup> Not recorded

### 11.16 hrs

MADAM SPEAKER: Now the Question Hour.

Q.No 21-Dr Ranjan Prasad Yadav

(Q.21)

अध्यक्ष महोदया: प्रो. रंजन प्रसाद यादव, अपना पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव: मैडम स्पीकर, मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिए गए हमारे प्रश्नों के उत्तर ए, बी, सी, डी, ई को पूर्ण रूप से पढ़ा है। हमारे प्रश्न ए, बी, सी के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने माना है कि रेलवे आरक्षण कार्यालय में दलालों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस तरह के मामले सामने आए हैं। हमारा मानना है कि जो उचित दण्ड मिलना चाहिए, उसके विव भी आपके उत्तर में न के बराबर दिए गए हैं। जो सुझाव दिए गए हैं, वे भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाते हैं। वे केवल कागज़ों में ही रह जाते हैं। क्योंकि ये दलाल कानूनों की किमयों का फ़ायदा उठाने में अति माहिर हैं। इसलिए कानूनों को और भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इंटरनेट से तत्काल आरक्षण करते समय आईआरसीटीसी की पूरी वेबसाइट ही दलालों द्वारा हैक कर ली जाती है। आम जनता, विज्ञान के इस युग में भी इंटरनेट से टिकट का आरक्षण नहीं करा पाती है। वहीं दूसरी ओर दलाल आसानी से टिकट आरक्षित करवा लेते हैं। यदि यह जानकारी आपको है तो आपने अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की है? यदि यह जानकारी आपको नहीं है तो अभी जो जानकारी मैंने दी है, उस पर आप अविलंब कार्रवाई करें और कार्रवाई करना चाहते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? हम यह जानना चाहते हैं।

SHRI MUKUL ROY: Madam, with effect from 15<sup>th</sup> February, 2012, any one of the passengers booked in AC-3 tier, AC Chair Car, second AC, first AC and Executive Classes on a ticket issued through Computerised Passenger Reservation system will have to produce anyone of the nine prescribed proofs of identity during the journey, failing which all the passengers will be treated as travelling without ticket.

Secondly, the passengers travelling on e-ticket and Tatkal tickets are already required to carry proof of identity during journey. With these, the chances of travelling on transferred tickets have drastically reduced. The time of opening of the reservation under general reservation and Tatkal scheme staggered on opening day and fixed as eight hours and 10 hours to curb chances of misuse and to balance load on passenger reservation system as well as Internet. Tatkal ticket opening time has been shifted to 10 hours from July 2012. Advance reservation period of Tatkal scheme reduced from two days, excluding the date of journey, to one day, excluding the day of journey. Madam, refunds are not granted on cancellation of confirmed Tatkal tickets, except in case of special circumstances like late running of trains by more than three hours, cancellation of trains etc. Duplicate Tatkal tickets are not issued under normal circumstances. In exceptional cases, duplicate Tatkal tickets are issued on payment of full fare, including tatkal charge.

Tatkal tickets are issued only on production of a self-attested photocopy of one of the nine prescribed proofs of identity at the computerised passenger reservation system counter. While booking e-tickets, the passenger has to indicate the number of identity card in the system. The passenger is required to carry the

same proof of identity during the journey. ... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप बैठिये।

...(व्यवधान)

SHRI MUKUL ROY: Authorised agents are not entitled to purchase the Tatkal tickets. It has been introduced from July 2012. As one software has been hacked by some people, a new software 'CAPTCHA' has been introduced in the software

system so that nobody can use the software for purchasing the tickets. So many things have already been introduced for the exclusion of touts from the Tatkal tickets.

Railways have always made a preventive check; Railways have always gone for the preventive checks; we have done preventive checks throughout the year. Only in these four months, 77,000 preventive checks have been made. So, I can assure, Madam, that the Railways will take all out steps to curb the touts in the Railways.

प्रो. रंजन प्रसाद यादव: महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि आज भारत में प्रतिदिन लगभग बीस करोड़ लोग रेल द्वारा यात्रा करते हैं। ... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: दो करोड़। ...(व्यवधान)

प्रो. रंजन प्रसाद यादव: अच्छा ठीक है, लगभग दो करोड़ लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। ...(<u>व्यवधान</u>) अध्यक्ष महोदया: ठीक है, उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

प्रो. रंजन प्रसाद यादव: महोदया, हवाई किराये में बढ़ोत्तरी से यात्रियों का रेल सफर की ओर अधिक झुकाव हो रहा है, लेकिन यात्रियों को रेल टिकट आसानी से नहीं मिल पा रही है। चार महीने पहले विंडो बुकिंग का प्रावधान होने पर भी सिर्फ दस दिनों के बाद ही यात्रियों को वेटिंग लिस्ट मिलने लगती है, लेकिन दलाल व एजेंट यात्रा के कुछ घंटे पहले भी यात्री को कन्फर्म टिकट दिला देते हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में टेलीफोन ऑन डिमांड मिल रहा है, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कब से देश की जनता को ऑन डिमांड रेल टिकट का आरक्षण मिलने लगेगा? क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे?

SHRI MUKUL ROY: Madam, this is true. It is a huge gap between the demands of tickets and the sources. There is no doubt about it. To meet the demands we have introduced 78 new trains from 2009 and a number of special trains has been increased.... (*Interruptions*)

Please allow me to answer. You have asked me as to from which date one would get a railway ticket on a telephonic call. This possibility is being explored in the Railway Board. We have taken many steps within a short period.... (*Interruptions*)

Let me give the answer. ITEs, TTEs have already been introduced. I can assure that within three months this request will be considered by the Railway administration.

श्री संजय धोत्रे: स्पीकर मैडम, रेलवे अधिकारियों के टिकटों की कालाबाज़ारी में लिप्त होने के मामले में माननीय मंत्री महोदय ने जो ऑकड़े बताए हैं, 2010-11 में कुल 53 अधिकारी लिप्त पाए गए और अब तक केवल 28 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्ष 2011-12 में 81 अधिकारी लिप्त पाए गए और अब तक केवल 39 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्ष 2012-13 में जो ऑकड़े दिये गये हैं, उसमें कहा गया है कि 48 अधिकारी लिप्त पाए गए लेकिन अखबार 'हिन्दुस्तान' की 29 जून की खबर में बताया गया है कि 1200 दलालों और 400 रेलवे कर्मचारियों को टिकट की कालाबाज़ारी में पकड़ा गया है। इसमें मंत्री महोदय ने कहा कि जून तक 48 अधिकारी पाए गए हैं और अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि 400 अधिकारी हैं। यह जानकारी भी गलत दी गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि रेलवे अधिकारियों या दलालों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, उनको जो फाइन किया गया है, उसके भी ऑकड़े मेरे पास हैं। एक साल में 15 लाख, दूसरे साल में 26 लाख, और मुझे ऐसा लगता है कि अकेले दिल्ली में रोज़ इसमें जो कालाबाज़ारी होती है, वह करोड़ों रुपये की होती है। सारे हिन्दुस्तान में कितना होता होगा, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। इसमें इनको जो फाइन भी किया जाता है, वह 1000 रुपये या 2000 रुपये किया जाता है। इनकी रोज़ की कमाई लाखों रुपये में रहती है और 1000 रुपये या 2000 रुपये इनको फाइन किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि यह इनको प्रोत्साहित करने के लिए है। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I would like to inform the hon. Member and the august House that from 2009 till date the total number of touts who have been charge-sheeted is 5125, out of which 2370 people have been convicted. 218 officers have been caught and 136 have been suspended and convicted as well. This is one of the

important areas where IRCTC and some other organisations which are a part of the Railways have also charge-sheeted 314 people.

I would like to make an appeal to the hon. Members in this House. Today science and technology has reached us. Every person should register his PNR number through SMS from his telephone. You do not have to go to the touts. Who are going to touts? We, the people, are going to touts. If we stop such people, there is no question of touts coming our way.... (*Interruptions*)

I will further inform the august House to please understand that 2.25 crore people are travelling in the Railways everyday. Out of them, only 60 per cent of the passengers have reservation, and only 15 per cent of tatkal reservation is there. Further, while travelling, more than 20 per cent of the people in this country already have mobile phones with them. It is because of Shri Rajiv Gandhi that everybody has got telephones today. You please understand this. ... (*Interruptions*) We people should not go to the touts. You can reserve your train tickets to wherever you have to go through telephone, and we will give the reservation. Further, with regard to i-tickets, we will send the reserved ticket through courier to your house. So, you please understand that this is the facility that we are giving. ... (*Interruptions*)

Touts are encouraged by the people / passengers and not by the Railway Department. Please understand this. ... (*Interruptions*) I think that my hon. Minister has said that we will take further steps to see that some mechanism is found to avoid the touts. We will see that we find out a solution to stop the problem of touts as early as possible.

श्री संजय निरुपम: मैडम, शुक्रिया आपने मुझे सप्लीमेंटरी पूछने के लिए अनुमित दी। रेलवे टिकटों की जो कालाबाज़ारी होती है, वह आज की बात नहीं है। इसे रोकने की दिशा में लगातार प्रयास भी हुए हैं, तरह-तरह के मैकेनिज्म बनाए गए, बावजूद इसके सच यह है कि अभी तक रेलवे टिकट की कालाबाज़ारी रुकी नहीं है। मुम्बई के एक विशेष स्टेशन मुम्बई वीटी छत्रपित शिवाजी टर्मिनस से हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों के लिए ट्रेनें जाती हैं। अक्सर हर हफ्ते रेड भी पड़ती है, दलाल भी पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके टिकटों की

कालाबाज़ारी का काम जारी है। आपने रेल कर्मचारियों की लिस्ट दी है कि कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमारी जानकारी यह है कि इस पूरी कालाबाजारी में या दलालों को संरक्षण देने में बड़ी भूमिका आरपीएफ और जीआरपीएफ की होती है। क्या आप बता सकते हैं कि पूरे रेलवे टिकटों की कालाबाजारी में कितने पुलिस वालों, कितने आरपीएफ के जवानों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है? क्योंकि पिछले दिनों कुर्ला स्टेशन पर तैनात एक आरपीएफ वाला पकड़ा गया था। उसके घर तीन करोड़ रुपये कैश मिला था। सीबीआई की इनक्वायरी हुई। छोटा सा कांस्टेबल जैसा था। बड़ी भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट की है तो क्या सरकार और रेल मंत्रालय पूरी पुलिस व्यवस्था में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में सोच रही है? क्योंकि आरपीएफ और जीआरपीएफ का काम पूरी तरह से फेल हो चुका है। कहीं न कहीं दलालों को संरक्षण देने में उनकी भूमिका स्पष्ट पायी जा रही है। मंत्री जी इस बारे में कोई जानकारी दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

SHRI MUKUL ROY: Madam, regarding touts and officers, all of them who have been caught by the RPF or by Vigilance / Commercial Department, ... (*Interruptions*) They have asked the question ... (*Interruptions*)

**डॉ. संजय जायसवाल:** पहले क्वैश्चेयन समझ लीजिए। वहां आरपीएफ के लोग ही टाउट हैं।...(<u>व्यवधान</u>) अध्यक्ष महोदया: उन्हें उत्तर पूरा कर लेने दीजिए। कृपया करके बैठ जाइए।

SHRI MUKUL ROY: Hon. Member has asked as to how many RPF personnel have been punished due to wrong action taken or inadequate action taken. I have not got the segregate figures of the RPF personnel. I will collect the same and give it to the hon. Member. It is because in this paper all of them are shown together as Railway officials. I have given the comprehensive statement in the House, which you have got for the Railway officials. As regards who all are RPF personnel; who all are commercial officials; and who all are vigilance men in it, this information I will collect and I will give the reply in writing to the hon. Member.

SK. SAIDUL HAQUE: Thank you, hon. Speaker. Now, another kind of black marketing is taking place. I do not know whether it is in the knowledge of the hon. Minister that recently, it has come in the newspapers that the total coach has been booked by the tout travellers. Particularly, from Howrah to Delhi in Poorva Rajdhani and later on, they sold those tickets to the passengers at an exorbitant



price. I want to know whether it has been in the knowledge of the hon. Minister and Ministry. What action has been taken by the Railway Ministry on this? They are totally doing this kind of black-marketing and I would like to know from the hon. Railway Minister about this thing.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam Speaker, I think the hon. Member has said that the total train has been booked by one or two person. It is not possible. I would assure the august House that it is impossible. I do not know on what context the hon. Member has said this. But still when he has mentioned this, it is my duty to inform the hon. Member that immediately, I will make an inquiry on the particular train and will inform the Member within fifteen days as to what has happened. If it is failure on the side of the Officers, we will take stringent action against the Officers.

SHRI O.S. MANIAN: In Tamil Nadu, all express trains from down south to Chennai Egmore pass through Tirusulam Railway Station which is near to Chennai domestic and international airport. I had given a request for a stoppage opposite to the Chennai domestic and international airport. I had given a request in this august House orally and also in written seeking a stoppage at the station. I was assured that the same would be considered. But this has not been implemented. I would like to know from the Railway Minister why the stoppage has not been given and what is the difficulty in doing so.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: I think all the hon. Members of Tamil Nadu have requested about the same thing. The Tirusulam Railway station is opposite to the Airport. Not only the Members of Parliament but also the people who are traveling from South to North up to Chennai, they want the stoppage at Tirusulam. We will discuss with the Member(Traffic) and the Board and I will find a way out. But I cannot assure that all trains would stop. But we will try to stop some trains for the convenience of the Members of the Parliament and the public to get into the Airport which is opposite to the Tirusulam Railway station. We will try to do something in this issue.... (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: महोदया, माननीय रेल मंत्री जी रेल मंत्रालय में कब से बैठेंगे क्योंकि इनका ऑफिस तो कोलकाता में है?

(Q. 22)

SHRI SHIVARAMA GOUDA: Madam Speaker, taking the advantages of the flaws in the present land record system, the mischievous elements of the society have been deceiving the genuine buyers of the land. Most of the time, it becomes very difficult for buyers to verify the authenticity of the title owner of the land. There are instances of the same plot of land being sold a number of times to the different buyers by forging documents. Madam, I would like to know from the hon. Minister that in order to ensure the transparency whether the Government proposes to provide composite extracts of the land records along with the photos and identity of the property owner with the structural and graphical details of the land owner.

SHRI JAIRAM RAMESH: It is true that the state of land records in our country is very poor and one of the reasons for this is that for decades, the survey has not been done. For example, in Bihar, last time the survey was done in 1907; in Andhra Pradesh, last time the survey was done in 1931; in Uttar Pradesh, last time the survey was done in 1957. So, the state of land records is very poor. That is why, for the last twenty years, the Central Government has been planning various schemes for modernization of land records. Three years ago, the Government launched a comprehensive programme for the National Land Records Modernization Programme. Through this, the Central Government provides financial assistance to States for various activities to update the land records. computerising land records, for digitising land records, giving maps to land owners with the boundaries, -- as the hon. Member has asked -- for making online mutations on the land records, for computerising the Registration Offices and linking the Registration Offices and the Land Record Offices. So, we have launched an ambitious programme in 267 districts of the country and by 2017, we will cover all 620 districts of the country. I want to make one very important point regarding land records in our country. India is one of the few countries in the world where the record of rights on land is presumptive; it is not conclusive unlike

many other countries. We are presumed to be owners of the land unless proved otherwise. That is why, we have lots of land disputes and lot of problems in land acquisition in our country. We will progressively move towards conclusive titles. But, before we do that, we need to update our land records. We need to make them online and we must ensure that the survey of the land records is up-to-date. I am very happy that in States like Karnataka, Gujarat, Haryana and many States the process of surveying and re-surveying land records has been taken up.

SHRI SHIVARAMA GOUDA: He has not answered about photo identification.

SHRI JAIRAM RAMESH: Some States like, for example, Karnataka was one of the first States to launch this programme called 'Bhoomi'. Gujarat has got a programme called 'Dhara'. Various State Governments have different approaches. They have the photograph of the land owner; they have the record of rights; and they also have the boundary of the map that is given to the land owner. So, in States this computerization has taken place. But computerization can also be like 'garbage-in garbage-out'. If you are not computerizing the right ownership, you are not going to get the right record. That is why, we have been telling the State Governments that they must re-survey the land under any circumstances. We have provided the money. The State Governments are having practical problems in starting the re-survey. But I am hopeful about it. As I have mentioned, in a couple of States it has already started. Andhra Pradesh has started; Gujarat has started; Haryana has started; Maharashtra has started; and Madhya Pradesh has started. In many States, the programme of survey has started. I am hopeful that by the end of 12<sup>th</sup> Five Year Plan, our state of land records would be completely up-to-date.

श्री जगदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदया, जमीन का विषय देश के लिए आदिकाल से विवाद का विषय रहा है। मैं इतिहास में न जा करके यह बताना चाहता हूं कि जमीन का स्वामित्व भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा जन्म देता है। उत्तराधिकार में जो जमीन पाते हैं या जमीन एवं भू-सम्पदा को अर्जित करते हैं, दोनों तरह की अर्जित या उत्तराधिकार में पाई हुई सम्पदा का जब उत्तराधिकारी या अर्जित करने वाला व्यक्ति अपनी जमीन का उपयोग करना चाहता है, चाहे वह बिक्री के रूप में या कहीं पर मॉर्टगेज करने के रूप में हो, उसे अनेकों

दफ्तरों में दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है कि उसके पास ऐसी जमीन है, जिसका वह कहीं से सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। हमारा कृषि प्रधान देश है। गरीबों से जुड़ा हुआ यह विषय आज सदन में आया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 2008-09 में भले ही दो योजनाओं को आपने समेकित कर दिया, लेकिन ये योजनाएं सन् 1988 से चल रही हैं, 20 साल से अधिक हो गए हैं। अंग्रेजों ने कुछ वर्षों में जमीन का सर्वे करा डाला था। आजाद भारत में किसानों के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र आज भी प्रीज़म्प्टिव है, कंक्लुसिव टाइटल नहीं है। आपने जिसके लिए योजना बनाई है, बड़ी रकम खर्च की है। 35 राज्यों में, बड़े राज्यों में एक बिहार ऐसा है, जहां न तो रिकार्ड का कम्प्यूटराइजेशन हुआ है और न ही वहां का नक्शा एवं मेप इत्यादि डिजिटाइज्ड हुआ है। हमने देखा, आपने जो उत्तर दिया है कि सुशासन वाले प्रदेश में 45 करोड़ में मात्र 14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप 12वीं योजना तक सदन को आश्वस्त कर रहे हैं कि यह सारा कार्य आप कर डालेंगे, जिसके लिए आपने इस निधि को निर्धारित किया है और पूरे देश के पैमाने पर आप एक भारी रकम खर्च कर रहे हैं।

सबसे बड़ी चीज़ है कि यह राजस्व प्रशासन नॉन प्लान का हिस्सा रहा है। पहली बार आपने योजना से कुछ पैसा देना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह कन्क्लूसिव टाइटिल, जिसके आधार पर किसान कहीं पर जा सके, क्यों रूका पड़ा है। आज बैंक में जिसके थोड़े से पैसे हैं, राष्ट्र उसको गारण्टी देता है कि आप बड़े आराम से सब काम कर लेंगे, लेकिन किसान के पास चाहे जितनी भी भू-सम्पदा हो, उसका वह उपयोग नहीं कर पाता है। वह अनेक दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। आप 12वीं योजना तक कहते हैं कि हम इस सारे कार्य को कर लेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये।

श्री जगदानंद सिंह: हां, महोदया, मैं यही कह रहा हूं, जहां आपने राजस्व रिकार्ड का कम्प्यूटराइजेशन कर लिया है और जहां नक्शों को तैयार कर लेंगे, इस आधार पर हम सब लोगों को प्रसन्नता है, लेकिन क्या वे राज्य, जो इन कामों में पीछे जा रहे हैं और जिससे भ्रष्टाचार का जन्म हो रहा है और जिससे भू-सम्पदा रखने वाले छोटे-छोटे किसान परेशान हो रहे हैं, आपकी कोई विशेष योजना है कि ऐसे राज्यों में कैसे आप तेजी लाने का प्रयास करा सकते हैं, क्योंकि, साधन आपने दिया है, लेकिन उन साधनों का उपयोग नहीं करने के बाद और इस कार्यक्रम को नहीं चलाने के बाद भी ऐसे राज्यों के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या करना चाहते हैं?

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का काम कई सालों से चल रहा है और इसका पहला चरण लैंड रिकार्ड के कम्प्यूटराइजेशन का रहा है। दूसरे चरण में हम जो भू-स्वामी हैं, उनको उनकी भूमि के बारे में नक्शा देंगे। कई राज्यों में कम्प्यूटराइजेशन का काम खत्म हो चुका है, परन्तु अफसोस की बात है कि कुछ 3-4 ऐसे राज्य बाकी हैं, जहां यह आधुनिकीकरण का काम बहुत धीमी गित से चल रहा है। उसमें बिहार शामिल है, झारखण्ड है, जम्मू और कश्मीर है और केरल है। अधिकांश राज्यों में पहले चरण का कम्प्यूटराइजेशन का काम खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में जो नक्शा बनाने का काम है और भू-स्वामियों को वह नक्शा सौंपने का काम है, वह भी लिया गया है। यह बात सही है कि राजस्व प्रशासन नजरअंदाज़ हुआ है, क्योंकि, वह नॉन प्लान कैटेगरी में आता है, वह प्लान कैटेगरी में नहीं आता है।

मैंने अगले महीने सभी राजस्व मंत्रियों की भी एक बैठक बुलाई है, उसमें जरूर हम इस पर बातचीत करेंगे कि जो राज्यों में काम धीमी गति से चल रहा है, जिसमें बिहार और झारखण्ड मुख्य दो राज्य हैं, वहां इसका मजबूती और तेजी से काम आगे बढ़ाया जाये, उस पर हम जरूर बात करेंगे।

मैं सम्माननीय सदस्य को आश्वास्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण और भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम कन्क्लूसिव टाइटिल की ओर बढ़ें। यह कन्क्लूसिव टाइटिल मामला बहुत विवादपरक मामला है। इसमें कई राय हैं, कई राज्य नहीं चाहते हैं कि हम कन्क्लूसिव टाइटिल की ओर बढ़ें, क्योंकि, इससे और लैंड डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे, पर हमने एक उद्देश्य रखा है कि अगले 5-6 सालों में हम उसी दिशा में चलें।

केन्द्र सरकार की ओर से हमने एक मॉडल टाइटलिंग बिल तैयार किया है और हो सकता है कि अगले सत्र में हम इसको पेश करें, परन्तु जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। अगर राज्य सरकार की विधान सभा ने कानून पारित नहीं किया, तब यह टाइटिल प्रिज़म्प्टिव ही रहेगा, कन्क्लूसिव में नहीं बदल पाएगा।

DR. K.S. RAO: Madam, I am happy the hon. Minister is fair enough to say that there is a shortage of surveyors in the country to bring the records up to date. In fact our experience also, when we go to our Constituencies, is that thousands of acres of land costing thousands of crores of rupees which is taken over for allotting house sites for poorer sections of the society are lying idle without cultivation and without being surveyed and handed over to the people belonging to

poorer sections of the society. I wish to know from the hon. Minister whether he is contemplating of starting a surveyor institute where thousands of youngsters at 12<sup>th</sup> class level will be eligible to learn surveying and update the records. I wish to know whether the Minister will take up starting such an institute or ask the State Governments to start immediately some such institutes to make surveyors ready so that this job can be done liberally.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, I wish to inform the hon. Member that the Nizamabad District in the State of Andhra Pradesh was actually the first State to take up the job of re-surveying through modern technology, particularly the aerial survey technology. That re-survey has been done; on the basis of what has happened in the district of Nizamabad, other districts are also following suit.

As far as training a whole new generation of surveyors in modern techniques is concerned, the primary responsibility is that of the State Governments. However the Central Government, the Union Ministry of Rural Development is planning to establish a new National Institution of Land Management. This is between Delhi and Jaipur. We have got the land near Nimrana; we are moving the Planning Commission and the Finance Ministry. We are hoping that we will establish a National Institute of Land Management called NILAM, very soon; that Institute would then train the officials of the State Governments in modern methods and techniques of land survey.

I do wish to assure the House, on the basis of this question, that unless we are able to modernize and update our land records, we will not be able to make much progress, both in agriculture as well as in industry. So, this requires the highest priority, but the primary responsibility is that of the State Governments.

श्री जयंत चौधरी: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी हुई क्योंकि मंत्री जी ने इशारा किया और एक लैंड टाइटलिंग बिल का जिक्र उन्होंने किया। भूमि का यह मुद्दा अहम् मुद्दा है, जो आज उठ रहा है। भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कानून भी अभी प्रस्तावित है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस सत्र में पेश होगा। मैं जानना चाहूंगा कि जो लैंड टाइटलिंग बिल था, मॉडल ब्रॉफ्ट, पहले ब्रॉफ्ट में सरकार को गारंटियर का रोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो एक भूमिका सरकार की होनी चाहिए, उसे संशोधित किया गया है। इस संबंध में मंत्री जी का क्या पक्ष है? मैं यह मानता हूं कि एफिशिएंट लैंड मॉर्केंट में हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो खरीददार है, वह सीधे मालिक से संपर्क करे और उससे सीधा संवाद स्थापित करे तथा वहां उस निगोसिएशन के द्वारा उसकी जमीन ली जाए। जहां सरकारों का दखल रहता है, वहां भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। मंत्री जी का इस संबंध में क्या रूख है? कंप्यूटराइजेशन में जो डिले हो रहा है, मेरी व्यक्तिगत राय और अनुभव यह है कि कई जगह ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं चाहती है। जो लोग आज तहसील में बैठे हैं, जिनके एक इशारे पर भूस्वामित्व वाले लोग उनके पास पहुंचते हैं, वहां लंबी कतार में खड़े होते हैं और उनको रिश्वत मिलती है, तो वे नहीं चाहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन हो। इसलिए आपको संवाद स्थापित करना पड़ेगा। आप बेशक प्रदेश सरकारों में दौरा करें। अगर दंड नहीं कर सकते, लेकिन उनको इसके लिए प्रोत्साहित करें जिससे वे प्रदेश जो आज पिछड़ रहे हैं, वे आगे आएं। आप इस पर कार्रवाई करें।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मॉडल टाइटलिंग बिल का सवाल है, वह मामला अभी सरकार के पास विचाराधीन है और जैसा मैंने कहा है कि अगले सत्र में मैं उम्मीद करता हूं कि वह मॉडल टाइटलिंग बिल पार्लियामेंट में पेश करूंगा। यह मॉडल टाइटलिंग बिल ही रहेगा, यह सिर्फ मॉडल ही रहेगा, एक नमूने की तरह ही रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी राज्यों की होगी और जो विधान सभायें कानून पास करेंगी, उसी के आधार पर वह कांक्लूजिव टाइटलिंग की ओर जाएगा। मॉडल टाइटलिंग के बारे में जरूर अलग-अलग राय हैं। मैं अभी सदन का वक्त नहीं लेना चाहता हूं और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मॉडल टाइटलिंग बिल जिसका हमने वादा किया था, उसे हम अगले सत्र में जरूर लाएंगे।

कंप्यूटराइजेशन का जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है, हमारी जानकारी के अनुसार अधिकांश राज्यों में कंप्यूटराइजेशन का काम खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हो चुका है। कंप्यूटराइजेशन के बाद जो काम अभी बाकी है, मानचित्र और नक्शा बनाने का काम, डिजिटाइजेशन का काम बाकी है, जो म्यूटेशन होता है, उसे ऑनलाइन बनाने का काम अभी बाकी है। उसके लिए हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनको हम वित्तीय सहायता भी देते हैं। जैसा

कि मैंने कहा है कि अगले महीने की 18 या 19 तारीख को मैंने सारे राज्यों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक बुलायी है, जहां हम विस्तार में हर एक राज्य की यह समीक्षा करेंगे कि कहां तक यह काम खत्म हुआ है और मैं उस बैठक के आधार पर अगले सत्र में सदस्यों को जानकारी देने की स्थिति में रहूंगा। SHRI PRABODH PANDA: Thank you, Madam Speaker. With regard to the right of records and inclusive title of the land, the hon. Minister narrated everything about what he is thinking. I welcome his thinking and the steps that he is taking. But the issue is this; this is not with the title of the land, but the problems relate to the share-croppers.

So far as my State West Bengal is concerned, not less than 15 lakh share-croppers have got certificates and also the rights of cultivation. But in States like Andhra Pradesh or other States lakhs and lakhs of share-croppers have no right of cultivation. I would like to know whether the Minister is contemplating to register all the rights of the share-croppers and computerising all these things. This is very important at this juncture. I think the Minister will respond to it.

SHRI JAIRAM RAMESH: I must express my gratitude to the West Bengal Government for going back to Operation Barga which was the first attempt in India to actually register share-croppers as opposed to land owners. We have tried to replicate Operation Barga in other States. Some States have actually taken steps but by and large what the hon. Member has pointed out remains a reality that share-croppers are not registered and land owners are registered. जो आपने कहा है, वह बात सही है कि सिर्फ भूस्वामी ही रिजस्टर्ड होते हैं। जो टेनेन्ट फार्मर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनका रिजस्ट्रेशन नहीं होता है। हमने बार बार राज्य सरकारों को कहा है कि 'ऑपरेशन बरगा' की तरह एक अभियान चलाइए ताकि यह रिजस्ट्रेशन का काम खत्म हो। कुछ साल पहले, महाराष्ट्र में कुछ प्रयास किया गया था, मध्यप्रदेश में प्रयास किया गया था, गुजरात और कर्नाटक में प्रयास किया गया था परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिम बंगाल के अलावा, शेयर क्रॉपर और टेनेन्सी की रिजस्ट्रेशन में बहुत किमयां हैं और इनको हमें देखना है। मैं राज्य सरकारों के साथ फिर से जरूर बात करूंगा क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है, पर मैंने राज्य सरकारों को यह कहा है कि अगर कुछ वित्तीय सहायता या कुछ तकनीकी सहायता

की जरूरत है तो केन्द्र सरकार बिल्कुल तैयार है। हम मानते हैं कि ऑपरेशन बरगा जैसे अभियान सारे राज्यों में चलने चाहिए।

(Q.23)

RAJKUMARI RATNA SINGH: Through you, Madam, I would like to thank the hon. Minister for giving many records but there are still many companies, especially stock-broking companies which take a lot of money of the public and misuse it by indulging in frauds. Especially the big stock-broking companies give money to the sub-brokers as a result a lot of clients lose a lot of money. I would like, through you Madam, to ask the hon. Minister whether he is taking special notice of these stock-broking companies.

DR. M. VEERAPPA MOILY: Madam Speaker, in fact this is a matter which is very seriously engaging the attention of the Ministry. We have set up a number of systems by which all such flaws and loopholes are plugged. For example, from last year we have introduced a system called Extended Business Reporting Language. I am very happy to say that there is a very good response from many companies. As many as 32,000 companies have already adopted this kind of an accounting procedure by which we will be in a position to identify the accounts as also the loopholes, the areas of mis-governance. In the Serious Fraud Investigation Office we are setting up computerized Forensic Labs to analyse XBRL returns made by these companies. I do not think any company can escape from this kind of a very transparent accounting system and any mistake, any misgovernance or any fraud committed by any company could be identified and action could be pursued.

RAJKUMARI RATNA SINGH: I would like to bring to the notice of the hon. Minister that, as I told earlier, the stock-broking companies take the money and give it to the sub-broker. The sub-broker may be doing intra-day trading. The sub-broker, especially NRIs who also invest in this country, does all sorts of illegal practices.



If you are not keeping a strong vigil yourself, then you suddenly after a few months come to the conclusion that they have wiped you out of your entire money. So, I would like the Minister to also take an action against all the stock broking companies which are doing this. I would also like the Minister to do a research on this and see how many companies are doing illegal business practices. Please investigate in this regard.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: We have an agency called Market Research and Analysis Unit to investigate serious fraud cases. This has been set up with the objective of improving the regulatory system in the corporate sector. So, I will definitely entrust the question of making a deeper probe into the functioning of the stock brokers as also sub-brokers. We will definitely see that this Market Research and Analysis Unit will deeply investigate into the matter. No sooner we will get the report; we will definitely take appropriate action if there are any erring stock brokers or sub-brokers operating in the field.

#### 12.00 hrs

#### REFERENCE BY THE SPEAKER

## **International Indigenous People's Day**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, today is the International Indigenous People's Day. On 23<sup>rd</sup> December, 1994, the United Nations General Assembly by a Resolution decided that an International Day of the World's Indigenous People shall be observed on 9<sup>th</sup> August every year during the International Decade of the World's indigenous people.

The indigenous people whom we refer to as Tribals in the country are an invaluable and integral part of our country's rich cultural heritage. Tribals and their culture which is a repository of wisdom and knowledge from the days of yore need to be protected and empowered.

Let us on this occasion resolve to rededicate our efforts for amelioration of the lots of our tribal brethren.

\_\_\_\_

## 12.01 hrs

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table a copy of the 18<sup>th</sup> progress Report (Hindi and English versions) on the action taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, June, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7068/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

(1) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2012 published in Notification No. F. No. S-Admn/II/XI/2012 in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> April, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7069/15/12)

(2) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2012 published in Notification No. F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> May, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7070/15/12)

(3) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum

Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012 published in Notification No. F. No. M(C)/2009 in Gazette of India dated  $6^{th}$  July, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7071/15/12)

\_\_\_\_

#### **12.02 hrs**

#### ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I beg to lay on the Table the following 11 Bills passed by the Houses of Parliament during the Tenth Session of Fifteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 27<sup>th</sup> April, 2012:-

- 1. The Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2012;
- 2. The Appropriation (No.3) Bill, 2012;
- 3. The Finance Bill, 2012;
- 4. The Copyright (Amendment) Bill, 2012;
- 5. The National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2012;
- 6. The Anand Marriage (Amendment) Bill, 2012;
- 7. The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012;
- 8. The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012;
- 9. The Protection of Children from Sexual Offences Bill, 2012;
- 10. The Administrators-General (Amendment) Bill, 2012; and
- 11. The Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2012.

I also beg to lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary- General, Rajya Sabha, of the following 4 Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

- 1. The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012;
- 2. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2012;
- 3. The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2012; and
- 4. The North-Eastern Areas (Reorganisation) and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7072/15/12)

## 12.03 hrs

# COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 21st Report

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): I beg to present the Twenty-first Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on 'Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Aviation Company of India Ltd. (NACIL)'.

#### 12.03<sup>1</sup>/<sub>4</sub> hrs

# STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 37<sup>st</sup> Report

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं "आनुवंशिक रूप से परिष्कृत खाद्य फसलों की पैदावार-संभावनाएं और प्रभाव" के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

#### 12.03½ hrs

# STANDING COMMITTEE ON LABOUR 31<sup>st</sup> Report

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): I beg to present the Thirty-first Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour on 'Absorption/Regularization of Temporary Drivers of Allahabad Bank.'

\_\_\_\_

#### 12.04 hrs

# STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 13<sup>th</sup> Report

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): I beg to present the Thirteenth Report\* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on the subject 'City Gas Distribution Projects'.

\_\_\_\_

#### 12.04 ½ hrs

# COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (LOK SABHA) 9<sup>th</sup> Report

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I beg to present the Ninth Report (Hindi and English versions) of the Committee on MPLADS (2011-12) on the subject 'Procedures on provision of MPLADS funds for natural calamities'.

\_\_\_\_

## 12.04½ hrs

# STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 102<sup>nd</sup> Report

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I beg to lay on the Table the One Hundred Second Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce on 'Performance of Plantation Sector-Tea and Coffee Industry'.

\_\_\_\_

<sup>\*</sup> The Report was presented to Hon'ble Speaker on 26 July, 2012 under Direction 71A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in session and the Hon'ble Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of these Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

## 12.05 hrs

#### **BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR):

Madam, with your permission, on behalf of Shri Pawan Kumar Bansal, I rise to amnounce that Government Business during the week commencing Monday, the 13<sup>th</sup> of August, 2012, will consist of:-

- 1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
- 2. Consideration and passing of the Protection of Women Against Sexual Harassment at Workplace Bill, 2010.
- 3. Consideration and passing of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2011.
- 4. Consideration and passing of the Banking Laws (Amendment) Bill, 2011.
- 5. Consideration and passing of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Bill, 2011.
- 6. Consideration and passing of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2012, after it is passed by Rajya Sabha.

अध्यक्ष महोदया: सबिमशन्स. डॉ. भोला सिंह -- अनुपस्थित।

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषय के अति महत्वपूर्ण समस्याओं को कार्य सूची में जोड़ने का कष्ट करें :--

- 1. मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी एवं देश में बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गयी है। भिवंडी में लगभग 5 लाख इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। बुनकरों, उद्यमियों के हित में आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- 2. महाराष्ट्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 35 (3) के तहत किसानों की खेती की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों के हित में धारा 35(3) का सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अधिग्रहण को रोके जाने की आवश्यकता है।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Madam, I would request to include the below mentioned subjects in the agenda for the next week:

- 1. The issue being faced by students due to denial of education loan by banks.
- 2. The review of EPF Pension Scheme.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये :--

- 1. वर्तमान में राजधानी दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण करके ग्राम सभा को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आज के हालात में राजधानी दिल्ली में भूमि की किल्लत को देखते हुए इस प्रावधान में संशोधन किए जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम के सेक्शन 81 को निरस्त किए जाने से संबंधित विषय को प्राथमिकता दी जाए।
- 2. इंडियन पासपोर्ट अथारिटी ने 25 जून, 2008 में देश की तत्कालीन महामिहम राष्ट्रपित के नाम से प्रथम ई-पासपोर्ट जारी किया था। लेकिन आज तक देश के सभी नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा प्रदत्त नहीं की गयी है। जबिक विश्व के विभिन्न देशों में वहां के सभी नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा विगत काफी समय से प्रचलन में है। अतः देश के सभी नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा प्रदत्त किए जाने से संबंधित विषय को प्राथमिकता दी जाये।

श्री मारोतराव सेनुजी कोवासे (गडिचरोली-चिमूर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि सबिमशन के अन्तर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमित प्रदान की जाये:--

- 1. महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं अति पिछड़े क्षेत्र गड़िचरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय गड़िचरोली को वड़सा-गड़िचरोली रेल नेटवर्क से जोड़िन हेतु किए गए प्रावधान के अनुसार अब तक इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किए जाने से संबंधित विषय।
- 2. महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, नागपुर, भण्डारा इत्यादि क्षेत्रों की भूमि को सिंचित किए जाने के उद्देश्य से विदर्भ क्षेत्र के अन्तर्गत भंडारा जिले में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना वर्ष 1981 में प्रारम्भ की गई थी, लेकिन इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि को दूसरे कार्यों में व्यय करने के परिणामस्वरूप नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को अब तक भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध न होने से संबंधित विषय

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

- अहमदाबाद से उदयपुर रेलमार्ग के आमान परिवर्तन के विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने की कृपा करें।
- 2. मोडासा-शामलाजी स्टेशनों के बीच रेल कनेक्टिविटी के विषय को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की कृपा करें।

**12.10hrs.** . (Dr. M. Thambidurai in the Chair)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सिम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:

1. प्राइवेट बैंक जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लाईसेंस दिया जाता है तथा जिनके पास सरकारी योजनाओं का डिपोजिट भी रहता है। उनके बैंकों में भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था स्निश्चित करने के विषय को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

2. पान मसाला और गुटखा खाने से युवा वर्ग में विशेष बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर बीमारी की शिकायतें बहुत ज्यादा मिलने लगी है। अतः इस विषय को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, with the permission of the Chair, I wish to record my submissions. It includes two important matters which are very essential for the economic development of Tamil Nadu and to fulfill the needs of the people of Tamil Nadu. These two items may be included in the next week's agenda:

- 1. Kakinada to Tuticorin gas pipeline project is still pending at the proposal stage. Original understanding of supplying gas from KG Basin to Tamil Nadu has not been honoured so far. Tamil Nadu is being denied of its legitimate share from the KG Basin. I understand that now gas supply has been diverted to Gujarat and Maharashtra. So, I request the Centre to honour the earlier agreement and understanding and arrange to supply gas to Tamil Nadu which is highly in need of it.
- 2. There is a need to implement the proposed southern corridor between Chennai-Kolkata, Chennai-Mumbai, Chennai-Delhi and Chennai-Goa via Bangaluru. A solemn assurance was given on the floor of this august House by the then Railway Minister in 2006 during the UPA Government. The freight corridor for South India should be taken up soon.. I urge upon the Centre to take up the project of Southern fringe corridor expediently.

**डॉ**. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को समाविष्ट करने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं:

पदोन्नित में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समाप्त किया गया है, इसलिए इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए इसी सत्र में संविधान संशोधन बिल लाया जाए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): महोदय, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:

- 1. बिहार राज्य अन्तर्गत पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर के खगड़िया से कुशेश्वर स्थान रेलखंड का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।
- 2. पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर अन्तर्गत सहरसा से समस्तीपुर के बीच पड़ने वाले स्टेशनों पर प्लेटफार्म बड़ी रेल लाइन के मानक के अनुसार ऊंचा कराया जाए।

\_\_\_

#### 12.14 hrs

#### **SUBMISSIONS BY MEMBERS**

## (ii) Re: Recent Killing of Sikhs in the USA

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up 'Zero Hour'.

Shrimati Harsimrat Kaur Badal.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Mr. Chairman, thank you for allowing me to convey the anguish of my community over the heinous racial attack on innocent Sikhs who were offering prayers in their place of worship on the 5<sup>th</sup> of August in Wisconsin, United States of America. This heinous crime led to the killing of six innocent devotees and injuring many others who had gathered there to offer prayers. It was done by a 41-year old ex-U.S. Army veteran known for his neo-Nazi leanings, a white supremacist, with a 9/11 tattoo on his arm.

Being a small, yet enterprising community, the Sikhs have always contributed towards nation building, growth and prosperity of whichever nation that they have settled in. They have contributed richly to the growth of the United States in every sphere, be it agriculture, be it entrepreneurship, be it academics, and even to their Armed Forces. In fact, in World Wars I and II, almost 80,000 Sikhs laid down their lives for the countries that they were fighting from. This has been the spirit of the Sikhs.

What is very saddening is that ever since the 9/11 attacks in 2001 in New York – the last ten years have seen – thousands of Sikhs being murdered, assaulted and abused physically and verbally. They had to bear the brunt of being targeted because of their attire and their resemblance to a terrorist with which they have no link.

What is very saddening in this whole episode is that this small community has faced this hate crimes in huge numbers. If we look at the record of just the last ten years, over 1,000 crimes have come to light, which means every year almost 100 crimes in which the Sikhs have been targeted, which means almost every third

day a Sikh has been targeted. It has reached a stage where the Sikhs are being targeted in their homes, on the streets, at their place of work, and finally even in their place of worship, which is supposed to be the most pious and pure of all places. As a result, their liberties to live in peace, to work in peace, to pray in peace, are being threatened just because of their resemblance to a terrorist or to a certain community.

Osama Bin Laden was a hated terrorist. In every person's mind, his picture and the hate and revulsion that he stood for is imprinted. It is imprinted in the mind of probably every human being on this Earth. But what is sad is that a practising Sikh, who follows his Guru's teachings in letter and spirit, is targeted. He is proud of what his Guru has taught, and, therefore, sports what his Guru says by sporting his turban and sporting his beard. Now, the Sikhs are seen in the light of that terrorist. Maybe the people of his own community do not support this attire when they are on foreign lands, whereas a Sikh proudly sports his attire for what he stands for and for what his Guru's teachings are. To be targeted because of this resemblance and because of this attire is extremely sad. What is even worse is that innocents are being targeted and are being forced to bear the brunt of these hate crimes and nothing has been done over ten years to put a stop to this.

I would like to cite a few instances out of these thousands of crimes. In 2001, Shri Balbir Singh, a gas station owner in Arizona was shot dead by an American citizen screaming, "I am a patriot and I stand for America all the way." He admitted that he mistook Balbir Singh for an Arab due to his beard and turban; Then Shri Surinder Singh was beaten to death with metal poles in his store by two men in L.A. ... (*Interruptions*) This is what he said. I am repeating what the fellow said which is recorded in the Police Department. I am not making it up. This is what he said. Shri Surinder Singh is beaten to death in his store by two men in L.A. who accused him of being Osama Bin Laden. Sixty-year old Shri Baljeet Singh was attacked outside a Gurudwara in New York. The attacker said: "Arab, go back to your country." Shri Jeevan Singh, a resident for over three

decades was punched and assaulted in a train by a youth who thought he was related to Osama Bin Laden. A Gurudwara called, 'Gobind Sadan' in New York was vandalized because people thought it as: "Go Bin Laden." ... (Interruptions) So, the whole Gurudwara was vandalized. ... (Interruptions) This is an important issue. Kindly give me five more minutes. But the most worrying of whole thing is and what has come to light and what the Hindustan Times newspaper reported yesterday, there is a family living in this place called Wisconsin where this horrible incident took place in Oak Creek. For the fifth time they have received a letter. Sir, you know what that letter says to these Sikh family. It says and I quote:

"Our people in the neighbourhood have been closely watching your activities and have figured out the you are a close associate of a secret Taliban movement on US soil. If you do not leave the country as soon as possible, one among us will shoot you dead. Do not relocate yourself anywhere in America. We are closely watching your activities."

MR. CHAIRMAN: Madam, please wind up.

... (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, put yourself in the place of those families who faced the terror of sending their kids to school and their menfolk to work whether they will come back safe in the evening.... (*Interruptions*) Please give me a few more minutes.

Sir, I want to know how much longer it will take for innocent and peace-loving Sikhs to give up their lives and die and live in terror before the Government wakes up to take some corrective measures to stop these senseless killings. Sir, if the Government had used their dozens of High Commissions, Embassies and Consulates to educate school and college children and to create awareness among the minds of ignorant people, may be thousands of Sikh lives could have been saved and they could have been saved of bearing the brunt of these things. .....(Interruptions).

MR.CHAIRMAN: Madam, please wind up.

#### ... (*Interruptions*)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Please give me one more minute. So, I would like to ask the Government when they will stop requesting and start demanding that the US Government takes concrete steps to create this awareness amongst the minds of the ignorant people. If they talk about Zero Tolerance on terror, does it not apply to their own native people who are propagating and propagating this crime on minorities of different colours living in the US? ... (Interruptions)

Sir, I am sorry. You have to give me some more time as this is a very important topic. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Madam, I have given you sufficient time. You have already taken more than ten minutes.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I was also saddened to see that in the Press Conference that the US Government held on the 5<sup>th</sup> evening, all they did in that one-hour Conference I heard was how they tom-tommed about the wonderful job that the Government had done, how many police forces were called in, how the police handled it and how proud they were to be associated with the way this whole thing had been handled. ... (*Interruptions*) But what every Sikh was waiting to hear who did this and why he did it? That is not the answer we got as to why it happened. They should have spent time in explaining was that their utter failure and their Intelligence to foresee this pre-mediated and well-planned crime which was done by their own Army veteran. ... (*Interruptions*) We heard nothing about that. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, since 1984 all we have received are 'apologies' and 'condolences'. Be it the massacre of the 10,000 Sikhs by our Government here or from the Australians who are killing the Punjabi students in Australia or the Italian Government who targets the Sikhs at the airport or even the

French Government who does not even apologize about the fact that Sikh children are denied Government School education. ... (*Interruptions*) Sir, I am sorry. You have to give me two more minutes. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, Madam. I have given you sufficient time.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: I would request the Government that this is the moment when huge campaign of awareness needs to be started to enlighten ignorant minds about the terrorists and Sikh community. It maybe that people from the other community do not wear those turbans, but we Sikhs communities are a proud community and we are proud to wear the turbans. ... (Interruptions) What could be better is that our own Prime Minister leads a delegation of all Sikh parliamentarians to the United States and to meet with the American Sikhs and request the President Obama and his Members of Parliament to raise this awareness in their constituencies so that people do not have to lose their lives. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj.

... (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir, I would also request the Government to make arrangements to bring back the bodies of those poor victims to their beloved families over here.

Lastly, I also want to add that if we are facing the brunt of these hate crimes because of our appearance, I dreamt to think what our Muslim brothers are facing. ... (*Interruptions*) I stand by them. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in record.

(Interruptions)\*

MR. CHAIRMAN: If there is any objectionable thing, that will be removed.

... (Interruptions)

-

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I will call you. She has given the notice that is why I have given the chance to her. I will call you.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Sir I would like to end by saying that if this is what we are facing because of our appearance, I dreamt to think what our Muslim brothers are facing ... \*I think it is time this Government decided to stand up and protect the rights of every minority community in the foreign soil, be it a Hindu, be it a Muslim or be it a Sikh. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri M.B. Rajesh, Shri Arjun Ram Meghwal are permitted to associate with the matter raised by Shrimati Harsimrat Kaur Badal during the 'Zero Hour' today regarding the Sikh issue..

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Sushma Swaraj to speak.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, I will call you next. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Leader of the Opposition wants to say something. Afterwards, I will call you.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मैं आपकी बात से सम्बद्ध कर रही हूं, आप भी सम्बद्ध कर दीजिएगा।...(व्यवधान) मैं इसी विषय पर बोल रही हूं, जिस पर आप बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान) आप मेरे बाद बोल लीजिएगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

 $(Interruptions)^*$ 

MR. CHAIRMAN: I will call him next. Please take your seat. He has also given notice. After Shrimati Sushma Swaraj's observation, I will call you.

...(व्यवधान)

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापित महोदय, मैं विषय नहीं बदल रही हूं। मैं इसी विषय पर अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं। जो विषय श्रीमती हरिसमरत कौर ने सदन में रखा है, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि बहुत बार हमें दुख होता है कि बार-बार सिख धर्म के लोगों को ही क्यों शिकार बनाया जाता है। कभी फ्रांस में उनकी पगड़ी पर पाबंदी लगाई जाती है और कभी गुरुद्वारे में उनकी हत्या की जाती है। घटना के तथ्यों को बहुत विस्तार से हरिसमरत जी ने सदन में रखा है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती हूं। लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि यह घटना शून्यकाल में कह दी गई है, यह कह कर खुर्द-बुर्द नहीं होनी चाहिए। सदन में अश्विनी कुमार जी बैठे हैं, कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, इनके माध्यम से सरकार को यह बात कही जाए कि हम चाहते हैं कि अगले तीन दिन छुट्टी के कारण सदन नहीं चलेगा, इसलिए इन छुट्टियों के बाद वाले दिन जब सत्र चलेगा, तब सरकार इस घटना की पूरी जानकारी लेकर तथ्यों से अवगत कराते हुए बताए कि सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है। एक मामला सदन में उठाया जाए और उसके बाद उसका निवारण न हो, यह ठीक नहीं है। बहुत-से विषय शून्यकाल में उठाए जाते हैं, लेकिन उठाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि यह मामला सदन में उठाया गया और समाप्त हो गया।

हम मांग करते हैं कि हमें आश्वस्त किया जाए कि सरकार इस बारे में की गई कार्रवाई से सदन को अवगत कराएगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, मैं अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हं।

MR. CHAIRMAN: Shri Pratap Singh Bajwa.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: During 'Zero Hour', it is not necessary to react. Please do not disturb the House. Shri Pratap Singh Bajwa.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Sir, firstly I want to say that I would like to speak in Punjabi.

MR. CHAIRMAN: I have to find out whether you have given notice for that. I have to find out the Interpreter. If he is available, I will allow you. I do not know about it.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Yes, I have given notice.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. During 'Zero Hour,' I cannot compel the Government to react.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I cannot allow it.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Pratap Singh Bajwa, you please proceed now.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Pratap Singh Bajwa, now you speak. Nothing will go on record except Shri Pratap Singh Bajwa's speech.

(Interruptions) \*

MR. CHAIRMAN: I cannot compel the Government to react. Please take your seat. Only what Shri Pratap Singh Bajwa says will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions)\*

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

MR. CHAIRMAN: No, No. In the Zero Hour, you cannot compel the Government Shri Partap Singh, please continue. Nothing will go in the records except Shri Partap Singh's speech.

MR. CHAIRMAN: I cannot allow this kind of thing. Let him complete his speech. Please take your seats.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA: It is rather unfortunate that this has happened to a patriotic community whose members have laid down innumerable lives for the independence of India. The Sikhs of U.S.A. have immensely contributed towards the progress and development of that country. Punjabis and Sikhs started settling in the U.S.A. a hundred years ago. Sikhs of U.S.A. have left their impact in every sphere of life in U.S.A. They have carved out an indelible niche for themselves in that country, whether in the field of agriculture or industry. It is indeed unfortunate that Sikhs have been targeted despite that.

Sir, all the Members of Parliament of our party from Punjab had gone and met the UPA Chairperson Madam Sonia Gandhi. We told her that this barbaric act against the Sikhs has left all right-thinking persons, including the Sikhs, aghast and shocked. Hon. Madam Sonia Gandhi ji talked to Hon. Prime Minister immediately. We are grateful to Hon. Prime Minister Manmohan Singh ji that he took the initiative of talking to President Obama on this serious issue. For the first

<sup>\*</sup> English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

time in U.S. history, the U.S. flag was flown athalf mast as a mark of sorrow for those killed. President Obama has assured our Hon. Prime Minister that the killings of innocent Sikhs will be thoroughly probed and justice will be provided.

Sir, out of the six Sikhs killed in the Guradwara shootings, four were Indian nationals. Two victims were born in India but had settled in U.S.A. I urge the Hon. Prime Minister and the Indian Government to provide adequate compensation to these victims. I have firm faith in my U.P.A. Government and our Hon. Prime Minister that in this tragic hour of grief, they will stand by our side and provide all the support needed by the grieving Sikh community. Sir, as far as the identity of Sikhs is concerned, let me say something. ......(Interruptions)......

Chairman Sir, the Sikhs have made supreme sacrifices for the sake of this country and their community. The identity of Sikhs cannot be compared with that of a terrorist. Such a comparison is a lie.

Chairman Sir, such incidents should not recur. Sir, I firmly believe that this was a deliberate act. The killings were not a result of any mistaken identity. The Sikhs were not mistaken for Muslims. The person responsible for these racist shootings was an ex-army man. He was a literate person. He was neither ignorant, nor naïve. He knew that he was going to kill Sikhs in a Gurdwara. ......(Interruptions)......

Shri Ratan Singh ji, I request you to kindly sit down and stop interrupting me. You are a wise man. I am raising an important issue pertaining to the Sikh community. Chairman Sir, let me repeat that Hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji has pro-actively taken up this matter with the U.S. President. The U.P.A. Government and Hon. Madam Sonia Gandhi ji has taken up this cause in right earnest. They are serious about this issue..... (Interruptions)......

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sharad Yadav. Shri Bajwa, please take your seat. Nothing except Shri Sharad Yadav's speech will go in the records now.

(Interruptions) ...\*

<sup>\*</sup> Not recorded.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, यह अकेले अजनाला जी और इनका सवाल नहीं है, यह पूरे देश की जनता ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Sharad Yadav.

(Interruptions) \*

श्री शरद यादव: यह बैठते ही नहीं हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you address the Chair.

... (Interruptions)

श्री शरद यादव: सभापति जी, आप इन्हें बैठाइये, ये अपनी बात कह चुके हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह अजनाला जी और बाजवा जी का सवाल नहीं है। इस पर पूरा देश और सदन चिंतित है। इस पर सरकार को सुओ-मोटो बयान देना चाहिए था। जो नहीं दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकेले अजनाला जी, श्रीमती हरिसमरत कौर बादल का या किसी अन्य अकेले सदस्य का सवाल नहीं है। ...(व्यवधान) उन्होंने मेरा नाम लिया है।...(व्यवधान) मैं आपके हक में बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): क्या आप मुझे बोलने देंगे?

श्री शरद यादव : बंसल जी, आप बैठिये। चेयर ने मुझे पहले बुलाया है। आप कैसे खड़े हो रहे हैं। ...(व्यवधान) आप बैठिये। ...(व्यवधान) मैंने सब मैम्बरों को बैठाया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

मैंने उन्हें बैठाया है, आपने नहीं बैठाया है। मैंने श्री अजनाला जी को बैठाया है। ...(व्यवधान) यह गलत बात है। सभापति महोदय ने मुझे बुलाया है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. The Minister wants to react and respond.

## ... (Interruptions)

श्री शरद यादव: यह अकेले आपका मामला नहीं है, यह पंजाब का मामला नहीं है। यह पूरे सदन का मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा देश, सब पार्टियां चिंतित हैं। इस पर सरकार को सुओ-मोटो बयान देना चाहिए था। यह अकेले अजनाला जी का मामला नहीं है, अकेले आपका मामला नहीं है, सारे देश का मामला है। पवन जी, आपको अभी नहीं पहले बोलना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से सरकार से

<sup>\*</sup> Not recorded

कहना चाहता हूं, यहां सब कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। यह मामला अकेले पंजाब का नहीं, बल्कि पूरे देश का मामला है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, इबादतगाह पर गोलियां चल गईं।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I would like to speak on this.

MR. CHAIRMAN: I will call you afterwards, Shri Acharia.

Mr. Minister.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you can associate.

... (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं श्री शरद यादव जी की बात के साथ सहमत हूँ। मैं उनकी बात के साथ मुत्तिफक हूँ ...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Mr. Chairman, Sir, the Minister should respond after hearing us. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the Minister says.

(Interruptions) \*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, विसकॉन्सिन में जो घटना घटी, वह दुखदायी है और पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज संसद का दूसरा दिन है। पहले दिन श्री आडवाणी जी एक एडजर्नमेंट मोशन लाए। सरकार ने उसे कुबूल किया। आज दूसरा दिन है। सत्र से पहले भी इस सरकार को जो करना चाहिए था, वह इस सरकार ने किया। प्रधान मंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ओबामा से फोन पर बात की। उन्होंने पहल की, उनसे बात की। उन्होंने प्रधान मंत्री को विश्वास दिलाया कि इस पर पूरी तफ्तीश, इनवैस्टिगेशन करके जिस पर जो भी कार्रवाई बनेगी, वह कार्रवाई की जाएगी। यह बात आप जानते होंगे। अगर जानते नहीं होंगे तो शायद बाजवा जी ने बताया भी होगा, मैं शायद उस वक्त नहीं था। यह पहली बार यूएसए में हुआ है कि उन्होंने किसी कार्रवाई पर अपना झंडा आधा झुकाया। यह अमेरिका ने इस कारण किया कि क्योंकि हिन्दुस्तान की वहाँ बात है, हिन्दुस्तान का एक जो वकार है, जो रुतबा है, उसको माना जाता है और आज इंटरनेशनल कम्यूनिटी में हिन्दुस्तान की इज्ज़त है और इस यूपीए सरकार ने जो काम किये हैं, उसकी इज्ज़त है। इस कारण यह हुआ। कोई भी वाकया कहीं हो

<sup>\*</sup> Not recorded

सकता है लेकिन ज़रूरी होता है कि उसके बाद कार्रवाई की जाए। .यहाँ कार्रवाई हुई है। मैं सभी को इज्ज़त के साथ कहना चाहता हूँ कि यह अच्छा नहीं है कि अगर किसी की चिता जल रही हो तो उस पर हम अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकें। यह नहीं होना चाहिए। पर आज आपकी तरफ से यह हो रहा है। आपको इस बात पर यहाँ शोर नहीं करना चाहिए। आज गुरुद्वारों में जहाँ प्रार्थना हो रही हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। जिन लोगों के अपने गुज़रे हैं, दिल्ली के लोग मारे गए हैं, वे लोग गुरुद्वारों में पाठ कर रहे हैं। क्या आप वहाँ गए? कल भी आप यहाँ शोर कर रहे थे। आज भी आप यहाँ शोर कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि आपने पंजाब में क्या कदम लिये हैं लोगों की हिफ़ाज़त के लिए? आप ऐसी बात करते हैं कि एकदम हाउस में शोर करना शुरू कर देते हैं कि एकदम सरकार बयान दे। ज़ीरो आवर में ऐसा नहीं होता। ...(व्यवधान) मैंने सुबह कहा था कि आप कॉलिंग अटैन्शन दे दीजिए और कॉलिंग अटैन्शन पर सरकार जवाब देगी। आपने क्यों नहीं माना? क्या आप कॉलिंग अटैन्शन देना चाहते थे? ...(व्यवधान) आपने नहीं दिया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को गंभीरता के साथ लेती है।

Sir, our hearts go out to the families of the persons who have died. We are serious about it, we are very much concerned about it. It is a matter concerning our country. But that is where, as I said earlier, we should not bake our political cakes on the funeral pyres of the people who have died. ...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : सरकार इस पर बहुत संवेदनशील है।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) \*

MR. CHAIRMAN: Shri Dara Singh Chauhan, you speak now.

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

## 12.45 hrs

At this stage Dr. Rattan Singh Ajnala and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं,...(व्यवधान) जहां आज हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत किए जा रहे हैं, खास करके अमेरिका के साथ...(व्यवधान) परन्तु अमेरिका की एक कम्पनी ने जिस तरीके से, ...(व्यवधान) ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, सन् 2000 में टॉयलेट में गणेश की मूर्ति, जूते पर लक्ष्मी की मूर्ति, बिकनी पर ऐसे लोगों की मूर्ति और आज फिर अमेरिका ने भगवान महात्मा बुद्ध, जिन्होंने दुनिया में मानवता का संदेश दिया है। ...(व्यवधान)

#### 12.46 hrs.

At this stage Shri Arjun Ram Meghwal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री दारा सिंह चौहान: अमेरिका की आइकन की जूते की कम्पनी ने जूते पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगा कर पूरे देश में मानवता का मखौल उड़ाया है।...(व्यवधान) आज केवल तिब्बत, चीन और इंडोनेशिया ही नहीं, बिल्क पूरे हिन्दुस्तान में ...(व्यवधान) जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं,...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

#### **12.47 hrs**

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

#### 14.04 hrs

# The Lok Sabha re-assembled at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

# NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010 ... Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Item No. 13, hon. Minister.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): *Upadhakshya ji*, yesterday I indicated as to what the intention of the legislation is. We all know that in the 21<sup>st</sup> Century, unless you are able to embrace quality in education, our children will not be able to compete with the rest of the world.I want to in about a few minutes explain to you as to what is the structure that exists at present in the educational system and how we want to change it.

At the moment I know that there are several statutory regulatory authorities like University Grants Commission, All-India Council for Technical Education, Bar Council of India, Central Council of Homeopathy, Central Council for Indian Medicine, Council of Architecture, Dental Council of India, Nursing Council, Medical Council, Pharmacy Council. Now, all these regulatory authorities are authorities which set minimum standards for educational institutions. They also are the approval granting authorities for the purposes of allowing institutions to run. Not only do they set standards but they also inspect institutions. It is the duality of this role combined in one authority that leads to a lot of problems and that is where a large number of allegations of wrongdoing have come to our notice in respect of each of these bodies. There are, of course, accreditation councils. You have the National Assessment and Accreditation Council; you have the National Board of Accreditation for AICTE and engineering colleges; the

Accreditation Committee for Bar Council of India, you have a Committee in the Bar Council which accredits; Department of Electronics accreditation of computer course which is called DOEACC; and National Board of Examination (NBE). But accreditation is not mandatory. It is all voluntary. So, most institutions do not want to accredit themselves because they do not want assessments to be made of their quality.

One thing we want to do is that make sure that accreditation is mandatory for every institution for higher education that is set up in India whether it is set up pursuant to an Act of the State or set up pursuant to an Act of the Union Government under the UGC. At the moment only one-third of the Universities for example are accredited and two-thirds are not accredited. The first thing that we want to do is to make accreditation mandatory.

The second thing we want to do is to assign the role of accreditation to professional bodies not to the Government or to regulatory bodies. There should be accreditation agencies but not private accreditation agencies. In that case, the allegations would be much worse. They must be either professional bodies that are set up here or State agencies or Central agencies consisting of professionals who know what the processes of accreditation are; who will work under the norms set up by the Accreditation Authority of India. The norms will be determined by the Authority. The processes of accreditation are given effect to by a professional agencies and the regulatory authorities is kept far away from them That is the new structure that we are trying to set in place.

Therefore, every agency that seeks accreditation or seeks to accredit will have to go through certain very stringent tests as set out in the Act. Each agency must register itself as an accreditation agency. It must demonstrate to the authority that it has the financial wherewithal to actually deal with issues of accreditation, it has the necessary professional expertise to deal with accreditation; it. It has the necessary human resource to deal with the accreditation. There is a whole process that has been set out under the Act before an agency is registered.

If an advertisement is made for registration you apply for it. You give details as set out under the form. The Authority will indicate what facts are to be set out. Then there is a public hearing. Anybody may object to the fitness of the agency for accreditation. Those objections are considered. Then it is decided under what terms and conditions the accreditation will be granted. If the agency which is accrediting actually goes and accredits an institution and it is found that the accreditation procedure was not followed or that the norms were not followed that agency itself will be liable not just for cancellation of its registration but also for punitive damages and in some cases also for prosecution. So, there is a whole Chapter dealing with registration for the purposes of accreditation. But I would like to indicate to you as to what is meant by quality under the Bill. I will read out the definition of quality because that is ultimately what must be judged.

Academic quality – it is set out in the Section itself – means the quality of teaching, learning and research, and consequently their contribution to enhancement of knowledge and includes physical infrastructure, human resources including faculty, administration, course curricula, admission and assessment procedures, governance structures of the higher educational institution. Pursuant to the recommendations of the Standing Committee, we have added another criterion because, I think, that an institution must also be judged for the purposes of accreditation if it furthers the cause of equity and inclusion in this country. The time has come that the backward communities, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and the disadvantaged communities are also included in the educational structure of our country. The accreditation of an institution will also indicate whether it follows those inclusive policies or not. That is a very important factor that we have included in the definition of quality itself; to what extent that institution approaches equity and inclusion through affirmative action.

Now, Sir, as you know, when an institution is set up in our country, most of the time without approval of the Regulatory Authority students are admitted. Then, you go to the regulatory authority and you say: "Look; now you grant me

the approvals." The regulatory authority says: "You are deficient in infrastructure; you do not have the faculty; you do not have laboratories; you do not have a library; you do not have the requisite quality of rooms that should be available." Then you say: "Now I have admitted students. What am I to do?" This is a refrain I hear everyday. Now, this must stop. In the process of accreditation, there should be two stages. One is the assessment of the institution in terms of infrastructure and faculty, and then is the assessment of the institution for the purposes of accreditation with respect to quality of courses and programmes. Therefore, when you set up an institution and you have the infrastructure complete, then the agency will say: "Yes, your infrastructure is complete, your human resource and faculty are complete, and you can admit students." That is the first stage. I think, the institution should be given sufficient time. So, the Act says: "If it is a new institution, you seek accreditation at the end of six years or two batches of students must pass before the quality can be judged." If it is an old institution which has already been there for more than six years or whatever, then another three years would be given to it for the purposes of accrediting itself because they must adhere to the standards set out in the Act. This is the kind of structure that we are putting in place.

Sir, when the Bill was originally introduced, as you know, it went to the Standing Committee, and the Standing Committee, in fact, made 26 recommendations in the Bill. Of the 26 recommendations, 22 recommendations have been accepted by us fully; three recommendations have been partially accepted; and only one recommendation has not been accepted. So, we have also gone along and incorporated in the Bill almost all the recommendations of the Standing Committee.

One other thing that the Standing Committee said – we agreed with it – was about the composition of the Authority itself. Originally, in the Act we have talked about one Chairman and four members of the Authority. But the Standing Committee suggested a broad-based body, one Chairman plus eight members. So,

now, it is one Chairman plus 8 members. So, now, it is one plus eight Members, of which two will be women; one will be a Member of the Scheduled Castes; and one Member will be a Member of the Scheduled Tribes... (*Interruptions*) This is the recommendation of the Standing Committee of all political parties, which we have accepted... (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): जब एससी और एसटी का रिजर्वेशन है तो ओबीसी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे, तब यह विषय आएगा।

SHRI KAPIL SIBAL: I am aware of it. I am only saying that the recommendation of the Standing Committee was to this effect that to have two representatives from women; one representative from the Scheduled Castes; and one from the Scheduled Tribes, and, that is exactly what we have accepted. The Standing Committee comprises of all the political parties. It is not as if a Member of the OBC will not be in the Committee. After all, there are eight Members. During the time when the appointments are going to be made, all these factors will be taken into account. I am just placing before you the facts.... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप बैठ जाइए।

(Interruptions)\*

SHRI KAPIL SIBAL: I am placing before you a Bill, which was sent to the Standing Committee. All the Members of the Standing Committee applied their minds, and therefore, the Bill is before the House.

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, चेयर की ओर देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आप चर्चा में अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब चर्चा होगी, तब आप सलाह दीजिएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में नहीं जा रहा है, आप बैठ जाइए।

\_

<sup>\*</sup> Not recorded

## (Interruptions) \*

श्री कपिल सिब्बल: आप मुझे अपनी बात तो कहने दें। ...(व्यवधान) मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर चर्चा में यह बात आती है और सभी लोग यह मानते हैं कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो हम कर देंगे। ...(व्यवधान)

श्री ह्क्मदेव नारायण यादव: अभी हाउस में जितने सदस्य हैं, उनका बहुमत है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: आप बैठ जाइए। मैं कह तो रहा हूं, मैंने आश्वासन तो आपको दे दिया है, अब और क्या कहूं? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: अगर हमने 26 में से 25 मांगे मान ली हैं और आप चाहते हैं कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन हो, तो हम कर देंगे। इसमें दिक्कत क्या है? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब चर्चा में बात आयी, तो जवाब में मंत्री जी आपको बतायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मंत्री जी अभी विषय का बोध करा रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी का हवाला दे रहे हैं। यह कोई मैन्डेट्री नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी जो कह दे, उसको हम लोग मान लें। हमारी नीति है कि हमें ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबको ध्यान देना है, बाकी इसकी मैरिट, डीमैरिट और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, कौन एजेंसी है, कौन विद्वान लोग आपको सजेस्ट किए हैं, यह तो हम लोग बहस में भाग लेंगे। यह ओबीसी के लिए कोई कृपा की बात नहीं है कि आप कृपा करिएगा। इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो विषय को यह रख रहे हैं। हम इनका पक्ष यह ले रहे हैं कि विषय का बोध हम लोगों को करा रहे हैं, फिर हम लोग बोलेंगे और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: ये ओबीसी को छोड़ रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अभी विषय को रख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, जब जवाब देंगे तो बतायेंगे कि क्या करेंगे?

...(व्यवधान)

-

<sup>\*</sup> Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। मंत्री जी को विषय रखने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल: जब मैं कह रहा हूं कि हम इसका समर्थन करते हैं तो दिक्कत क्या है? ...(<u>व्यवधान</u>) फिर भी आपको बोलना है तो बोल लीजिए। ...(<u>व्यवधान</u>) जब हम कह रहे हैं कि आपकी जो मांग है, उसको हम रूल-12 में, प्रधानमंत्री के पास जा कर, इसी बी उनकी सहमति ले कर, इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट मंडे को ले आएंगे तो क्या दिक्कत है? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: अभी यह पास कहां हुआ है कि आप अमेंडमेंट ले आएंगे। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मंडे को अमेंडमेंट ले आएंगे।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: यह पास तब होगा जब हम लोग इसे पास करेंगे।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, इन बीटवीन रूल-12 के अंतर्गत संशोधन के लिए जा सकते हैं। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him speak, please.

... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने बोल दिया कि इसे स्वीकार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर सभी को रेप्रजेन्टेशन देना है तो इस बिल में माइनॉरिटी का भी रेप्रजेन्टेशन होना चाहिए।...(<u>व्यवधान</u>) मैं सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि हम उनका भी रेप्रजेन्टेशन लेंगे। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: आपने बोल कर गलती की। ...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल: हमने कोई गलती नहीं की। हमने आप लोगों की सलाह मांगी थी। ...(व्यवधान) बिना सलाह के हम अपनी ओर से कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: If you allow me to speak, I am just introducing the Bill. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग बाद में बोलिएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इन्हें विषय को रखने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अभी डिबेट नहीं चल रहा है।

...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the other thing that we have done is that as far as the appointment of members of the Authority is concerned, we believe that that Committee should be chaired by a National Research Professor instead of a bureaucrat. In the original Bill, that was to be chaired by a bureaucrat. We think that is not appropriate and that is also the recommendation of the Standing Committee. So, instead of the Cabinet Secretary chairing such a committee, we will have a National Research Professor who is either a person, who has been a National Research Professor, or a person who is presently a National Research Professor. The individuals who will be appointing or recommending the members of the Authority will consist of various disciplines from law, medicine and people who had been Vice-Chancellors of Universities.

The Standing Committee also recommended that the role of the NAAC and NBA in providing research and development accreditation to the regulator should continued to offer their expertise and we have accepted that recommendation also. To prevent the overlapping of role; it has been made clear that academic standards will be laid down by the appropriate regulatory authority, namely AICTE, MCI

and BCI. The norms and the guidelines on the process of accreditation would be provided by the Accreditation Regulator. That is really the format of this Bill.

Since registration is granted for a period of 10 years, the Standing Committee recommended that it should be only for a period of five years. We have also accepted that recommendation. The Standing Committee further said that for contravention of the provisions of the Bill, instead of two years imprisonment and Rs.10 lakh fine, the imprisonment should be reduced to three months and Rs.5 lakh fine. We have accepted that recommendation also

Most of these recommendations, as I have indicated, have been accepted by us. The constitution of the Committee, the functions of the Authority, the registration of accreditation agencies, all have been described in great detail in this Bill and the duties and obligations of accreditation agencies have also been set up as well as offences and penalties.

I state that this will bring about a sea change in the present education structure of our country. It will bring about quality. All institutions of higher education would be subject to very strict regulations and standards. Only then, will our young get quality education, which is our dream and when we get quality education, we will be able to compete with the best in the world.

With these words, Sir, I commend this Bill to the distinguished Members of this House.

#### MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to make provisions for assessment of academic quality of higher educational institutions, programmes conducted therein and their infrastructure through mandatory accreditation by independent accreditation agencies and to establish a statutory Authority for the said purpose and to provide for matter connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। रास्ते में 4-5 रुपये में जो कंगन मिलता है, उसे हमारी मां, बहनें खरीदकर घर लेकर आती हैं क्योंकि वह सोने जैसे दिखता है। घर में लाने के बाद पता लगता है कि वह मिट्टी, प्लास्टिक का यानी नकली है। मंत्री जी का भाषण सुनते वक्त ऐसा लग रहा था कि यह सोने का कंगन है, लेकिन अंदर जाकर देखें तो इस बारे में क्या कहें, वह शब्द आप पर छोड़ देता हूं।

हमें एजुकेशन सैक्टर में रिफार्म्स चाहिए। आपकी सोच सही है और हम भी इसी ढंग से सोचते हैं। रिफार्म्स आना ही चाहिए। आजादी के तुरंत बाद हमने संविधान संशोधन के वक्त जो सोचा था, आज भी हम उसी हिसाब से जा रहे हैं। अगर इससे पहले अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टेटस के बारे में सोचें तो पता चलेगा कि यह कंगन सोने का है या मिट्टी का है। हम किस चीज को मार्किट में बेचने जा रहे हैं। हम किस चीज को अपने देशवासियों के सामने रखने जा रहे हैं, तब पता चलेगा। जब आजादी मिली थी, तब हमारे देश में करीब 20 यूनीवर्सिटीज, 500 कॉलेज थे। अब हम बढ़ गए हैं। अब करीब 504 यूनीवर्सिटीज हैं और लगभग 30 हजार कॉलेज हैं। एक्रिडिटेशन की बात तो उठती है, लेकिन एक-तिहाई एक्रिडिटेशन भी नहीं हो पाया है। हमने 1956 एक्ट के तहत यूजीसी का गठन किया। उसके अंदर नैट, एमबीए का हुआ। उसके बावजूद हम एक-तिहाई कॉलेज, यूनीवर्सिटीज का भी एक्रिडिटेशन नहीं कर पाए। कुल मिलाकर 504 में से अब तक 140 यूनीवर्सिटीज एक्रिडिटेड हैं। लगभग 30 हजार कॉलेज में से 3,492 कॉलेज ऑलरेडी एक्रिडिटेड हैं। हम इतने पीछे क्यों रह गए, यह सोचने की बात है। पहले मैनडेटरी नहीं था, हम मैनडेटरी करने जा रहे हैं। इसका स्वागत है। मैनडेटरी करना चाहिए। अगर हम इंटरनैशनल स्टैन्डर्ड के हिसाब से देखें तो दुनिया के किसी भी देश में, चाहे यूएस, यूके, जापान, जर्मनी हो, एक्रिडिटेशन मैनडेटरी नहीं है। िफर भी हम इंडिया का ब्रांड साबित करने जा रहे हैं, एक्रिडिटेशन मैनडेटरी करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि इसका स्वागत है, मैनडेटरी कर लीजिए

इस बिल में बहुत सारे विषय बताये गये हैं। लेकिन पहला मुद्दा यह है कि हमारी क्या स्थिति है? हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को अच्छी शिक्षा मिले और वह उन लोगों की पहुंच में हो। यह सराहनीय बात है, लेकिन स्टेटस क्या है? हमारा जीईआर यानी ग्रास ऐनरोलमैंट रेशियो क्या है? हम जो भी बात करते हैं, हर वक्त इंटरनैशनल स्टैंडर्ड का जिक्र करते हैं। हमारे देश की क्या स्थिति है? हमारा ग्रास ऐनरोलमैंट रेशियो, मेरे पास प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, डाटा है। मैं किसी अखबार में आया हुआ डाटा लाकर आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, यह प्लानिंग कमीशन का डाटा है। हमारा 12.6 परसेंट जीईआर यानी ग्रास ऐनरोलमैंट रेशियो है। हमारे यहां सौ में से सिर्फ 12.8 परसेंट बच्चे पढ़ाई के बाद हायर

एजुकेशन में दाखिल होते हैं। यह हमारे देश की स्थिति है। नॉलेज कमीशन और यशपाल कमेटी की रिपोर्ट, दोनों ने कहा था कि यह रेशियो बढ़ना चाहिए। खुद मंत्री जी ने मान लिया था कि हम कम से कम 15 प्रतिशत तक पहुंच पायें। इंटरनैशनल स्टैंडर्ड तो और भी अलग है। यू.एस. में 80 परसेंट है, यू.के. में 49 परसेंट है, मलेशिया में 27 परसेंट है और फिलीपिंस में 31 परसेंट है। इसके साथ एक कैब कमेटी की रिपोर्ट है। वर्ष 2005 में कैब कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया है —

"Courtry-wise evidence shows that no country could become an economically advanced country if the enrolment ratio in higher education was less than 20."

हम हमेशा जीडीपी की बात करते रहते हैं, जिसका असली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ आंक़ड़ों का खेल है। इसे हर कोई जानता है। हम हर वक्त जीडीपी का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमैंट के लिए मिनिमम 20 परसेंट ऐनरोलमैंट रेशियो होना चाहिए, यह वर्ष 2005 की कैब कमेटी की रिपोर्ट है। हमें 20 परसेंट तक पहुंचने के लिए कितना वक्त चाहिए, यह सोचने की जरूरत है। आज हकीकत क्या है, जानने मे क्या दिक्कत है, कितना समय चाहिए, क्या रोड मैप है, वह हमारे सामने नहीं है। अगर हम अपनी स्थिति बतायें, स्टेट यूनीवर्सिटीज का तो छोड़ दीजिए। 15 सैंट्रल यूनीवर्सिटीज हैं, जिसमें से आठ यूनीवर्सिटीज के लिए हम अभी तक जगह नहीं दे पाये। इसी सदन में बिहार की मोतिहारी यूनीवर्सिटी का जिक्र आया था। उसके लिए अब तक स्थल नहीं मिल पाया। ...(व्यवधान) गया भी है, कई सारे हैं। 15 यूनीवर्सिटीज में से आठ यूनीवर्सिटीज को हम अभी तक जगह नहीं दे पाये। ...(व्यवधान) वह अलग बात है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बोलने दीजिए। वह अपना विषय रख रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े: हमने पिछड़ी जनजातियों का जिक्र किया। एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी का जिक्र किया। यह तस्वीर हमारे सामने है। ओबीसी का ऐनरोलमैंट रेशियो सिर्फ 8 परसेंट है। इंटरनैशनल स्टैंडर्ड सपनों की बात लगती है। वह बहुत दूर की बात है। हम ओबीसी में नैशनल स्टैंडर्ड तक भी नहीं पहुंच पाये, एससी और एसटी का तो बहुत चिन्ताजनक विषय है। उनका रेशियो सिर्फ 5.4 परसेंट है। हमें 20 परसेंट तक पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए, यह जवाब हम मंत्री जी से चाहते हैं। हमारा ऐनरोलमैंट रेशियो अर्बन एरिया में ज्यादा है, देहातों में बहुत कम है देहात के लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वहां का जो फीस स्ट्रक्चर है, डोनेशन है, वह उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए अर्बन एरिया के, नगरवासी वहां पर हायर एजुकेशन पा सकते हैं, लेकिन देहात के लोग अब तक हायर एजुकेशन से बहुत

दूर हैं। उन लोगों का रेशियो है - देहात से आए हुए लगभग तीन प्रतिशत हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं और अर्बन एरिया से आने वाले करीब 15.9 प्रतिशत एनरोल होते हैं। इसका फर्क आप देख सकते हैं। ...(व्यवधान) हायर एजुकेशन में हमें इन सभी चीजों को देखने की जरूरत है - एक, शिक्षा तक पहुंच, समानता, सभी को शिक्षा मिले चाहे वह देहात का हो या नगर का निवासी हो। सभी को शिक्षा मिले, इसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन अब तक हम पीछे मुड़कर देख ही नहीं पाए कि कहां तक हमारी पहुंच है और कहां तक सरकार पहुंच नहीं पाई है। देहात के लोग अब तक शिक्षा नहीं पा सके, यह चिंताजनक विषय है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणांचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में एनरोलमेंट रेशियो औसतन 8.8 प्रतिशत से कम है। ओबीसी, एससी, एसटी को छोड़कर 8.8 प्रतिशत से नीचे है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्य दूसरी कक्षा में आते हैं जहां पर एनरोलमेंट रेशियो 8.8 से 12.8 प्रतिशत तक है। जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम और नागालैण्ड में एनरोलमेंट रेशियो 12.8 प्रतिशत से ऊपर है। यह हमारे देश की स्थिति है। इस स्थिति को सामने रखते हुए हमें एक रोडमैप बनाना है। हायर एजुकेशन को देहात तक पहुंचाने के लिए, गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए, पिछड़े-जनजातीय लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रोडमैप चाहिए। क्या ऐसा रोडमैप आपके पास है? ...(व्यवधान) इस देश में एक करोड़ 65 लाख से अधिक विद्यार्थी हर साल एनरोल होते हैं। हम ढंग से शिक्षा कितने लोगों को दे पाए हैं? अब तक अपनी स्थिति यह है कि कहीं तहसीलों में एक कॉलेज भी नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन में हम 80 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसी कितनी तहसीलों में कॉलेज नहीं हैं? क्या हमने इस विषय को सामने रखकर चर्चा की थी? क्या रोडमैप है? अपना रिसोर्स क्या है, रिर्सोस मोबलाइजेशन हम कैसे करते हैं? कैसे उसका इस्तेमाल होगा, कैसे हम उसको खर्च करते हैं, क्या इसका सही रोडमैप हमारे पास है? इसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल एक्रिडिटेशन, फॉरेन एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बात करते हैं। एक कहावत है - नीचे नंगा सिर पर पेटा। नीचे कुछ नहीं है और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कह रहे हैं, एक्रिडिटेशन की बात कर रहे हैं। पहले अपना मान बचाएं, बाद में देखा जाएगा। रिफार्म्स तो चाहिए, लेकिन इस सेक्टर में रिफार्म्स चाहिए। जब खड़े होने के लिए मेरा पांव ही ठीक नहीं है, तो सिर का क्या होगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: शान्त रहिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: पेटा का अर्थ है पगड़ी। यह अपनी स्थिति है आज। इस स्थिति को सामने रखते हुए सोचना होगा कि क्या रिफार्म्स करना है। सबसे अज़ीब बात यह है कि हमने बहुत क्रांतिकारी वेदना से 09.08.2012 74

इस बिल को सदन में पेश किया है और यह कहा है कि हम वह करेंगे, हम वैसा करेंगे, इंटरनेशनल स्टेंडर्ड के स्तर पर अपने देश के एजुकेशन सेक्टर को लाकर खड़ा कर देंगे, इतनी युनिवर्सिटीज़ होंगे? आपको कितनी युनिवर्सिटीज़ चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमें कम से कम 40,000 कॉलेज़ चाहिए और कम से कम पांच से छः हजार युनिवर्सिटीज़ चाहिए। यह आपका ही बयान है और आपने ही माना था कि कम से कम इतना चाहिए। लेकिन हम अभी तक 500 तक ही नहीं पहुंच पाए, पांच हजार युनिवर्सिटीज़ तक कैसे और कब पहुंचेंगे? यह मैं असलियत बता रहा हूं।

यह सदन साक्षी है, जब इस सदन में रानी झांसी बाई एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का बिल आया था तो सभी सदस्यों ने मिलकर उसका विरोध किया था, क्योंकि वह असंवैधानिक था। उसी ढंग से आपने इस बिल को पेश कैसे किया, यह समझ में नहीं आता। मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने सीनियर एडवोकेट हैं। आपके सामने मैं बहुत छोटा हूं, मैंने आपके जितना कानून नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं कह सकता हूं कि बिना कानून समझे आपने इस बिल को सदन में कैसे पेश किया। यह सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं।...(व्यवधान) मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यह एजुकेशन के संवैधानिक दर्जे की बात है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों, सर्वश्री मदन मोहन पूंछी, के.एन. सिंह, आर.सी. लाहोटी, ए.एस. आनन्द आदि की रिकमंडेशन है कि यह अंसवैधानिक है, यह सदन के सामने रख ही नहीं सकते और यह आप पारित ही नहीं कर सकते। फिर क्यों रखा गया है, मैं कोई भावनात्मक पहलू से बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग चाहते हैं कि युनिवर्सिटी सेवंथ शिड्यूल में आती है, संविधान के सेक्शन 249 के तहत संशोधन कर लेंगे, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संविधान में साफ लिखा हुआ है, आपको भी मालूम है और इस बारे में चिट्ठी भी आई है। आर्टिकल 246 में लिखा है, मैं कोट करना चाहता हूं-

"Notwithstanding anything in clause (3), Parliament and subject to clause (1), the Legislature of any State also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "Concurrent List")."

इसमें युनिवर्सिटीज़ है ही नहीं। सेवंथ शिड्यूल में सम्बन्धित आर्टिकल में 42वां अमेंडमेंट लाए थे सेक्शन 44 में तो उसके बाद संविधान ने कहा है कि वह स्टेट लिस्ट में है इसलिए उसे नहीं कर सकते।

Article 248:-Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent list or the State list. It was mentioned in Article 248. आर्टिकल 248 के तहत आप रख ही नहीं सकते। संविधान संशोधन किये बिना यह बिल पारित हो ही नहीं सकता, गैर-संवैधानिक होगा और यह हम नहीं कह रहे हैं यह बात



पहले वाले पांच-पांच चीफ जस्टिस कोर्ट केस का सबूत रखकर कह रहे हैं कि यह हो नहीं सकता है। इसके बाद भी पेश किया गया क्योंकि इस देश में कुछ भी हो सकता है।

स्टेंडिंग कमेटी का जिक्र किया गया है। पिछली बार जब बिल पेश किया गया था। मेरी छोटी बेटी मैं मान सकता हूं कि कहानी बहुत अच्छी लिखती है लेकिन पहला बिल उससे भी खराब था, बिना सोचे-समझे, किसी से कोई सलाह किये बिना वह बिल सदन में पेश किया गया था। मंत्रालय को सभी के साथ मंत्रणा करके, चर्चा करके, संशोधन करके बिल सदन में पेश करना था उस काम को स्टेंडिंग कमेटी ने बहुत एलोबोरेटिड होम-वर्क करके किया, इसलिए हम स्टेंडिंग कमेटी के आभारी हैं। मंत्रालय के प्रति हम आभारी नहीं हैं क्योंकि मंत्रालय ने जो कुछ किया वह तमाशा किया। हिंदुस्तान के किसी भी बिल में ऐसा नहीं आ सकता है कि पैनल्टी क्लॉज में गवर्नर को लाकर जेल में बंद करे, इस बिल में वह भी था क्योंकि चांसलर वे ही रहते हैं, वाइस-चांसलर अलग-अलग होते हैं। चांसलर यूनिवर्सिटी के गवर्नर ही होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी गलती की तो गवर्नर को ले जाकर कैद कर देंगे। मैं यह नहीं समझता हूं कि पढ़े-लिखे, जाने-माने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट यह गलती करेंगे, मंत्रालय यह गलती करेगा। यह सदन की अवमानना है कि परामर्श के बिना ऐसे बिल को पेश किया गया। क्या सदन में बैठे सभी लोग अनपढ़ हैं, अनजान हैं? ...(व्यवधान)

The Standing Committee recommendation in 2.6 says the Committee has no option but to conclude that like in the other recently proposed legislation envisaged about major policy changes in the higher education sector, the Department has failed to initiate any meaningful dialogue with the major stakeholders on the present Bill also. यह स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है। इसके साथ ही 3.1 में कहा गया है कि it would not be wrong to conclude that in the absence of a thorough consultation process with all the stakeholders which should have been mandatory on the part of the Department. यह भी स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है। लेकिन बहुत आनंद से मंत्रालय ने मान लिया कि the Department is very grateful to the hon. Committee for undertaking wide ranging consultation with all the stakeholders. बहुत आनंद से, बिना जिम्मेदारी के मंत्रालय ने कह दिया। यह जिम्मेदारी स्टेंडिंग कमेटी की थी या मंत्रालय की थी? जो मंत्रालय को करना चाहिए था वह स्टेंडिंग कमेटी ने किया, इसलिए हम दुबारा स्टेंडिंग कमेटी को, उसके माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। बिना परामर्श के सदन के सामने पेश करने की चेष्टा जो की गयी है उसे सदन के सदस्य मान नहीं सकते हैं। लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे।

उपाध्यक्ष जी, किसी दबाव में आकर, जल्दबाजी में बिल बनाना, सदन में पेश करना, कैसे भी करना और यह समझना कि आंकड़ों का खेल है, बिल पास तो हो ही जाता है, लेकिन बाद में इस देश के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सदन की आदत नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में इस बिल को सामने लाने की क्या जरूरत थी?...(व्यवधान) दबाव अलग है, पीछे से दबाव है। केंद्र और राज्यों के सम्बद्ध को नजरअंदाज करके, संविधान की संवेदना को भूल कर, हवा में उड़ा कर जो बिल पेश किया है, मुझे विश्वास है कि इसे सदन कभी पास नहीं करेगा। स्टेक होल्डर्स का तो कभी जिक्र ही नहीं किया गया। अब तक एक्रिडीटेशन करने वाला एक्ट था। अब हम नया बिल बनाने जा रहे हैं। यूजीसी एक्ट 1956 का क्या होगा? यूजीसी का क्या होगा और क्या यूजीसी को विश्वास में लिया गया भूनि It is an over-riding exercise. यूजीसी ही अभी तक करता था। यूजीसी के लिए डेढ़ साल से फुल टाइम चेयरमैन नहीं है। दस हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा हम ग्रांट देते हैं, अभी तक वहां फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। यूजीसी में फुल टाइम सैक्रेटरी नहीं है। यह हमारी स्थिति है। नई सोच के साथ हम गुजर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था " नीचे नंगा, सिर पर पेटा। " असलियत को न मान कर हम आगे दौड़ रहे हैं। यह हकीकत है। इसके बावजूद भी एक्रीडिटेशन मैनडेटरी बनाने जा रहे हैं। अगर मैनडेटरी करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल है कि मैनडेटरी एक्रीडिटेशन का एजुकेशन सैक्टर में क्या लाभ होगा? हम एक्रीडेटिड हैं, यह सर्टीफिकेट दिखा कर मुझे क्या लाभ मिलेगा? क्या सरकार से एक्सट्रा लाभ मिलेगा या नया स्टेटस मिलेगा? पहले तो सरकारी यूनीवर्सिटीज बाहर थीं। जो एक्रीडिटेशन होता था, दस में से नौ एप्लीकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की आती थीं। वे एक्रीडिटेशन सर्टीफिकेट ले जा कर मार्केट में दिखा देते थे कि हमें "ए" केटेगिरी का एक्रीडिटेशन मिला है, " बी " केटीगिरी का मिला है, हम अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्युशन हैं, इसलिए आप हमारे पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। यूएसए में हो, यूके में हो या जर्मनी में हो, वहां प्राइवेट सैक्टर को एक्रीडिटेशन बाडी के नाते इन्क्लूड किया गया। वहां क्या हो रहा है? वहां यह बहुत बड़ा धंधा बन गया है। यहां पर भी हम एक्रीडिटेशन देते हैं। एक संस्था के बजाय कई सारी संस्थाएं होंगी, तो एक्रीडिटेशन ठीक होगा। हम मौजूदा हकीकत को समझ नहीं पाए, तो एक के बजाय कई लोग यहां आ कर क्या करेंगे? मार्केट में इससे सौदेबाजी का कम्पीटिशन बढेगा। इसका कोई ज्यूरीडिक्शन तय नहीं किया गया। कर्नाटक की एक्रीडिटेशन एजेंसी कर्नाटक में रहेगी, गुजरात की गुजरात में रहेगी, यूपी की यूपी में रहेगी, ऐसा नहीं है और जो एक्रीडिटेशन देंगे उसे मानना ही पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। एफलिएटिड ट्रिब्यूनल में हम जा सकते हैं। अगर कोई दिल्ली की एक्रीडिटेशन एजेंसी मुझे एक्रीडिटेशन देता है, उसे मानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं केरल में जाऊंगा और वहां से खरीद कर ले आऊंगा तथा बाद में दिखाऊंगा कि

मुझे " ए " केटिगिरी मिली है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाता है? हम कानून बनाते हैं, लेकिन कानून के नीचे जो अंधाधुंध व्यवहार चलता है, उसे रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है? कानून तो बन जाता है, कोई भी कानून बना सकता है। इसके पीछे जो अंधाधुंध व्यवहार चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, क्या कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार नहीं है? मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं। नैट के प्रति कितनी शिकायतें हैं? मेरे पास डेटास हैं। एआईसीटी, एमसीआई और नैट के प्रति कितनी शिकायतें आई हैं? किस नेचर की शिकायतें हैं? क्या हम ध्यान में रखकर ये कर रहे हैं? आज हम दो-तीन संस्थाओं को नहीं निभा पाए हैं, कल अगर सैकड़ों संस्थाएं आएंगी, एक्रीटेशन एजेंसी आएंगी, हम कैसे उनको संभाल पाएंगे? भ्रष्टाचार आज उंगलियों में गिन सकते हैं। उतना भ्रष्टाचार का केस अपने सामने दिखाई देता है लेकिन अगर सैकड़ों संस्थाएं आएंगी, क्या संस्थाओं को मैनेज करने के लिए दुबारा दूसरा संगठन हम तय कर देंगे? कमेटी पर कमेटी बैठती रहती हैं। इस देश का क्या व्यवहार है, इस देश में यह क्या हो रहा है? यह सोचने की बात है। पिछले 50 सालों से हम एक्सपेरीमेंट के शिकार बनते जा रहे हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। हर तरह से अपने मुल्क पर एक्सपेरीमेंट किया जाता है।

जो सदन के सामने यह बिल पेश किया गया है, यह बिल एक तो असंवैधानिक है और दूसरा इसका कोई रोड मैप नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: I did not want to interrupt the distinguished Member. But the Constitutional validity issue has been discussed threadbare in the Standing Committee itself. There is a whole chapter on Constitutional validity of the Bill and the Standing Committee has said the following:

"The Committee is of the view that reservation of the Indian Council of Universities about the Constitutional validity of the proposed legislation does not seem to be well placed. As pointed out by the Department after insertion of Entry 15 of List 3, Parliament is fully competent to legislate on matters relating to higher education including universities. One must also not forget that the enactment of legislation proposing setting up of a regulatory authority for assessment and accreditation by various agencies is necessary to maintain the standards of higher education within the country as well as to protect the interests of students. Assessment and accreditation

are the effective means of quality assurance in higher education the world over. Having such a mandatory system would go a long way in facilitating credible information about institutions and in the process assisting student mobility across institutions domestic as well as international. In such a scenario education being in the concurrent list, initiative taken by the Department for formulation of a Central law aimed at ensuring quality of education should be considered a welcome step by all concerned."

श्री अनंत कुमार हेगड़े: उपाध्यक्ष जी, उसी कमेटी ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि मेनडेटरी करने के लिए संविधान का संशोधन करके आप करिए। यह भी सिफारिश की है। आपकी मिनिस्ट्री से रेस्पांस आया है,...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: आपके सारे लीडर्स से मेरी बात हुई है।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: यह लीडर्स का सवाल नहीं है। यह सदन का सवाल है।...(व्यवधान)

श्री किपल सिब्बल : आप कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक है। पहले आप अपने लीडर्स से पूछिए।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े: एक दो लोग बैठकर समझौता करने से सदन का ओपिनियन नहीं होगा। सरकार का रिप्लाई मैं बता देता हूं।

"The Department would prefer to extend the provisions of mandatory accreditation under the legislation to institutions engaged primarily in agricultural education. However, the Constitutional mandate for making provisions of mandatory accreditation under the legislation to institutions engaged primarily in agricultural education. However, the Constitutional mandate for making any law concerning agricultural education vests in the States by virtue of Entry 14 of State List of the Seventh Schedule of the Constitution."

SHRI KAPIL SIBAL: Agriculture is not included in this.

#### 15.00 hrs

श्री अनंत कुमार हेगड़े: यूनिवर्सिटी एक स्टेट सब्जैक्ट है, आप एग्रीकल्चर भूल जाइये। यूनिवर्सिटी स्टेट सब्जैक्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर की तरफ देखकर बोलिये, मंत्री जी से 🚃 बोल रहे हैं।

SHRI ANANT KUMAR HEGDE: Therefore, the Parliament has the power to make law on a subject enumerated in the State List only in accordance with the provision of article 249 (1) of the Constitution. आप ही का रिस्पांस है। राज्य सभा में हम एक रिजोल्यूशन पास कर देंगे और उसके बाद हम कर लेंगे, यह रोडमैप है, यह इन्हीं का रिस्पांस है, इनके मंत्रालय का रिस्पांस हैं। आर्टिकल 249(1) क्या कहता है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ एक साल होती है। राज्य सभा में अगर रेजोल्यूशन पास करेंगे तो एक साल के बाद क्या होगा। एक साल के बाद सदन में फिर से आना होगा। यह इन्हीं लोगों का कहना है। Therefore, the two ways by which the provisions of the legislation could extend to institutions imparting agriculture education are 1) by States voluntarily enacting laws that vests the power to undertake mandatory accreditation on State institutions or 2) by moving a motion for a resolution by the Rajya Sabha to extend the provisions of the legislation to institutions imparting agriculture and State institutions before doing so.

SHRI KAPIL SIBAL: Agriculture is out of this Bill, how can we pass a resolution?

श्री अनंत कुमार हेगड़े: मैं स्टेट सब्जैक्ट की बात कर रहा हूं और यूनिवर्सिटी स्टेट सब्जैक्ट में आता है। SHRI KAPIL SIBAL: Agriculture is a State subject, but not universities. You do not know what is to be done, unfortunately.

श्री अनंत कुमार हेगड़े: आप एग्रीकल्चर भूल जाइये। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहा हूं, सैंट्रल यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। नींद में सोये हुए को जगा सकते हैं, लेकिन नाटक करने वालों को जगा नहीं सकते। बिना सोचे-समझे अगर गलती हो जाती है तो हम मान लेते हैं, नीति खराब है, हम मान लेते हैं। लेकिन अगर नीयत खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते। अगर सोच-समझ के बावजूद भी ये गलतियां हो जाती हैं तो इन्हें इन्टैंशनल कहा जाता है। मैं भाषा थोड़ी समझता हूं, अगर गलती हो जाए तो क्षमा किरिये। एक ओर क्रिमिनल प्रोसीजर चलाते हैं, सिविल कोर्ट का जिक्र करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी, किसी संस्था को इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाना हो तो कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है, उन्हें ट्रिब्युनल में जाना होगा। कितने लोग समझ पायेंगे कि ट्रिब्युनल कहां है, क्या है, कानून क्या है। अपनी तहसील में जो मौजूदा कोर्ट है, अगर वहां जाना हो तो हम जानते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ट्रिब्युनल हम कहां ढूंढेंगे। आम जनता के हित में यह बिल नहीं लाया गया है, यह बिल आम जनता को कंफ्यूज करने के लिए लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, इस पर बोलने वाले बहुत माननीय सदस्य हैं और समय उतना ही है।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अब तक जो चला था, यह खेल बहुत छोटा है, असली खेल यहां है, हकीकत यह है। चैप्टर - 4 मिसलेनियस में 'Power of Central Government to exempt' यह 49 में इन लोगों का जो ऑप्शन है, जो भी संस्था हो, उसे इन कानूनों से बाहर रखने के लिए इन लोगों के पास सुविधा है। मैं आपको 49 पढ़कर बताता हूं। क्लॉज़ 49 के तहत- "The Central Government can exempt any institution from the purview of the Bill." मैं यह सब पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, बिल में पूरी डिटेल्स हैं। केन्द्र सरकार के पास यह सुविधा है। इसमें क्लॉज़ 49 के तहत एग़ज़ैम्प्ट करने का अधिकार है, लेकिन फॉरेन एजुकेशन बिल के चैप्टर-4, मिसलेनियस में -

"Notwithstanding anything contained in this Act, the Centra-Government may, by notification on the recommendations of the Advisory Board constituted under sub-Section 2 having regard to the reputation and international standing of Foreign Education Institution and such other criteria as may be prescribed, exempt such institutions from operation of any of the foregoing provisions other than sub-Section 3 of Section 5 and Section 8."

इसका मतलब क्या है? इतना सारा तमाशा करके पिछले दरवाजे से फॉरेन एजुकेशन इनस्टीट्युशन्स को पुरा माफ करके इस देश में लाकर बैठाया जाएगा।

श्री कपिल सिब्बल: किसने कहा?

श्री अनंत कुमार हेगड़े: यह आपका बिल कह रहा है। यह असलियत है। यह मेरी शायरी नहीं है, आपकी ही लिखी हुई कहानी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया चैयर को एड्रेस कीजिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: असलियत यह है कि फॉरेन एजुकेशन इनस्टीट्यूशन्स को पीछे से लाया जाए। बहुत बड़ा मंडप सजा कर, इनवीटेशन देकर। मेहमान कौन होंगे, अपने ही लोग होंगे, शादी करवाने वाला कौन होगा, अपना ही होगा। लेकिन शादी किससे होगी, जापान से होगी, यूएसए से होगी, कोलम्बिया से होगी। यह हकीकत है।

उपाध्यक्ष जी, इस विषय को सामने रखते हुए, पहला- मोस्ट अनकानस्टीट्यूशनल। नंबर दो- इसके पीछे खेल अलग ही है। यह मंत्री जी मान सकते हैं कि उन्हीं का पेश किया हुआ बिल यह रिफलैक्ट करता

है। एक्रीडिटेशन बिल और फॉरेन एजुकेशन बिल को सामने रखकर देखेंगे तो पीछे के दरवाजे का खेल अलग ही है। फॉरेन एजुकेशन को हिन्दुस्तान में लाना और हिन्दुस्तान में फॉरेन युनीवर्सिटी बढ़ाना।

उपाध्यक्ष जी, हम लोग एफडीआई का सपना देख रहे हैं। लेकिन एफडीआई किसके लिए एलाऊ किया जाता है। जिस क्षेत्र में पैसों की कमी हो।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी बात है। एफडीआई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारा पैसा विदेश से आ जाएगा और इस देश में समृद्धि हो जाएगी। एफडीआई का मतलब यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम बिकाऊ बन गए, इसलिए खुला है। आइए, अपने इनफ्रास्ट्रक्चर में इनवैस्ट कीजिए और ले जाइए। अपने इनस्टीट्यूशन में इनवैस्ट कीजिए और ले जाइए। बाद में सभी सैक्टरों में एफडीआई आ जाएगी। रिटेल सैक्टर में भी एफडीआई का है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बिल पर बोलिए। यह विषय अलग है। जब यह विषय आएगा, तब बोलिएगा।
श्री अनंत कुमार हेगड़े: इसके पीछे तमाशा क्या है? यह बिल लाने का एक ही मकसद है कि पीछे के
दरवाजे से फॉरेन एजुकेशन इनस्टीट्यूशन को लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका भाषण हो गया है। अब आप बैठ जाइए। एक मिनट में समाप्त कीजिए। श्री अनंत कुमार हेगड़े: आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं कि इतना देखने के बाद, इतनी कहानी सुनने के बाद मुझे एक प्रेरणा मिली है कि मैं अपनी छोटी बच्ची से एक कहानी लिखवाना चाहता हूं और उसका अनावरण मंत्री जी से करवाना चाहता हूं, उसका नाम होगा "सिब्बल के सपने '।

DR. K.S. RAO (ELURU): I sincerely thank the hon. Minister Shri Kapil Sibal for getting this Bill early. The reason is that the quality education is the key for the economy of any country. If the quality is not there in the education, then the citizens will not be competent to produce wealth. The institutions are sought to be upgraded for that.

As you have said it was voluntary earlier in spite of the efforts made by the Government of India through NAAC.

# <u>15.11 hrs</u> (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

You have said yourself about NBA, it is only 30 per cent which has been accredited so far. The assessment said that even 90 per cent accredited institutions are not up to the satisfaction. Only 30 per cent are accredited because it is voluntary on their part. Even out of that 30 per cent, 90 per cent of them are not up to the standards. So, naturally, it is very urgent that it must be made mandatory and you must ensure that those standards are maintained properly by these institutions and the penalties that are also levied at least make them fear to maintain it. So, I really appreciate it and I wish that he must ensure that the Bill should be passed at the earliest.

I heard Shri Anant Kumar Hegde. I do agree that by virtue of his belonging to the BJP, he is finding fault with the Bill. I would like to say that finding loophole with the Bill is nothing wrong but all the time I have observed that he was pessimistic. He was telling that the Bill should not be passed at all. He is advising the whole House not to pass the Bill. It means that we are obviously putting a block on the upwards by the Government to bring a quality education to this country. I would like to say that we are lagging behind but certainly we are not blocking the way of the Bill. We are not blocking the accreditation agency to choose to lay standards with regard to the education.

I agree that the hon. Minister himself said that Gross Enrolment Ratio with regard to India for higher education is far below compared to the developed

nations. He is also agreeing that even in the developed nations' accreditation is being done. The accreditation is not for business. The accreditation is to maintain the quality of the education in any country. Everybody appreciates this thing. Were all the developed countries fool to bring accreditation into the administration? As our country is so big and the numbers of people are so many, it cannot be done by one organization. So, he is creating a regulator and he wants to get it done through an outsourcing agency or through a Government agency. I would like to say whether it can be the Government of India, State Government or a public sector enterprise. The Government is not allowing any private sector in this. It is imperative that we have to bring this Bill and pass it immediately. You yourself have read that the efforts made by the Standing Committee and they are also clearing that it is constitutional. It is within the authority of the Parliament to pass this Bill. We appreciate it.

In this context, I just would like to bring to your notice some of the apprehensions which I also have in spite of being a Congressman or part of the UPA-II Government. The purpose of this Bill is excellent to assess the quality and giving a benchmark to each institution so that they will compete with each other and then come to a standard. While doing so, you are laying standards perfectly with regard to teaching, learning, research, curriculum, contribution to the knowledge, infrastructure and so many other things.

You are telling that no institution can start admission without the approval of the Authority. Giving this Authority to AICT means all the engineering colleges or professional colleges to be started in any part of the country which were used to be permitted by the respective State Governments have to now necessarily come and get approval from AICT. Now by this I apprehend, even a degree college or a post-graduate institute whether it is in arts or scrences or social sciences or humanities which is to be started in the country will have to be with the approval of the Regulatory. It is said that after 12 years of education, colleges and universities are included in this Bill. I just wanted to bring it to your notice what

would be the state of starting colleges. Should they have to take permission of the Regulatory in any part of the country? I just wanted to know this from you.

Then, I am happy that you have taken the advice of the Standing Committee and changed the term of the registration from 10 years to five years. I also felt ten years is too long for registration because we will be giving ample opportunity for them. You cannot rely on the institutions that they will maintain standards for ten years after taking the registration. So, it is better if it is renewed or monitored regularly. If they are maintaining the standards, there is no harm in renewing the registration. But once we give it for ten years, there will be slackness on the part of the institutions. So, your reducing it to five years is good and you can think in terms of whether it can be reduced further.

Similarly, you have taken the advice of the Standing Committee for increasing the number from 1+4 to 1+8. It is also good. Your thinking in terms of putting the SC/ST or even assuring the OBCs and the minorities is also all right. There is nothing wrong in it.

SHRI KAPIL SIBAL: We will do it but the only problem is that there is a bench mark by the Supreme Court of India that more than 50 per cent reservation cannot be there. So, we will have to increase the numbers from 8 to 11 and then get the minority and the OBC and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women in so that it is not more than 50 per cent. That we will do. We will increase the number to 11 and then we will have all the representation of everybody.

DR. K.S. RAO: I am happy that you are increasing the number and including the SCs/STs, minorities and OBCs.

I just wanted to know whether there is any limit in the number of accrediting agencies that you have in mind or it will be unlimited. The unlimited number of accrediting agencies will possibly bring the same evils of what we have seen earlier. I would request you to think seriously whether we can limit the number to a reasonable level rather than keeping it as unlimited.

In regard to choosing the accreditation agency, you are telling that the finance also must be self-sufficient. My point is what we need is integrity, an unquestionable honesty, efficiency in their work, their knowledge and not necessarily finance. Finance may not be required. Suppose you say that the limit of finance should be such that they must have a balance sheet of five years with Rs.1 crore or Rs.10 crore. Then only rich people will come in as accreditation agency. But we want only professionals, distinguished scientists, distinguished professors and who are experts in this line and not moneyed people. Even if you keep self-sufficiency in finance, let it be a reasonable limit and not a major limit. I would just request you to think on that.

Then in regard to gradation, you did not mention how many grades will be there and whether it will be a, b, c, d; or a, b, c or only I or II or something of that kind. Similarly, you did not put any clause. Suppose an institution does not apply for accreditation at all, then what would be the situation? We have seen that when it has become voluntary, many of them have not applied or have not taken it in spite of your insistence since 2002 or 2000. That means 12 years have passed. But you have made it mandatory. If it is not applied, then what is the position? It is mandatory now. In that case, are you going to close it? I just want to know that if the institutions were not to apply for accreditation at all, knowing fully well that there are deficiencies in their institute, that they have not maintained their standards and the regulations, then what is the position? Are you going to close it giving a time of five or six years or something like that? I just want you to think on it. If necessary, you may incorporate a clause on that.

In regard to the Selection Committee, you have said that there are four members in the Bill. There is no mention about the member with a professional knowledge in science and technology but by increasing the number, I do not think, it will be a problem now.

The major problem which is affecting the educational standards in this country is only corruption, as my friend has said. This corruption has to be checked with the accreditation agencies also. On that, I am also of the opinion that the law must be very stringent. As suggested by the Standing Committee, you have the period of imprisonment from two years to three months and penalty from Rs. 10 lakhs to Rs. 5 lakhs or both. But I am of the opinion that there must be stringent punishment in this regard because we could not regulate or it has become difficult for us to regulate even one institution. When there are many agencies, it will be very difficult for us to regulate them. So, I wish that there must be stringent punishment in this regard or any complaint, if proved later, must be a non-bailable case. Otherwise, there will always be a pressure. Somebody will get imprisonment for three months and come back and they will pay Rs. 5 lakhs and get away. The amount involved in these things will be running in crores of rupees in the country. So, I wish you to think of the magnitude of corruption that is going on in the country in regard to education and getting approvals, etc. Please see to it as to whether it can be made a non-bailable offence.

In regard to compensation to the institution, you said that only the State Tribunals are responsible for it. In regard to the mistake committed by the accreditation agencies, you said that the Central Tribunal is responsible. Please distinguish between the two of them. Please see whether the Central Tribunal can also have a say on that if the State Tribunal is too lenient in this regard.

I wish that the accreditation agencies should not have members from that particular State and they should be from some other State so that they cannot be influenced by them in this regard.

Regarding standard, you said that they will be mentioned by the concerned regulatory authority. We have seen the performance of AICTE and other agencies. Instead of leaving it to them, you can say that it should be done in consultation with the Central Government or the Central Regulatory Authority. Then we will have a say or control on those things.

As regards monitoring, we must have a separate Vigilance Division. Without constant vigilance, without constant surprise checks, we will not be able to control quality. I am telling this because, unless the quality of education in this country is such where the production of wealth can be done easily by any citizen of the country, we will not be achieving our goal. Countries like Germany, USA, Japan, South Korea and Malaysia have come up because of the quality of education that they are imparting and skills that they are developing there.

Though not connected to this Bill, I want to express my apprehension. I just want to say that allocation of the Government of India to education has increased and it is excellent. You wanted to cut down the drop-outs also and it is excellent. Now, imagine a situation when 90 per cent of the people are studying upto 12<sup>th</sup> standard and we increase the GER also from ten to fifty. Then with this general education, there will be millions of people who are educated. They will think that they have done M.Sc or Ph.D. but when it comes to the question of generating wealth, they will not be able to do anything. Then you will face a lot of problems and it will really be a volcano from the side of unemployed educated people.

So, the education which we are going to impart must be rigorous, must be of quality and there must be productive ability. That means even if they were not in the employment from the Government sources, they must be able to live on their own. So, you please think in that direction whether this education must be vocational in mean or you arrange the skills training separately for many of the citizens of this country. It is particularly in rural areas, from the poorer sections of the society; we have got a large number of youngsters who may not be able to do Ph. Ds., who may not come to the university, but there are people who can acquire

skills very efficiently and very competently and live on their own. So, I wish that this must be taken care of though it is not connected with this Bill.

Sir, you said about the social audit. I also wish the same. When it comes to question of accepting or registering the agency or seeing the standards of the institution, the students, the parents, the teachers and all the people connected must be consulted before finally giving this registration to them or approving the institution. ... (*Interruptions*)

Sir, in regard to revocation when there is a breach on the part of the institution in regard to maintaining the standards or accredited agency not maintaining the integrity or anything connected with that, there must be easy provision to revoke them or to cancel them.

Sir, in regard to the term of the members, you gave five years. You also said, the minimum age must be 55 years and maximum is 75 years and after retirement, they cannot work anywhere for five years. Suppose, if a person of competency were to become a member at the age of 55 years and continue up to 60 years what would be his fate later? So, you please think whether we can do some changes in that regard.

In regard to finance, instead of thinking always of making a provision in the Budget in a large scale in regard to colleges and universities, let the fees be so much that they can be self-sufficient. All the other countries are charging exorbitantly on this aspect.

As far as renewal is concerned, some of the countries are doing every year or every two years or three years by which they are getting some money to feed them only. It is not for getting any benefit, but only to make them self-sufficient.

Sir, in regard to compensation to the accrediting agency, if it goes wrong in accrediting an institution either voluntarily or involuntarily, you said that they have to pay right compensation. But is there any limit in that regard? Is there any gauge or standard by which the compensation must be fixed? So, I wish that a thought must be given to it whether there should be any limit in this regard.

Sir, you said civil society, media, whistle blowers, students and all that will be consulted in this regard. It is excellent. But there also, once again, the Central Authority must have some say on these things. We cannot be carried away because all the sectors are now full of corruption. In this regard, we must be very cautious to ensure that it must be corruption free.

Above all these things, we know that there is a faculty crunch. Unless the numbers of teachers are sufficient in this country, no matter what laws we pass here in the House, it will not help us. So, first of all, please think in terms of increasing the number of quality faculty. Many of the good institutions only have the faculty and rest of the institutions do not have the faculty. In fact, somewhere I read that some of the institutions which are not up to this level are not taking standard teachers. It is because if they take standard teachers, all their loopholes will come out. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Dr. K. S. Rao, you may continue your speech next week.

\_\_\_\_

#### 15.30 hrs

## **PRIVATE MEMBER'S BILLS - Introduced**

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Private Members' Business.

# (i) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011\*

(Insertion of new Chapter VIA etc.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Private Members' Business - Bills for introduction. Item No. 15 - Shri L. Rajagopal.

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI L. RAJAGOPAL: I introduce the Bill.

\_\_\_\_

#### 15.31 hrs

# (ii) LAND ACQUISITION (AMENDMENT) Bill, 2011 \*

(Insertion of new section 44C)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894"

The motion was adopted

SHRIL, RAJAGOPAL: I introduce the Bill.

\_\_\_\_

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 – dated 9.8.12

MR. CHAIRMAN: Item No. 17 -Shrimati Priya Dutt – She is not there. Item No. 18 – She is not there.

Item No. 19 -Shri A.T. Nana Patil.

## 15.31 ½ hrs

# (iii) NATIONAL ASSETS (PROTECTION) BILL, 2011 \*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय आस्तियों की घोषणा करने और मान्यता देने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्र:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

## MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the declaration and recognition of national assets and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

#### 15.32 hrs

# (iv) ANCIENT MONUMENT AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL, 2011 \*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

# MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958."

The motion was adopted.

Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section- 2 – dated 9.8.12

श्री ए.टी. नाना पाटील: में विधेयक प्र:स्थापित करता हूं।

\_\_\_\_

#### 15.32 ½ hrs

# (v) PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) AMEDNEMT BILL, 2012\*

(Amendment of section 2, etc.)

MR. CHAIRMAN: Item No. 46 – Shri Baijayant Panda.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Preconception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1894."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA: I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No. 21 – Shrimati Priya Dutt – not there. Shri Nishikant Dubey.

#### 15.33 hrs

# (vi) TOURISM PROMOTION CORPORATION OF INDIA BILL, 2011\*

श्री निशिकांत दुवे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम की स्थापना करने तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्र:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Tourism Promotion Corporation of India to

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 – dated 9.8.12

promote and develop tourism in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री निशिकांत दुवे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

### 15.34 hrs

## (vii) NATIONAL MINIMUM PENSION (GUARANTEE) BILL, 2011\*

श्री निशिकांत दुवे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी पेंशनभोगियों, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of guaranteed minimum pension to all pensioners including those who have worked in unorganized and private sector in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री निशिकांत दुवे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

\_\_\_\_

MR. CHAIRMAN: Item No.24 – Shri Bhoopendra singh – not present. Item No.25 - Dr. Kirit Premjibhai Solanki – not present.

#### **15.35hrs**

(viii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011\*
(Amendment of the Eighth Schedule)

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): I beg to move for leave to pduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

\* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 – dated 9.8.12

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI AJAY KUMAR: I introduce the Bill.

### 15.35 ½ hrs

# (ix) HEALTH INSURANCE (FOR PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2011\*

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for health insurance for the benefit of persons living below poverty line and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for health insurance for the benefit of persons living below poverty line and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI AJAY KUMAR: I introduce\*\* the Bill.

15.36 hrs

# (x) ENVIRONMENT PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 2011\* (Insertion of new chapter 111A)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Environment Protection Act, 1986."

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2– dated 9.8.12

<sup>\*\*</sup>Introduced with the Recommendation of the President

# (xi) CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL ,2012 (Amendment of Section 16)

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986."

*The motion was adopted.* 

SHRI L. RAJAGOPAL: I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Item No.31 – Shri Bishnu Pada Ray – not present.

Item No.32 – Shri Bhoopendra Singh – not present.

#### 15.37 hrs

# (xii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012\*

(Amendment of articles 85 and 100)

DR. RAJAN SUSHANT (KANGRA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. RAJAN SUSHANT: I introduce the Bill.

\_\_\_\_

Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2– dated 9.8.12

## 15.37 ½ hrs

# (xiii) FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT) BILL, 2012 \* (Insertion of new sections 59A and 59B)

महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

#### 15.38 hrs

# (xiv) RURAL LABOUR WELFARE FUND BILL, 2012\*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविकाओं में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाये।

#### MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a rural labour welfare fund for the welfare of the rural labour employed in the agriculture and other rural occupations and for matters connected therewith"

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित\*\* करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Item No.37 – Shri Chandrakant Khaire – not present.

# 15.39 hrs

# (xv) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL,2012\*

(Amendment of the Schedule)

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950."

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 9.8.12

<sup>\*\*</sup>Introduced with the recommendation of the President.

The motion was adopted.

SHRI AJAY KUMAR: I introduce the Bill.

\_\_\_\_

MR. CHAIRMAN: Shri Chandrakant Khaire - Not present

## 15.39 ½ hrs

# (xvi) NATIONAL HIGHWAYS (AMENDMENT) BILL, 2012\* (Substitution of new section for section 5)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Highways Act, 1956."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

#### 15.40 hrs

# (xvii) GLORIFICATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTION PICTURES (PROHIBITION) BILL, 2012\*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोगों पर, विशेष रूप से युवा पीढ़ी पर मद्यसार के उपभोग के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए चलचित्रों में मद्यसारिक पेय के उपभोग का महिमामंडन प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

# MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit glorification of consumption of alcoholic beverages in motion pictures in order to check adverse effects of consumption of alcohol on people, particularly on the younger generation, and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 – dated 9.8.12

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

#### 15.41 hrs

# (xviii) PETROL PUMP WORKERS (WELFARE) BILL, 2012\*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for petrol pump workers and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for petrol pump workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jayshreeben Patel - Not present Shri A. Sampath - Not present Shri Kalikesh Narayan Singh Deo - Not present Shri Bajjayant Panda - Not present

## **15.42 hrs**

# (xix) CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2012\* (Amendment of section 3)

PROF. RANJAN PRASAD YADAV (PATALIPUTRA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009."

The motion was adopted.

PROF. RANJAN PRASAD YADAV: I introduce the Bill.

 $^*$  Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 – dated 9.8.12

\_

# (xx) LAKSHADWEEP FISHERMEN (WELFARE) BILL, 2012\*

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare and protection of fishermen, payment of compensation to fishermen affected by natural calamities and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare and protection of fishermen, payment of compensation to fishermen affected by natural calamities and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI HAMDULLAH SAYEED: I introduce the Bill.

15.44 hrs

# (xxi) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2011\* (Amendment of the Schedule)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 – dated 9.8.12



\_

#### 15.45 hrs

#### BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010 .... Contd.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up item No. 49. Shri Om Prakash Yadav was on his feet. You may continue please.

श्री ओम प्रकाश यादव: आदरणीय सभापित जी, जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 पर सदन में चर्चा के लिए आपने मुझे अनुमित दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और भारतीय जन-मानस से जुड़ा हुआ है। यूं तो जादू-टोने का अस्तित्व मानव सभ्यता के आरम्भ से ही रहा है, लेकिन आधुनिक समय में इसका स्वरूप व्यापक और विकराल होता जा रहा है। यह चिंता का विषय है और इस सम्मानित सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को इस गंभीर समस्या पर चिंतन-मनन कर इसका समाधान ढूंढ़ना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जादू-टोना करने के आरोपी लोगों को बड़े पैमाने पर की जा रही हत्या पर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत का नाम कुछ अविकसित देशों के साथ जोड़ा गया है, जहां जादू-टोना से संबंधित हत्याएं अधिक हो रही हैं। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यह तथ्य हमारे सामने एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। एक ओर जहां भारत विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ में है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हम एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वासों में भी जकड़े हुए हैं और इसके कारण मानवशक्ति का भी क्षरण हो रहा है। हमें पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृतियों पर पाबंदी लगानी होगी। प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि जादू-टोना को समुचित तरीके से परिभाषित किया जाए। वर्तमान में जादू-टोना की कोई सटीक परिभाषा नहीं है इसलिए यह पता नहीं चल पाता कि किस क्रियाकलाप को जादू-टोना में शामिल किया जाए और किसे नहीं। जादू-टोना से सामान्य अभिप्राय है "अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रथा।" अधिकांश देशों में जादू-टोना में विश्वास व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है चाहे उनका शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक और जातीय स्तर जो भी हो। कुछ देशों में इस प्रकार का विश्वास समाज के विशिष्ट समूह तक ही सीमित होता है।

अधिकांश देशों में जादू-टोना को इस बात की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई विपत्ति किसी व्यक्ति के साथ क्यों घटित हुई अर्थात जादू-टोना यह तर्क प्रदान करता है कि कोई घटना क्यों घटी। कैसे घटी इसकी कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरण के लिए लोग यह जान

सकते हैं कि मलेरिया के कारण किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन जादू-टोना के उपयोग के कारण ही किसी बच्चा विशेष की मृत्यु हुई न कि उसके पड़ोसी को मलेरिया हुआ और उसकी मृत्यु हुई। समाज में जिन लोगों पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया जाता है, उनके साथ घोर भेदभाव और पक्षपात किया जाता है। ये लोग ज्यादातर समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के होते हैं और इस प्रकार लांछन से अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होते हैं। चूंकि ऐसे लोगों का समाज के लिए कोई महत्व नहीं होता है इसलिए उन्हें आसानी से टार्गेट किया जाता है। इन्हें समाज पर बोझ माना जाता है। ऐसे तो ठीक-ठीक संख्या पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि आर्थिक और अन्य प्रकार के संकट के समय जादू-टोना के आरोपों और उससे संबंधित हिंसा की संख्या में वृद्धि हो जाती है।

अब मैं सदन का ध्यान जादू-टोना के कानूनी और विधायी पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जादू-टोना से निपटने के मुख्यतः चार विधायी दृष्टिकोण बताए जाते हैं। एक तो यह कि वे लोग जो जादू-टोना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसके दुष्प्रभाव से समाज को बचाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। विधान जो जादू-टोना की प्रथा को आपराधिक मानता है, औपचारिक न्यायिक प्रणाली के स्थान पर या उसके साथ-साथ परंपरागत अदालतों के माध्यम से भी जादू-टोना के मामलों का निपटारा किया जाता है। एक दूसरी विधायी मानसिकता के तहत जादू-टोना के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया जाता और जिन लोगों पर जादू-टोना करने का आरोप होता है, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। जादू-टोना में विश्वास को समाप्त करने के लिए विधान हो और जो लोग जादू-टोना करने के आरोपी होते हैं उन्हें दण्ड देने की प्रक्रिया को आपराधिक मानना। वर्तमान फौजदारी और दीवानी कानून के तहत आक्रमण, हत्या, संपत्ति की चोरी और मानहानि से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार जादू-टोना करने के आरोपित लोगों की रक्षा करना।

जिन देशों में जादू-टोना करने के आरोपी लोगों को बचाने के लिए कानून बनाए उसकी समीक्षा की गई तो पाया गया कि वे कानून ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। यह भी पाया गया कि कानून से जादू-टोना में विश्वास कम नहीं हो रहा है और न ही उससे संबंधित हिंसा में कमी आ रही है। यह भी पाया गया कि व्यवहार में कानून जादू-टोना के आरोपी लोगों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और न ही पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा कम होती है। यह देखने में आया है कि जादू-टोना के आरोपी लोगों को दंडित करने से रोकने के कानून हैं उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। कानून का ठीक से लागू न होना इस कुप्रथा को रोकने में सबसे बड़ी बाधा है। कानून का ठीक से लागू नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कानून लागू करने वाले अधिकारी की यह मान्यता होती है कि जादू-टोना के आरोपी लोगों को बेवजह बचाया जा रहा है। इसलिए इस तरह के मामलों की जांच करने वाले लोगों में

एक प्रकार की अनिच्छा पाई जाती है, इसलिए वे जादू-टोना के आरोपी लोगों के विरुद्ध हिंसा करने वाले लोगों को दंडित नहीं करना चाहता हैं और न ही समाज का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देना चाहता है।

जादू-टोना से निपटने की जो कानूनी प्रक्रिया भारत में उपलब्ध है उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। भारत के लगभग सभी हिस्सों में जादू-टोना में विश्वास पाया जाता है लेकिन जनजातीय समुदाय और उत्तर-पूर्व के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। इन क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि डायनों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनसे वे दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी मान्यता है कि वे जानवर का भेष धारण कर लेती हैं, अदृश्य हथियारों का इस्तेमाल करती हैं या भूतों को भेजकर लोगों को बीमार करती हैं, जान ले लेती हैं। डायनों को नियंत्रित करने के लिए ओझा-शोखा होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, उनके लिए दण्ड का निर्धारण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें दंडित किया जाए। जादू-टोना से संबंधित अधिकांश आरोप महिलाओं के विरुद्ध लगाए जाते हैं जो अक्सर या तो अविवाहित होती हैं या विधवा या निःसंतान होती हैं। ज्यादातर मामलों में इस प्रकार के आरोप संपत्ति या भूमि के विवाद के कारण लगाए जाते हैं। कुछ मामलों में पुरुषों पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। जिन लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर जादू-टोना की प्रथा को आपराधिक मानने वाला कोई कानून नहीं है। झारखण्ड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां डायन प्रथा निवारण अधिनियम बना हुआ है। यह एक ऐसा राज्य है जहां बड़े पैमाने पर महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत बहुत-सी धाराएं हैं जिनका प्रयोग जादू-टोना के आरोपों से संबंधित हिंसा, उदाहरण के लिए हत्या, चोरी, गंभीर रूप से घायल करना, शारीरिक रूप से हमला और बलात्कार पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। झारखंड में जो कानून बना हुआ है उसमें केवल महिलाएं शामिल हैं जबिक इस प्रकार के आरोप कभी-कभी पुरुषों पर भी लगाए जाते हैं। जादू-टोना के आरोप के मामलों से निपटने में पुलिस की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है, इसिलए दोषसिद्ध दंडित लोगों की संख्या काफी कम है। झारखंड के कानून में जो सजा के प्रावधान हैं वे सख्त नहीं हैं। जादू-टोना के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने वाले के विरुद्ध केवल छह माह कारावास का प्रावधान है जो काफी नहीं है।

ग्रामीण से लेकर सभ्य शहरी समाज में ऐसे लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं और मासूम लोगों विशेष कर महिलाओं का बड़े पैमाने पर शोषण कर रहे हैं। ये लोग बड़े पैमाने

पर टेलीविजन और समाचारपत्र के माध्यम से अपना प्रचार-प्रसार करते हैं। अन्य शहरों की कौन कहे यह सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। आए दिन यह समाचार पढ़ने को मिलता है कि अमुक बाबा ने झाड़-फूंक के भ्रमजाल में फांसकर एक महिला से लम्बे समय तक बलात्कार किया। कोई बाबा जादू-टोना, झाड़-फूंक के नाम पर सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा जाता है। यह भी देखा गया है कि कुछ बाबा लोगों की समस्या का समाधान करने का दावा कर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। इनके चंगुल में फंसकर कई बार व्यक्ति को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस प्रकार की समस्या से देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं। इसलिए इस सम्मानित सदन को, जो जन-आकांक्षा की अभिव्यक्ति और उनके हितों की रक्षा करने वाला देश का सर्वोच्च मंच है, को इस ज्वलंत समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस विधेयक को पारित करना चाहिए तािक इस गंभीर समस्या से देश के करोड़ों लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके।

इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी भावना सदन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to provide for ban on witchcraft in any form in the country, be taken into consideration."

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं श्री ओम प्रकाश यादव का जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010 के समर्थन में बोलने के खड़ा हुआ हूं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहेः। या स्वयं पदमनाभरय मुखपदमादिव निःसृता .-भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक सतो गुणी होता है, एक रजो गुणी होता है और एक तमो गुणी होता है। तमो गुणी व्यक्ति वह होता है, जो चित्रों की पूजा करता है। भगवान कहते हैं कि देने वाला मैं ही हूं, लेकिन जो अज्ञानी मानव हैं, वे र समझते हैं कि भूत ही हमें देने वाले हैं। जब कि वास्तविकता यह है कि देने वाला परमात्मा है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने वेदों के अंदर यह प्रार्थना की थी - तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृत गमय, असतो मा सदगमय, कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अंधकार क्या है? प्रकाश का न होना अंधकार है। इसी प्रकार से ज्ञान का न होना अंधकार है और ज्ञान के अभाव में ब्लैक मैजिक जादू-टोना हमारे गांवों के अंदर अशिक्षा के कारण प्रचलित है, जिसके कारण अनेक अमानवीय घटनाएं घटती हैं। हमारे देश पर कलंक लगता है। एक समाचार पत्र में फोटो छपी थी, जिसे देख कर आदमी का हृदय हिल जाता था, कांपने लगता था। उस फोटो में था कि एक आदमी के दोनों हाथों में किसी के सिर काट कर ले जा रहा था और उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी कि मैंने लोगों को मार कर उनका सिर काट कर बहुत बड़ा कृत किया है। यह सब ज्ञान के अभाव के कारण होता है। लोग यह नहीं समझ पाते कि जो वायरस है, बैकटीरिया हैं, इनके कारण बीमारियां पैदा होती हैं। वे समझते हैं कि कोई आदमी मंत्र बोलता है, जादू-टोना करता है, इससे उनका अहित हो रहा है। इसके लिए जागरूक अभियान देश के अंदर चलना चाहिए। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और मैं कहना चाहूंगा कि

"It is very depressing that in India, only a handful of states have laws against witch-hunting. Witch hunting in most cases constitutes an attempt to murder. But because of lack of laws that specifically targets this practice; the people involved with witch hunting are booked under article 323 of the Indian Penal Code. This means that the law now equates the crime of witch hunting with crimes where a person tries to voluntary cause hurt like slapping or physically abusing somebody. Under this law, the maximum punishment for this offense is a jail term up to one year and a fine of Rs. 1,000."

इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, जादू-टोने के नाम पर अमानवीय व्यवहार करते हैं, समाचार पत्रों में आता है कि एक महिला के घर में घुस गए। उसके हाथ-पैर बांध कर कैंची से उसकी आंखों को अंधा कर दिया। इस प्रकार के जो कुकृत्य होते हैं, जिसके अंदर विशेष कर महिलाओं का अपमान किया जाता है, इसके

लिए जब सख्त से सख्त कानून होगा, तो यह कुरीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए कबीर दास जी ने भी कहा है कि " तंत्र मंत्र सब झूट है।" इस प्रकार का जो अंधकारमय वातावरण है, उसकी संतों ने निंदा की है और हमें भी सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की घटना हमारे देश के अंदर न हो।

### 16.00 hrs

जिस देश का अर्बाचीन इतिहास वेदों के द्वारा परिष्कृत हो और वेदों ने पूरे देश और पूरी दुनिया को ज्ञान की शिक्षा पर चलना सिखाया हो, उस देश के अंदर दिये के तले अंधेरे हो, यह बड़ी दुखद बात है। इसिलए मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने और इसी के साथ साथ जो हमारे ऋषियों ने अपनी मानसिक शक्तियों का जिसको हम पैरानॉर्मल सेंसरी रिसर्च कहते हैं, उस पर अनेक देशों में रिसर्च हो रही है तथा पैरानॉर्मल रिसर्च भी हो रही है और रिशया के अंदर एक पुस्तिका भी लिखी गई- "पैरानॉर्मल रिसर्च बिहाईंड द आयरन कर्टेन।" रूस के अंदर इस प्रकार की पैरानॉर्मल साइकिक रिसर्च हुआ करती हैं जिसके अंदर वैज्ञानिक अपनी मानसिक शक्ति से माचिस की डिब्बी को चलाता है और बहुत से काम करता है। इसी प्रकार की रिसर्च होनी चाहिए कि ये क्या चीजें हैं, मानव की जो आत्मिक शक्ति है, उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए और यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि यह जो ज्ञान और अज्ञान है, इस पर हम विश्लेषण कर पाएंगे। यह बड़ा आवश्यक है कि जिस देश के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के बारे में चर्चा की गई हो, वहां पर इसके उपर सम्वर्धन होना चाहिए।

मैं सदन का ध्यान हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारे यहां ढ़ोल बजाए जाते हैं जिसके अंदर सामवेद की रचना को दर्शाया जाता है और जो ढ़ोल होते हैं, उनके अंदर हंसने, रोने, लड़ने, उत्तेजना, जोड़ने, नाचने, खेलने, आमंत्रण, रुकने, बधाई संदेश देने, झंझोरने और देवता जो अवतार लेते हैं, उसकी ताल होती है, विसर्जन और संदेश पहुंचाने की ताल होती है और ये ढ़ोल हजारों साल से हमारे देश में पल्लवित और पुष्पित होते पाये गये हैं। लेकिन आज ये जो ढ़ोल सागर है, इसके लोग लुप्त होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि यह विद्या धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस विद्या के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह विद्या पहले मौखिक थी। 1932 में पहली बार भवानी दत्त पर्वतीय ने ढ़ोल सागर पर पुस्तिका लिखी और उसके बाद गांवों के अंदर जब से बैंड बाजे बजने लगे, तब से ढ़ोल और ढ़ोली का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। टेहरी के ढ़ोल वादक सोहनलाल, उत्तरकाशी के सोहनदास, फूलदास, पनेक्षिया दास व चमन दास, चमोली के दीवान राम, पिथौरागढ़ के भुवनराम, देहरादून के जोनसार के सल्लीराम जैसे ढ़ोलवादक बड़े प्रसिद्ध हुए हैं।

इसलिए हमें यह भी देखना है कि ढ़ोलों के अंदर क्या विद्या या क्या शक्ति है, इस पर भी अनुसंधान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि ढ़ोलों को निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित होने का मौका मिलेगा। अमेरिका की सिंसिनाइटी यूनिवर्सिटी के लिए विजिटिंग प्रोफैसर के लिए चयनित हुए ढ़ोल वादक सोहनलाल जी के अनुसार लोक कलाओं से जुड़ी जातियों की संस्कृति और उनकी परम्परा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफैसर संजय पांडे और रंगकर्मी प्रोफैसर डी.आर.पुरोहित इन लोक कलाओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी कहना चाहूंगा कि आज ढ़ोल सागर के ऊपर, इस विद्या को बचाने में हमें अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए और जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टीशंस हैं, इनको भी समाप्त करना चाहिए। जो पैरानॉर्मल फैकल्टी हैं, इसको हमें डवलप करना चाहिए। इसलिए इनको अगर हम विकसित करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। योग की कुछ शिक्षाएं हैं, ज्ञान है, इनको अगर हम विकसित करेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज आगे बढ़ेगा।

सभापति जी, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा है जहां पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास पनपता है और जहां के बहुत ज्यादा केसेज हैं। हरियाणा के 57 केसेज 2010 में पाये गये। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के 18 केसेज, महाराष्ट्र के अंदर 11 और उड़ीसा के 31 केसेज पाये गये। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आम जनता में एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और जो साइंस के जिए माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम वैक्टीरिया को, वायरस को काम करता हुआ देखेंगे तो लोगों की समझ में आएगा कि जो हम गंदगी फैलाते हैं, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। किसी के बुरा चाहने से, नैगेटिविटी से ये चीजें नहीं होती हैं। समाज के अंदर अगर ज्ञान का प्रचार होगा तो ये कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मैं साधु संतों से भी आग्रह करता हूं कि वे भी अपने प्रवचनों के अंदर जो आत्मिक शक्ति है, उसके जागरण की अलख जगाएं जिससे कि कम से कम यह जादू टोना अंधविश्वास समाप्त हो और हमारा भारत विश्व गुरु की ख्याति प्राप्त करे। विश्व गुरु बनकर उभरे और सारे समाज का मार्गदर्शन करे। इसीलिए हम गंगा की पूजा करते हैं, गंगा को मां मानते हैं। गंगा धरती की धारा नहीं थी, इसे वैतरणी कहा जाता था, यह स्वर्ग में बहती थी। लेकिन जब भगीरथ ने तपस्या की तो यह स्वर्ग की धारा धरती पर आ गई। अगर हम भी कर्म करेंगे, हम भी जागरण करेंगे, हम भी ज्ञान की अलख जगायेंगे तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि हम स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं और यही हमारी गंगा का संदेश है और आज देश को इसी बात की आवश्यकता है कि हम ज्ञान का जागरण करके इस अंधविश्वास को, सुपर्मान, ब्लैक मैजिक को, जादू-टोना को समाप्त करें और इसके लिए सख्त से

सख्त कानून बनायें, जिससे कि ये कुरीतियां समाप्त हों और हमारा समाज एक आदर्श समाज के रूप में आगे बढ़े और भारत का निर्माण करे, भारत को आगे ले जाए, भारत को विश्व गुरू का खिताब दिलाये।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

## 16.07 hrs

## PRIVATE MEMBERS' BILLS- Introduced.... Contd.

(xxii) HIV/AIDS Bill, 2012\*

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में एचआईवी महामारी का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन करने; एचआईवी/एड्स से ग्रस्त या प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन करने; ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना करने तथा एचआईवी/एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए इसके निवारण, इसके प्रति जागरूकता, देखभाल, संभाल उपचार कार्यक्रमों का प्रवर्तन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prevention, control and management of HIV epidemic in India; protection and promotion of human rights of persons living or affected by HIV/AIDS; for establishment of Authorities at the National, State, Union territory and district level to promote such rights and to promote prevention, awareness, care, support, treatment programmes to control the spread of HIV/AIDS and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित\*\* करता हूं।

\* Published in the Gazette of India. Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 9.8.12

\_

<sup>\*\*</sup> Introduced with the recommendation of the President

### 16.08 hrs

# BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010.... Contd. (Shri Satpal Maharaj in the Chair)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापित महोदय, आपने मुझे श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा प्रस्तुत विधेयक जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010 पर बोलने की अनुमित दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि आपने ठीक कहा कि जागृति आनी चाहिए, इसके लिए जागरण होना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से इसी सदन में सवाल कर रहा हूं कि श्रीमती फूलन देवी की डैथ हुई और उनका मकान खाली था, लेकिन हम राजनेता वह मकान लेने के लिए क्यों नहीं गए? जबिक वह मकान कई लोगों को अलॉट हुआ था।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अब वहां एक मैम्बर साहबान रहते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अब तो रहते हैं, लेकिन पहले वह बहुत समय तक खाली रहा। जब खाली था तो मैं किसी और के साथ उसे देखने के लिए गया था। तो लोगों ने कहा कि इसमें लोग इसलिए नहीं रहना चाहते, क्योंकि इसमें पहले श्रीमती फूलन देवी रहती थी और उनकी डैथ हो गई थी। अब यह क्या विश्वास है या अंधविश्वास है, जो हमारे में भी है। क्या हम इसकी बात करके छोड़ देंगे। हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम कहते हैं कि ड्राइवर साहब गाड़ी रोक दो, लाइट्स ऑफ करो, यहां हम उपदेश देते हैं कि जादू-टोना पर पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी तो होनी ही चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन हम व्यवहार करते समय ऐसा क्यों करते हैं?

सभापित जी, मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। एक बहुत बड़े राजनेता को हमारे बीकानेर में आमंत्रण मिला कि आप आइए, हम भैरव जी का एक अनुष्ठान करेंगे और उससे आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। वे राजनेता वहां आए। हम भी सांसद के तौर पर वहां गए। मैं तो वहां केवल देखने के लिए गया था। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ठीक कह रहे थे कि मैं कलैक्टर से सीधे एमपी कैसे बन गया? आपने कौन सा जादू किया? मैंने ऐसा कोई जादू नहीं किया। मैंने जनता को प्रभावित किया। चाहे मैंने अपने आचरण से जनता को प्रभावित किया, चाहे अपनी बातों से प्रभावित किया और आज मैं आपकी कृपा से एमपी हूँ। बीकानेर में भैरव जी का बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। हम भी उसमें गए। उसमें बहुत पंडित लोग भी आए और कहा कि भैरव जी की ऐसी शक्ति है कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जब चुनाव हुआ तो वे राजनेता मुख्यमंत्री नहीं बने। हमने उन पंडित जी से पूछा कि क्या हुआ? राजनेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने?

पंडित जी ने कहा कि जब वे मेरे अनुष्ठान में प्रवेश करने आए थे, तब उनको दायां पांव आगे रखना था। लेकिन उन्होंने दायां पांव आगे न रख के बायां पांव आगे रख दिया, इसलिए वे मुख्यमंत्री नहीं बने। फिर भी वे राजनेता उस बात पर विश्वास करते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: वे जो भी थे, उनको आप भी जानते हैं। पंडित भंवर लाल शर्मा जी भी उनको जानते हैं। अब आप जान गए हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी यह कोई छोटा विषय नहीं लाए हैं। यह विषय बहुत गंभीर है। खाली यह कह देना कि हमारे देश में आदिवासी क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों में यह प्रथा है और हम पढ़े-लिखे लोगों में यह नहीं है। I don't believe it. यह बहुत लोगों में है। कई बार में जापान में सुनता हूँ। कई बार में इंग्लैंड में सुनता हूँ कि वहां भी ऑर्थोडक्स फैमिलीज़ रहती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में तो भूत घुस गया है। उसको निकालने के लिए इण्डिया से आदमी ले जाने पड़ते हैं। पेपर में आर्टिकल आया था। सभापति जी, मैं आपके विषय को ही थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा था कि जादू टोना क्या है और आध्यात्मिकता क्या है? इसमें कैसे भेद करोगे? यह जो मनुष्य का ढांचा है इसमें तीन तरह की चीज़ें हैं। एक तो यह जो भौतिक शरीर दिख रहा है। दूसरा इसके अंदर मन है। मन में भी दो भाग हैं। एक भौतिक मन है और एक अवचेतन मन है। अंदर आत्मा है। ये चीज़ें तो हैं। इनको तो कोई नकार नहीं सकता है या नकारता है? जब इनको कोई नकार नहीं सकता है तो कभी-कभी अवचेतन मन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? भौतिक मन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? जब आदमी बीमार हो जाता है और डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता है, डॉक्टर कहता है कि मैंने आपके सारे टेस्ट कर लिए। आपकी सभी रिपोर्ट ठीक हैं लेकिन वह आदमी कहता है कि मुझे तो नींद नहीं आती है। तब वह कहां जाता है? ...(व्यवधान) वह कहीं भी जाए, लेकिन वह जाता है और उसको हमारे टीवी चैनल भी दिखाते हैं। भैंरो बाबा हो या कोई भी हों, उनको हमारे टीवी चैनल दिखाते हैं और कहते हैं कि वह वहां गया और ठीक हो गया। एक शनि धाम भी है। हमारे यहां अभी एक एमपी हैं। वे मुझे एक दिन कहने लगे कि मैंने तो अपने शनि महाराज की पूजा की और मैं एमपी बन गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम किसको जागृत करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो इस संसद में बैठने वाले लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जो देश को लीड करते हैं। जब वे खुद चलते हैं और उन्हें लगता है कि हम मंत्री हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कल कोई डांट देगा तो वे तुरन्त रूक जाते हैं। वे ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी रोको, थोड़ी देर रूको, पांच मिनट रूको फिर चलेंगे। इसके बाद आप उस ड्राइवर से कहोगे कि आप जादू-टोना में विश्वास मत करो। क्या ऐसा संभव होगा? इसलिए कथनी और करनी में फर्क बंद करना पड़ेगा और इस विषय की गंभीरता को समझने के



लिए इसका पूरा असेरमेंट करना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मन इसे मानता है? मैं माननीय प्रणब मुखर्जी साहब को धन्यवाद दूंगा कि वे तालकटोरा में 13 नम्बर क्वार्टर में गये थे। तब भी लोगों ने कहा था कि 13 नम्बर शुभ नहीं है।

श्री विजय बहाद्र सिंह (हमीरप्र, उ.प्र.): वे प्रधानमंत्री कहां बन पाये?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : राष्ट्रपति तो बन गये। उस समय भी लोगों ने कहा ने 13 नम्बर में क्यों जा रहे हो, लेकिन क्योंकि वे वाइडर सोच के आदमी थे, उन्होंने कहा कि 13 नम्बर क्या करेगा? वे वहां गये और महामहिम बन गये। लेकिन अभी भी बहुत से आदिमयों को, अपने में से बहुत से लोगों को अगर होटल में भी 13 नम्बर कमरा मिल जाता है तो वे कहते हैं कि कमरा चेंज करो। हम देश को लीड करते हैं, हम लोग हैं, चाहे मीड़िया के लोग हैं, चाहे ज्यूडिशियरी के लोग हैं, चाहे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, वे जब खुद ही इसमें विश्वास करते हैं तो वे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जाद्-टोना में गांव के लोग विश्वास न करें। सबसे पहले तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि यह विषय क्या है? इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसका एक अध्ययन करवाना पड़ेगा कि आदमी ऐसा क्यों सोचता है? मन से सोचता है, आन्तरिक मन से सोचता है, आत्मा से सोचता है या शरीर से सोचता है, आदमी ऐसा क्यों सोचता है? आपने ठीक कहा कि आदमी त्रिगुणात्मक होता है, सात्विक गुण वाला आदमी ऐसा नहीं सोचता, तामसिक गुण वाला ज्यादा सोचता है और राजसिक प्रवृत्ति वाला कम सोचता है। इसी तरह गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का उल्लेख किया गया है। जो भक्ति योग वाले हैं, वे तो कहते हैं कि आप इसमें विश्वास ही मत करो। जो भगवान कहेंगे, आप वह समर्पण में मान लो, लेकिन ज्ञान योग वाले, आप जैसे लोग कहेंगे नहीं, ज्ञान यह है कि जादू-टोना ठीक नहीं है, लेकिन भक्ति योग वाले तो नहीं मानते, वे तो इसे मान जायेंगे। मैं यह कह रहा हूं कि मेरे गांव में, शीशराम जी ठीक कह रहे थे, सांप काटने का झाड़ा दिया जाता है। मैं भी कभी-कभी झाड़ा देने वाले को देखता हूं। उस आदमी के पास दूर-दूर से लोग आते हैं। अब तो उस आदमी की दो-तीन साल पहले मृत्यु हो गयी। मैंने भी पता किया कि क्या मामला है?

महोदय, होता यह है कि अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते हैं। वह आदमी ऐसा करता है कि जहां सांप ने काटा हुआ होता है, हम रेगिस्तान के लोग हैं, ये लोग जानते हैं कि दूर-दूर तक हमारे यहां अस्पताल नहीं हैं। कौन स्नेक बाइट का इंजेक्शन लाये, वह इंजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अस्पताल में भी इंजेक्शन नहीं मिलता है। कौन इंजेक्शन लगाये, आदमी क्या करे, उसे सांप काट गया तो फिर वह तुरन्त ही झाड़ा देने वाले के पास जाता है। एक तो उसे मानसिक रिलीफ मिलता है कि उसने कई लोगों को झाड़ा देकर सांप काटने का इलाज कर दिया। इससे एक तो उसे मेंटल रिलीफ मिलता है कि अगर मैं

वहां जाऊंगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो मैंने देखा कि वह क्या करता है, जहां भी सांप ने काटा हुआ होता है, वहां वह अपना मुंह लगाता है और मुंह से कुछ चूसता है और चूसकर जहर फेंकता जाता है। मैं सोचता हूं कि यह साइंटिफिक है, लेकिन बाद में वह मंत्र भी बोलता है। पता नहीं वह क्या बोलता है? हमारे यहां गोगा पीर हुए हैं, वह उनका कोई मंत्र बोलता है। वह कहता है कि हमारे गोगा पीर ने इसे ठीक कर दिया। अब आप कहोगे कि वह जादू-टोना है, लेकिन सांप का काटा हुआ ठीक भी होता है, यह क्या है? इसमें कुछ सच्चाई भी है। यह भेद की लाइन बड़ी पतली है, लेकिन आपको भेद करना पड़ेगा कि जादू-टोना क्या है, जिससे आदमी अंधविश्वास में आकर ठगा जाता है और एक असली ताकत क्या है, जिसमें जाकर आदमी ठीक भी हो जाता है। यह भेद तो आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आप वर्षों से देखते आ रहे हैं कि लोग किसी के यहां जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। किसी के यहां ऐसे ही गये और उसने बोला कि कैसे आये, बोला कि यह गड़बड़ हो गयी थी, वह कहता है कि घबराओ मत ठीक हो जाएगा, वह ठीक भी हो जाता है। अच्छा आजकल यह वास्तु और चल गया, वास्तु एक नया चला है कि आपके मकान में पीछे लैट्रीन, बाथरूम बन गया, इसलिए आपके घर में अशान्ति रहती है। आपको इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके यह देखना पड़ेगा कि क्या जादू-टोना है और क्या रीयल स्टोरी है जिसके कारण आदमी बिलीव करता है, और आदमी के अंदर क्या चीज़ है जिसके कारण वह बिलीव करता है और ठीक होता है।

में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। आजकल टीवी पर राशिफल आता है। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आज इस रंग की साड़ी कैसे पहनी है तो कहते हैं कि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार में ग्रीन या पीला कलर होता है और शनिवार को काला कलर।

सभापति महोदय: बृहस्पतिवार को पीला रंग होता है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हाँ, आपको पता है। बृहस्पतिवार को पीला कलर और शनिवार को काला रंग पहनना चाहिए। अब इसको आप क्या मानेंगे? जो मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट भी बन गए, फिर भी वे बिलीव करते हैं। लेकिन वे बिलीव क्यों कर रहे हैं? उनको ठीक भी लगता है। वे ठीक होते भी हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या जादू-टोना है और क्या हीलिंग ट्रीटमैंट है, इसमें आपको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। इसका व्यापक अध्ययन करवाना होगा। खाली यह दोष देना कि यह आदिवासियों में है, जनजातियों में है, यह कहना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। बड़े-बड़े लोग बिलीव करते हैं और ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्रियों के पास जाते हैं, बड़े-बड़े लोग अगर घर में कोई घटना घट जाती है, दो-तीन सालों में दो-तीन डैथ हो जाती है तो बड़े-बड़े लोग भैरों पूजा करते हैं, शनि पूजा भी करते हैं। इसलिए यह मत मानिये

कि यह तो आदिवासी और जनजाति करते हैं, बाकी कोई नहीं करते हैं, ऐसा मत मानिये। विषय के गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता है।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: आपकी पगड़ी में सभी कलर हैं।

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): महोदय, हमारे यहाँ जैसलमेर में पाकिस्तान के बार्डर पर एक देवी माँ का मंदिर है। पहले उसका एक इतना सा मंदिर था।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : तन्नौट माता का मंदिर है।

श्री शीश राम ओला: मैं आपको कहने वाला था। आप भूल गए थे तो मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ। वहाँ तन्नौट माता का मंदिर जो पाकिस्तान बार्डर के करीब है, वहाँ पाकिस्तान के हवाई जहाज़ से बम डाले गए लेकिन वे पाँच-दस बम ब्लास्ट नहीं हुए। वे बम आज भी ब्लास्ट नहीं हुए, मंदिर में जीवित रखे हैं। उस मंदिर को देखने वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। वहाँ बम भी रखे हैं और उस मंदिर की देखरेख भी बीएसएफ कर रही है, उसने मंदिर बनाया और उनके ही लोग उसके पुजारी हैं।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): सभापति जी, धन्यवाद। आपने मुझे ओम प्रकाश यादव जी द्वारा प्रस्तुत जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी ओमप्रकाश जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से अपने लिखित विचार प्रस्तुत किये। इसके साथ ही साथ हमारे सभापति पीठ पर बैठे महाराज जी, आपने भी बड़ा अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत करके वेदों और पुराणों सहित तमाम चीज़ों का उद्धरण प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति जी, भाई मेघवाल जी ने भी बड़े विस्तार से इस बारे में बताया। जहाँ तक ओमप्रकाश जी ने मांग की कि इस पर पाबंदी लगाई जाए तो यहाँ समाज कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के भी मंत्री बैठे हैं और महिला बाल विकास विभाग की बहिन श्रीमती कृष्णा तीरथ भी बैठी हैं। मेरे ख्याल से दोनों के मंत्रालय से मिलता-जुलता यह विधेयक है। इसे गंभीरता से लें। यह बात भी सत्य है कि हमारे देश में दवा और दुआ, अक्सर ये दोनों बातें चलती हैं। दवा करते-करते जब व्यक्ति थक जाता है। मुझे याद है कि मेरे पिता जी जब केन्द्र में लेबर मंत्री थे और एम्स में एडिमट थे। लोगों ने कहा कि आप मंदिर जाइए मस्जिद जाइए, जो जहां बताता था, हम वहां जाते थे। विश्वास तो नहीं था लेकिन लोगों के बताने के अनुसार हम जाते थे। एक तरफ अर्जुन भाई आप कह रहे हैं कि अशिक्षित करें तो ठीक है, लेकिन पढ़े-लिखे बहुत लोग चक्कर में पड़ जाते हैं और यह करना पड़ता है कि यह मजबूरी है। हमारी पौराणिक, अध्यात्मिक तमाम ऐसी बातें हैं, जिन पर आदमी को विश्वास क्यूना पड़ता है, मानना पड़ता है। हम तो जन्म से आर्यसमाजी हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जाते हैं तो मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर और गुरुद्वारे में भी जाते हैं। हर जगह जाना पड़ता है और जाते भी हैं। हम धागे भी बांधते हैं, ताबीज़ भी बांधते हैं। यह तमाम तरह की बातें हैं। जहां तक पाखण्ड और आडम्बर के बारे में है, प्रचार-प्रसार तो बहुत होता है। टेलीविजन में आप देखिए बहुत चैनल हैं। सुबह आप चैनल लगाइए तो राशिफल के अनुसार आप यह दान कीजिए, यह काम कीजिए, इस रंग के कपड़े को पहनिए, तब आपको आज का दिन अच्छा रहेगा। उसको मानना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे नवग्रह हैं। ग्रहों के बारे में तो यह हाल है कि हम अन्य ग्रहों पर दुनिया बसाने की सोच रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): चुनाव से पहले क्या करते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार: पूजा-पाठ करते हैं। अभी वीर बहादुर जी नॉमीनेशन की बात कह रहे थे कि एक पंडित जी ने हमें कहा कि इस तारीख को करना, दूसरे ने बताया इस तारीख को, तो हमने दोनों तारीख को नोमीनेशन किया। यह फैक्ट है और होता है। मैं नवग्रह के बारे में कह रहा था कि मानव ग्रहों पर दुनिया

बसाने की सोच रहा है, दूसरी तरफ हम नवग्रह की पूजा भी करते हैं। सभापति जी आपको अच्छी तरह से मालुम है। अभी शनि के प्रकोप की बात कर रहे हैं। कोई बात यदि बिगड़ती है तो लोग ईश्वर को याद करते हैं और अच्छा हो जाता है तो ईश्वर को बहुत कम लोग याद करते हैं, अल्लाह को कम याद करते हैं। यदि काम खराब हो जाता है तो कहते हैं कि कोई प्रकोप है। हमारे यहां इलाहाबाद में प्रतापगढ के बार्डर पर एक शनि मंदिर है। चार-पांच सप्ताह जाइए, काले वस्त्र पहनकर जाइए और तेल चढाइए। इस तरह की धारणा है और लोग जाते भी हैं। एक हमारे साथी ने कहा कि इस समय खाली हो तो हमारे साथ चलो। उस समय हम खाली थे, हमने कहा कि चलो। हम भी चार सप्ताह गए। लेकिन कोई फर्क हमें दिखाई नहीं पड़ा। अभी मैं अपने क्षेत्र में गया तो एक मिलिट्री से रिटायर्ड सुबेदार थे। उनको काले सांप ने काट लिया, लेकिन वे बच गए। उनके लड़के को सांप ने काटा, वह भी बच गया। छप्पर गिर गया था, जिसमें दबते-दबते बचे। जिस दिन हम लोग देखने गए हमें पता लगा कि उसके एक दिन पहले उनकी पत्नी को भैंस ने सींग से मार दिया। हम लोग जब गए तो आप इसे विश्वास कहिए या अंधविश्वास, हम लोगों ने कहा कि आप अपने यहां पाठ करवाइए, चाहे रामायण का पाठ या सत्यनारायण का पाठ कराइए, क्योंकि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। उन्होंने वह कराया और जब हम दोबारा गए तो उन्होंने बताया कि जब से हमने पाठ कराया है, तब से शांति है। यह होता है और हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्जुन भाई ज्यादातर यह धारणा है कि हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, बंजारे, नट, घुमंतू हैं और कबीले में जो लोग रहते हैं, उनमें यह धारणाएं ज्यादा होती हैं और यह लोग झाड़-फूंक भी करते हैं, दवा-दारू भी देते हैं, जड़ी-बूटी भी देते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सब लोग करते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: करते तो सभी लोग हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इनमें कुछ ज्यादा है, क्योंकि इनमें अशिक्षा है, इसलिए यह लोग ज्यादा मानते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी-कभी अगर व्यक्ति बीमार होता है तो हमारे यहां बिल भी चढ़ाई जाती है। उसका निराकरण करने के लिए बकरे की या बकरी के बच्चे की बिल दीजिए। हमारे यहां तो सुअर के बच्चे की भी बिल दी जाती है। यहां तक कि कभी-कभी मानव की बिल भी दी जाती है। तमाम ऐसे केसेज आए हैं जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ कर उनकी बिल दी गयी।

सभापित महोदय, यही नहीं आपको यह भी मालूम है कि कभी-कभी लोग काली माता के सामने अपनी जीभ को काट कर बिल दे देते हैं। इस तरह की धारणाएं लोगों में हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि चाहे यह हम में, आप में कम हो, लेकिन हमारे घरों की औरतों में ये धारणाएं ज्यादा होती हैं। चूंकि हम

लोगों ने उनके साथ सात फेरे लिए हैं इसलिए चाहे कम कीजिए या ज्यादा, पर उनके अनुसार हमें करना पड़ता है।

मन्दिरों का भी यही हाल है। यह ठीक है कि मन्दिर-मस्ज़िद लोगों की आस्था से जुड़े होते हैं। पर, वहां पर भी व्यावसायिक लोग हैं। आजकल मन्दिरों में पूजा, आराधना के ऊपर कम और पैसे-चढ़ावे के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान है। यह कमाने का एक तरह से अड्डा हो गया है। जब लोग मस्ज़िद से नमाज़ पढ़ कर निकलते हैं तो मैं देखता हूं कि बाहर बहुत-सी औरतें बच्चे लेकर खड़ी रहती हैं। लोग नमाज़ पढ़ कर निकलते हैं तो बच्चों के ऊपर फूंकते चलते हैं और मंत्र पढ़ते चलते हैं। इसमें हिन्दू-मुस्लिम हर धर्म की महिलाएं खड़ी होती हैं। हमारी हिन्दू महिलाएं ज्यादा अपने बच्चों को ले कर मस्ज़िदों के बाहर खड़ी होती हैं। ओझई, वैद्यिकी, झाड़-फूंक हमारी पुरानी परंपरा है जो हमें विरासत में मिली है और लोग इसे करते चले आ रहे हैं।

दूसरी बात तंत्र-मंत्र की है। हमारे टीवी चैनलों पर एक से एक तंत्र-मंत्र की बात की जाती है। यह एक व्यवसाय बना हुआ है। उसमें कहा जाता है कि यह खरीद लीजिए तो आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा, आपका रूका हुआ काम पूरा हो जाएगा या किसी की शादी नहीं हो रही है तो वह भी हो जाएगी। कुछ इस तरह के ऑरनामेंट्स भी बिक रहे हैं जिसका प्रचार और प्रसार बहुत ज्यादा है। अभी अर्जुन भाई जानवरों के द्वारा रास्ता काटने की बात कह रहे थे। अब आप जा रहे हैं तो किसी जानवर ने आपका रास्ता दाएं से काटा या बाएं से, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें बिल्ली, सुअर जैसे जानवर हैं। भरी बाल्टी लेकर कोई क्रॉस हो जाए, खाली बाल्टी लेकर कोई क्रॉस हो जाए, इस तरह की तमाम धारणाएं हैं।

अभी आपने टीवी चैनलों पर निर्मल बाबा को देखा होगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। खैर, अभी तो यह नहीं आ रहा है। मैंने इसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें मौजूद हैं। इससे बहुत से लोगों को फायदा और बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। कभी-कभी तो तांत्रिक लोग बड़े घिनौने और अश्लील तरीके से अपनी तंत्र विद्या करते हैं। इस पर तो कम से कम रोक लगनी चाहिए। अबोध बालक-बालिकाओं की बिल देने, मिहलाओं के साथ दुराचार करना इसमें शामिल है। कभी-कभी टेलीविजन पर देखता हूं कि वे गाल को फाड़ कर उसमें सिरया दे देते हैं, जीभ में सिरया डाल देते हैं। देवी के सामने खड़े होकर पूजा-पाठ करते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें अपने यहां प्रचलन में हैं।

अर्जुन भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक़ रखता हूं कि इसका छोटे लोगों के साथ-साथ बड़े लोगों में भी प्रचलन है। मैं नहीं कहता कि इसे पूरी तरह से बंद किया जाए। पर, जिससे नुकसान हो, वह बंद होना चाहिए। हम विज्ञान, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन, हमारी

बहुत-सी पुरानी परंपराएं हमें विरासत में मिली हैं। अगर उसका फायदा है तो लोग उसका पालन करें। लेकिन बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके ऊपर हमें पाबंदी लगाने की जरूरत है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ ओम प्रकाश यादव जी द्वारा प्रस्तुत जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010 का पुरज़ोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, माननीय ओम प्रकाश यादव द्वारा प्रस्तुत जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010 पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों में एक एलीमेंट है पर्सनैलिटी जिसे फेथ कहते हैं, विश्वास कहते हैं। जब विश्वास होता है तो ये बातें और ज्यादा आने लगती हैं। इस जादू टोना विधेयक में विश्वास के अलावा अंध विश्वास आता है और उस अंध विश्वास का मिसयूस बहुत होता है। उस मिसयूस में हर सैक्शंस ऑफ सोसायटी के बारे में याद है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो जब मैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाता था। उस समय मेरी माता जी पंडित जी को बुला करके बकायदा उनकी पूजा करके, उनको दक्षिणा दे करके पूछती थी कि मेरा बेटा किस दिन इलाहाबाद के लिए जाएगा। ये पूर्व, उत्तर या पश्चिम है और हम लोग पंडित जी को बनाते थे, उन्हें एक्स्ट्रा खुश करते थे हिन्सुंडित जी कहें कि अभी शायद आपके दो दिन जाने के नहीं बन रहे हैं। चाहे हम स्कूल में लेट हो जाएं, हमें दो दिन का समय मिल जाता था। उसमें पंडित जी की दुकान भी बहुत चलती थी। इस कारण से कुछ दुकानें बंद होंगी, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी विद्या में लौजिक नहीं है और उसके साइंटिफिक रीजंस नहीं हैं तो विद्या वह विद्या नहीं है, अविद्या है। इसमें ज्यादा एलोबरेट करने की बात नहीं है। जैसा मेरे मित्र बता रहे थे, मैंने करीब 36-37 साल इलाहाबाद हाई-कोर्ट में प्रेक्टिस की, सीनियर एडवोकेट भी था। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट का नोमिनेशन फाइल करने गया तो इलाहाबाद और बनारस में बड़े ज्योतिषी, उनमें कई लोग हमारे क्लाइंट हैं। वे हमसे पूछते हैं कि ये केस जीतेगा या नहीं। हमने उनसे कहा कि आप ज्योतिष के विद्वान हो, आपको नहीं मालूम। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में ज्योतिष विज्ञान का एक डिपार्टमेंट है और वे कुंडली देखते हैं। वे हमारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि ये मुकदमा जीतेगा या नहीं। हमें दो बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने बताया, दो अलग-अलग तारीखें दीं कि इतने बजे आप नोमिनेशन दाखिल करिए। हम बड़े धर्म संकट में पड़े कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने दो दिन नोमिनेशन फाइल नहीं किया। एक साहब ने ऐसा टाइम बताया कि कलेक्टर साहब को हमें सिफारिश करानी पड़ी कि वे तब तक रुके रहें। पांच बजे नोमिनेशन फाइल करना था और हमारा उन्होंने 4-40 का टाइम बताया था। अब वहां कलेक्टर साहब अकेले हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उस समय ज्यादा दबादबी नहीं थी, उनके साथ जो जुलूस चलते हैं, वे लोग भी रेस्टलेस हो रहे थे, लेकिन हम उसको डिफाई नहीं कर पाए, inspite of all this, हो सकता है साइंटिफिक रीजन हो। वास्तुशास्त्र क्या है, इधर का दरवाजा खोल दीजिए, इधर-उधर दरबार खोलिए। इसमें बड़े-बड़े लोग काम्पीटेंट हैं, इसका एडवरटिजमेंट होता है, टेलीविजन में आता है।

मैं एक और बात बताना चाहता था कि मेरिज की तारीख है, संडे को कोई मेरिज वह नहीं बता रहा। चाहे जब बता दे, रात को दो बजे बता दे। महाराज, आपसे ज्यादा इसका कोई ज्ञानी है नहीं और इससे ज्यादा लाभ भी आपको होता है, हम लोगों को नहीं होता। हमारा कहना यह है कि जो उत्तरांचल, नैनीताल और नैनी देवी को जानता है, वह महाराज को भी जानता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं बनारस के बारे में बताना चाहता हूं कि बनारस में ऐसे तांत्रिक हैं, जो डेड बॉडी को कहते हैं, खाना खाओ और वे खाते हैं। उनकी बहुत ज्यादा पावर है। आजकल इस विद्या को मानने वाले सबसे ज्यादा नेतागण हैं। मध्य प्रदेश में एक ज्योतिषी हैं, उनके यहां बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि वे मुख्य मंत्री के ज्योतिषी हैं। वे एक ऐसे ज्योतिषी हैं, सेंद्रल के मिनिस्टर के ज्योतिषी हैं, उनकी अलग ख्याति है। उसकी अच्छी खासी दुकान चलना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी खासी सोसायटी में रैस्पैक्ट है और वे यह काम भी करते हैं कि अगर आपको मंत्री जी से काम हो तो पहले आप एस्ट्रोलोजर को कंसल्ट कर लीजिए, वे जाकर अगर मंत्री जी के कान में कह देंगे तो मंत्री जी चीफ मिनिस्टर का कहना मना कर जायें, लेकिन अगर उनके ज्योतिषी कह देंगे तो मंत्री जी मानेंगे। क्यों साहब, ऐसी बात है न? हमारा कहना यह है कि जिस विद्या में कोई सेंस न हो, कोई लोजिक न हो तो उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। अब जैसे आपने सांप का बताया, यह सब हो रहा है, यह तो बाइ चांस है कि हर सांप जहरीला नहीं होता। अगर वे बच गये तो बच गये, अच्छा हुआ, नहीं तो बायां पैर चला गया। जैसा आपने उदाहरण दिया कि दाहिना पैर क्यों नहीं आगे किया।

हमने यह देखा है कि हम लोगों में थोड़ा फ्यूडल फैमिली के होने से इसमें बड़ा विश्वास होता है। हम जब भी ट्रैवल करते थे तो वहां हमारे पुराने जो हैल्पिंग लोग थे, वे हमेशा पानी का घड़ा रख देते थे, अगर नोर्मल कोर्स में वह मिले तो बात ठीक है, लेकिन यह नहीं कि अगर आपके पोर्टिकों के आगे पानी का घड़ा आपने ही अपने नल से भरकर रखवा दिया तो इसका क्या मतलब है। लेकिन अब कभी-कभी यह लगता है कि वह घड़ा न दिखाई पड़े तो लगता है कि वहां कुछ गड़बड़ हुई, वह क्यों नहीं रखा गया। इसका साइकोलोजिकल इफैक्ट पड़ता है। यह मालूम है, सही बात है कि जो फूलन देवी का बंगला है, बड़ी मुश्किल से जो हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं अग्रवाल साहब के यहां खुद गया था। 44 नम्बर, अशोका रोड में फूलन देवी जी रहती थीं, वह उनको एलाट हो गया, वे सिटिंग मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे पहले यू.पी. में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका जगदीश राणा साहब नाम है। मैं उनके साथ अग्रवाल साहब के यहां गया था। वे बीमार पड़ गये, 10-15 दिन बाद में उनके बड़े लड़के को बुखार आया, उसके बाद में

उनकी बहू को बुखार आया तो उन्होंने कहा कि फूलन देवी का भूत आ गया तो वे इतने परेशान हुए कि उस समय रेड्डी साहब थे, उनके यहां गये। इसी सिफारिश में अग्रवाल साहब के यहां बड़ी जलेबी हम लोगों ने खाई। इनके यहां अगर सण्डे में जाओ तो ये जलेबी खिलाते हैं। पता नहीं, आपको मालूम है या नहीं, महाबल मिश्रा जी?...(व्यवधान)

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): जलेबी के साथ समोसा भी खिलाते हैं। ...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह: नहीं, आप पार्टी वालों का बैटर होता है, हम लोगों को, थर्ड टियर वालों को जलेबी से निबटा देते हैं। आप पूछिये अग्रवाल साहब से, हमने शाहजहां रोड में कई चक्कर लगाये।...(व्यवधान)

श्री महाबल मिश्रा : अगर आपको बिना दूध के बच्चा पालना हो तो अग्रवाल साहब को पूछ लीजिए।...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह: यह फैक्ट है। जब मैंने राणा साहब से कहा कि यह आपको बंगला एलाट हो गया, दूसरा मिलेगा नहीं तो हमने उनको सैटिस्फाई करने के लिए कहा कि आप पूजा-पाठ करवाइये और हमने बनारस से पंडित लोगों को एंगेज करवाया, उनको बुलवाया और काफी विस्तृत रूप से उन्होंने पूजा-पाठ किया। अब वे कहते हैं कि वह ठीक हो गया।

अब मैं दूसरा किस्सा बताऊं आप गांव में जाइये, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि हर गांव में कोई न कोई छोटो बाबा जी हैं या कोई न कोई छोटा पत्थर रखा है। कहते हैं कि इसकी बहुत पावर है, बिल्कुल यह भैरों बाबा हैं या बहुत से नाम हैं और वह पावर सिर्फ 2-3 किलोमीटर की है, क्योंकि, दूसरे गांव में दूसरा पत्थर रखा हुआ है। उनका टैरीटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन 2-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ऐसा होता है कि यह भैरों बाबा फलां का लड़का ले आया। उसे बुखार आया था, वह बैठ गया, ठीक हो गया। अब आप अगर एक किलोमीटर और आगे चले जायें तो दूसरे बाबा टेक ओवर कर लेते हैं। इस तरह से ज्यूरिस्डिक्शनल बाबा हो गये। अगर यह जादू-टोने का सिस्टम न रोका गया तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इसमें बड़े सैक्रीफाइसेज़ होते हैं, यहां तक कि लोग-बाग भावावेश में आकर बच्चों तक का सैक्रीफाइस करते हैं, उनको मारते हैं और इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है।

सभापति महोदय: अब आप खत्म कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: हम समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि, जब सत्संग होता है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिनका नाम ले रहे थे, जो आजकल टी.वी. से चलाया हुआ था, जो कहते थे कि आपको यह है

तो जाओ, खीर खा लीजिए, वे बोलते थे। उन्होंने कहा कि हमारी आजकल आमदनी नहीं हो रही है तो कहते थे कि काला पर्स खरीद लीजिए, रसगुल्ला खा लीजिए और लोग-बाग काला पर्स खरीदने लगे।

उन्होंने यह किया कि जो पंडित जी लोग करते थे, उन्होंने रिलीजन को सिंपलीफाई कर दिया, उन्होंने रिलीजन को यूजर फ्रेंडली कर दिया। उन्होंने सोचा कि कितनी बढ़िया चीज है कि अगर सिर्फ दही खा जाएं या रसगुल्ला खा जाएं तो रसगुल्ला अलग मिला और भगवान अलग प्रसन्न हुए। इस तरह वे रिलीजन को सिंपलीफाई करके करोड़पति बन गए।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए हुए अंत में कहना चाहता हूं कि इसको बिना देरी किए समर्थन करते हुए कहता हूं कि इस पर बैन लगा दिया जाए और आगे चलकर ऐसी बातें न हों। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।

## 16.45 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced....Contd.

(xxiii) PROHIBITION OF HUMAN TRAFFICKING OF INDIAN CITIZENS ABROAD AND WELFARE OF OVERSEAS INDIANS BILL ,2012\*

MR. CHAIRMAN: Item No. 43, introduction of Bill. Shrimati Jayshreeben Patel. श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध करने और विदेश में नियोजित भारतीय नागरिकों के कल्याण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of human trafficking of Indian citizens to foreign countries and welfare of Indian citizens employed abroad and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India. Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 9.8.12

## 16.46 hrs

## BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010 - Contd.

सभापति महोदय: श्री जगदंबिका पाल, अब आप अपनी बात कहिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने की अनुमित दी है जो इस देश में सिदयों से चला आ रहा है और कहीं न कहीं आज भी गांवों में उसकी मान्यता है। उस मान्यता के चलते हमारे साथियों ने जैसा कहा, उसके बहुत से दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, लेकिन अब भी लोगों को जादू-टोना में विश्वास है। मैं समझता हूं कि यह इतना गंभीर विषय है कि इस पर हम केवल यह कह दें कि इस तरीके की चीजों पर हम केवल बैन कर दें, आज के युग में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि किसी महिला के ऊपर कोई प्रेत आ गया या किसी की आत्मा प्रवेश कर गयी और गांव में जिस तरह से उसे रस्सी से बांधते हैं और उसकी पिटाई करते हैं, कभी-कभी दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु भी हो जाती है, इस तरह की जो घटनायें घटित हो रही हैं, वे निश्चित तौर से किसी सभ्य समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यूपूर्ण हैं।

यह बात जो परंपरागत चली आ रही है, इस पर कोई शोध भी होना चाहिए। आज इस तरह की बातों पर आस्ट्रेलिया में शोध हो रहा है। आज अगर आप डिस्कवरी चैनल देंखें तो उसमें भी दी हांटेड एक प्रोग्राम आता है, जिसमें यह लगता है कि अमेरिका में यह भुतहा घर है, उसके अंदर जाइए तो वहां तरह-तरह की आवाजों आती हैं। यह बात केवल भारत में ही नहीं है, दुनिया के अनेक मुल्कों में चाहे दुनिया में जो सबसे प्रगतिशील कहा जा रहा है, यूएसए में भी इस तरह की मान्यतायें है, अगर डिस्कवरी चैनल में आप देखें तो आपको यह पता लगेगा। अगर आप आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ देखें तो वहां भी ऐसी मान्यतायें हैं और मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई देश इससे अछूता नहीं है। भारत में इसके कई कारण हैं। लोगों में गरीबी है, शिक्षा की दूरस्थ अंचलों में कमी है। मैं केवल यह कहूं कि केवल किसी ट्राइबल एरिया में इसका असर है, ऐसा नहीं है। देश के सभी हिस्सों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, नार्थ-ईस्ट हो या साउथ हो, उनके गांवों में आज भी लोग जादू-टोना पर विश्वास करते हैं। बहुत सी ऐसी घटनायें सामने आती हैं जिनमें लोगों को लगता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे, इनसे भभूति ले लेंगे या इनसे झाड़फूंक करा लेंगे, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह एक तरह से अंधविश्वास ही है कि जिस बीमारी का इलाज एलोपैथी से हो सकता है, जिस बीमारी का इलाज बिना सर्जरी के नहीं हो सकता है, जैसा अभी विजय बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि बहुत से लोग इसको एक व्यवसाय सा बना रहे हैं। गांव के स्तर पर भी ऐसा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज तो

राष्ट्रीय चैनल में विज्ञापन देकर यह काम हो रहा है। यह नहीं है कि वह चैनल इसिलए चला रहे हैं कि उस चैनल को कोई आस्था है या तमाम जो चैनल्स हैं, वे उसको मान्यता दे रहे हैं, लेकिन चैनल को विज्ञापन चाहिए, अगर उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि चाहे अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, तो अगर आप उस विज्ञापन का भुगतान करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप जो चाहे उसमें दिखा सकते हैं। आम आदमी को यह लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के चैनल से फलां बाबा की यह बात आ रही है।

इस देश में सैंकड़ों जनता को यह नहीं लगता है, गांव के आम आदमी में यह फर्क नहीं है कि यह विज्ञापन के द्वारा आ रहा है। उनको लगता है कि यह कोई चमत्कारिक बाबा होंगे, कोई अवतरित बाबा होंगे, और किसी ने अवतार लिया होगा, इनके मुंह से निकली हुई बात, देववाणी हो जाती होगी। जैसा कि उदाहरण दिया गया कि आप यह चप्पल पहन लें, इस रंग का पर्स रख लें, यह सैंडल ले लें, अपने हाथ में फूल ले लें, यह मिक्स वा लें या खीर खा लें, इसी तरह से कुछ ही दिनों में उन्होंने 213 करोड़ रूपये अर्जित कर लिए। आर्खिर इस तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो क्या वेलफेयर स्टेट में इसके बाद भी इजाजत दी जाए? बात से संज्ञान न लें कि वह साधु है, एक संत है या कोई समागम करते हैं। वह कहते हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि जिसकी इच्छा हो, एकाउंट में दो हजार रूपया डालिए लेकिन अगर इच्छा है और वह किसी को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट गैर-कानूनी की परिधि में आता है। यह गैर-कानूनी कार्यों की परिधि में आता है। उसका जो लॉ है, नैचुरल कोर्स में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश दुनिया में आईटी, कंप्यूटर साइंस, विज्ञान, स्पेस के क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है। आज हम दुनिया में एक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाओं का उल्लेख होता है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हमें यह लगता है कि हमारे देश में अभी भी वह आडम्बर है। आज भी इस तरह की मान्यताएं हैं। जैसा मैंने कहा कि इसके तमाम कारण हैं।

मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। सवाल यह नहीं है कि हमारे ओमप्रकाश जी इस तरह के बिल को लाएं हैं। वह लोक सभा में चुन कर आएं हैं। वह जनता के प्रतिनिधि हैं। हम लोग संसद सदस्य हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं और इस तरह की घटनाओं से जब दुःखद अंत होता है, जब दुःखद परिणित होती है, उस स्थिति से हम लोगों का भी हृदय द्रवित होता है और हम लोग भी समझते हैं। जबिक हम यह मानते हैं, डाक्टर भी मानता है, आप डाक्टर से बात करिए तो वह कहते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी में एक मेंटली डिसआर्डर होता है या एक तरह का मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम होता है। एक व्यक्ति कई तरह की हरकतें करता है तो यह बीमारी भी है। यह

नहीं है कि किसी के ऊपर भूत या प्रेत आ गया, किसी की प्रेतात्मा उसके अंदर आ गई। अगर यह आ गई तो इस पर शोध होना चाहिए। इस बात को सत्य किया जाना चाहिए। इस बात को साबित किया जाना चाहिए कि यह कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम नहीं है। ...(<u>व्यवधान</u>) यह मेंटली डिसआर्डर नहीं है बल्कि सच्चाई है। मैं समझता हूं कि इस कारण को भी जानना चाहिए कि यह क्या है और क्यों है? इस देश में तो आध्यात्मिक ज्ञान रहा है। दुनिया अपने देश के अध्यात्म की ओर बढ़ रही है जिसका प्रतिनिधित्व आप जैसे लोग करते हैं। आप पूरी दुनिया में जाते हैं आपको सम्मान मिलता है। इसलिए इस तरह का जादू-टोना या इस तरह की चीजों के बारे में लोगों को नहीं कहते। अगर देश में कहीं लोग किसी के प्रति आस्था रखते हैं, अशिक्षा, गरीबी-गुरबत के कारण अगर वह आस्था में विश्वास रखता है, उसके आस्था और विश्वास पर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो इसके लिए निश्चित तौर पर कानून बनना चाहिए। इससे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए तभी यह समाज में रूक सकता है। आज गांवों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो गांव के लोग यह मानते हैं कि यह नियति थी, उनकी यही परिणित होनी थी। इनके ऊपर प्रेत या भूत आ गया या किसी की आत्मा आ गई। कुछ दिनों तक वे लोग यही सोचते हैं कि यह जादू टोना से ठीक हो जाएगा। यह जादू-टोना से ठीक नहीं होता है और उसकी परिणित दुःखद होती है।

यह गंभीर मामला है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए या तो इसका कोई उपाय बताए अन्यथा इस तरह के बढ़ते हुए अपराध से जो टार्चर हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे ये बच्चों, महिलाओं या लोगों के साथ हो रही हों उन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I am not very sure which Ministry is supposed to be handling this Bill.

MR. CHAIRMAN: It is Shrimati Krishna Tirath's Ministry.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: With all due respect to Shri Om Prakash Yadav ji, I have the highest regard for his initiative and all of us appreciate what he has done, I would like to bring to your notice the discrepancy that I see in the Statement of Objects and Reasons here.

Initially it says: "That the UNO has released a comprehensive Report.....generally women are branded as witch and they are harassed, tortured, insulted and even murdered in the name of witchcraft by their relatives or so-called witch-hunters in cold blood". This is Para 1.

In Para 2 it comes to: "It is, therefore, necessary to enact a law to put a blanket ban on the practice of witchcraft and to provide for (Sir, mind this) stringent punishment for practising or promoting or advertising witchcraft".

Sir, there is a latent discrepancy here. My point is, let us take for example what is happening in many of the Northern States especially, something called witchcraft which I am ashamed to say I share the floor with such human beings who have in the Media dared in the twenty-first century to support such a thought process, such a mindset that honour killing is perfectly okay. People have said that and they dare to come and sit in this House.

Now, the question would be, suppose somebody wanted to bring about a Private Members' Bill or the Government brought about a Bill to ban or to make honour killing illegal where would you approach? Will you make inter-caste marriage illegal which is creating the honour killing situation or are you going to punish relatives, villagers or the Khap Panchayat who go out, search the couple – sometimes the couples run away for their dear lives – hack them to death in the middle of the night? What do we want to address? Do we want to address the

problem of not allowing young people to marry where they wish, whom they wish or do we want to punish those who harass them? So, the second line with all due respect to Yadav ji, he is a very respected colleague and I do not mean to in anyway create a bad sense, regarding stringent punishment for practising, promoting or advertising witchcraft needs amendment. Practising any belief for that matter should be perfectly legal, should be perfectly okay if in no manner does it abuse the freedom or the sense and sensibilities of another sane person in our community or in our country. We should not interfere in any manner in the personal beliefs or private activities of any individual of this country. This is a free democratic country. If some man or woman wants to practice witchcraft so be it.

Witchcraft is not limited to India. You would have heard about the Covens of England. Can we say that the Brits took help of the Covens to rule us for 200 years? Maybe they did it. If that be the case, then let us say that the *tantriks*, those who practice black magic...

MR. CHAIRMAN: Jadu Tona.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Yes, Sir, that is the Hindi word. I am sorry, I do not know Hindi. Vastu, Feng-shui, Reiki, there are so many beliefs in this world.



## 17.00 hrs

From Chile to Cambodia and from Uganda to Ulan Bator, everywhere humanity over the ages, even before science developed and even before there was an inception of a logical mind that dawned on human being; mankind has been known to practise such things to create an understanding of nature which always baffled humanity. It created disbeliefs to understand itself and to understand what is external to it which was incomprehensible to men. So, it is wrong because in this country at our sweet will, suppose the Government accepts this Bill or as we have seen in the past a Private Member's Bill is never accepted in this House, however good it may be it is always trashed. Sometimes the Government does come with a similar Bill six or eight months later when the whole House had forgotten that some great personality like Shri Om Prakash Yadav had brought such an eye opener of an Act. So, here the question is that what we want to address.

Our hon. Minister would be able to throw more light if she would speak. The constituency of the hon. Member who brought the Bill and the areas bordering Orissa and Andhra Pradesh also suffer from a lot of murders as also a lot of humiliation to women that is meted out to women by villagers who want to blame people for witchcraft. There are a couple of cases.

I edit a daily newspaper in Orissa. I have tried and told my reporters to go deeper into the causes and find out what really happened. These kinds of cases are happening there many a time. For example, a poor widow who may not be very aged but her husband has died and she is left with a lot of property. Then a group of hooligans with political help like the same kind of people who are giving support to honour killing in different States of North India – sham be on them – support those hooligans and then we blame every politician for supporting a wrong thing. They ensure that that lady branded as a witch. They can easily brand a lady as a witch. It is easy to do. You can throw a bone into her house and later on a committee of the villagers will go and say that they have found a bone in her

house. They will find some other methods like ashes and flowers. They can plant anything just like the police do in many cases. They can plant such things and they can brand, especially, a single woman who may be a widow as well as helpless as a witch and then it is very easy to slaughter them. Once they are slaughtered, then they grab all the property and it is an easy game. This is what is happening. So, here are we going to punish that lady even if it is found that she is practising witchcraft or do we want to punish those who slaughter her in greed to grab her property, her gold, her land and her home? So, that is where the Government should step in and make things very clear. You have to decide that do you want to ban Reiki or not. Do you have the courage to do that? Do you want to ban *vasstu*? Do you want to ban Feng Shui?

You can go to a place like Khan Market in Delhi. You will find two or three big bustling shops which are exclusively selling Feng Shui items. Who buys it? It is not common people like you and I. They are the rich, the famous and the glamorous people who buy it because they need more money. So, they will bring in three coins with holes to hang them up on their doors. They think that by doing so, more money will come. Where will they take all the money? Will they take it to heaven? I do not know. But if they knew and *jhadood* on it, then they could probably take all that money to heaven.

Sir, this kind of a Bill is definitely welcomed. It needs attention. I would like to say that women have been blamed for being witches for a very long time, even in Europe when witches were burnt in the inquisition time on stakes. Everybody is aware of that. Similar situation exists not only in India but all over. So, this belief - blind or eyes wide shut - may be considered bad or harmful but humanity needed to address problems unfortunately created by the All Mighty himself. So, we can blame the All Mighty and we can bring about a law to restrict the activities of the All Mighty or we can become more sensible and make an effective law because this country has already got so many laws that there is a need to bring about a census of a *per capita* law in this country! It is very

important. We have got too many laws but we do not have the infrastructure to implement them. So, the governance system itself is becoming a matter of joke because we just pointlessly pass laws here and they never go down to the field level.

So, let us not make something similar to that but let the Government come up with a tangible Act whereby you can curtail the people from doing injustice to newly married couples, to widows, to helpless people and the poor just because a gang can form does not mean an individual can be subjugated. That is the Indian mind set. If we can become a group or a gang, then we can do anything and that example we see even in politics whether it is the NDA as a gang or the UPA as a gang, it is all a very similar thing. So, let us rise above this gang mentality. I am sure Madam is extremely capable of that because she is not in any gang. She is a free thinking lady and she, I hope, will take this Private Members Bill -- which obviously her Government will never accept -- seriously and bring about a law that will address the situation in all sincerity. It needs to be addressed because this is a social ill we are all suffering from. You address the whole plethora from honour killing to witch hunters to all those people who are doing injustice to the weak, to the widows, to women and to those who are helpless.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, I thank you for permitting me to speak on the Ban on Witchcraft Bill moved by Shri Om Prakash Yadav. The initiative of the hon. Member in bringing a Private Member Bill on this subject is really appreciable.

I do not know whether the Government is going to give a serious thought to this issue but in my view, the issue deserves the attention of the Government. Ignorance, illiteracy and a strong cultural belief in the existence of witchcraft are causing untold miseries to the people. It is a superstition belief.

Voltaire compared superstition to a mad daughter of a wise mother. Between 2001 and 2008, 452 women were killed in Jharkhand due to the practice of witchcraft. There is a law to punish those practicing witchcraft in Jharkhand but still it is widely prevalent. Witchcraft is practiced in 12 States including West Bengal, Maharashtra and Andhra Pradesh. Some time back Maharashtra tried to bring a law in this regard but religious groups stalled the move on the ground that it would wipe away the customs and rituals followed for a long time. Fake Swamis, fake Babas, and fake Sadhus cheat the common people by performing the so called miracles. Superstitions are failures in reasoning. Education can wipe out superstitions. A scientific outlook and temper should be inculcated in the minds of youngsters. Ignorance is the parent of superstitions.

Even if the Government does not come forward to enact a law in this regard, I would urge the Centre to create awareness on superstitious beliefs through appropriate programmes in the visual media. So long as persons are open to get cheated, there will always be a group to cheat others.

Some 15 years back, Doordarshan used to telecast a programme in Hindi on every Sunday morning to create awareness against superstitions. But this has been discontinued. A rational and scientific thinking must be applied on all issues. Blindly following the commands of others is itself a dangerous course. When, why and how should be the questions which one must ask in respect of each issue.

If we begin to question on any issue like this, rationalism will emerge and ignorance will vanish.

In school syllabus, a lesson on superstitions versus rational thinking should be introduced. Blind belief and following the path shown by others without thinking will lead to superstition.

I endorse the Member's view fully and hope that the Centre, if not today at least on some other occasion or some other day, will come forward to bring a law banning witchcraft.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुवनी): महोदय, इस विषय पर जितने साधारण रूप से हम सोच रहे हैं, यह उनता साधारण नहीं है। इसीलिए इसे सामान्य रूप से या साधारण रूप से न सोचकर बहुत ही गम्भीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। जिसे हम जादू कहते हैं, टोना कहते हैं, तंत्र कहते हैं, मंत्र कहते हैं, क्या ये कहने वाले लोगों को तंत्र और मंत्र के शब्द का व्यापक अर्थ मालूम है? क्या भारत के पाणिनी के व्याकरण के अनुसार या संस्कृत साहित्य के अनुसार तंत्र और मंत्र के जो भौतिक अर्थ हैं और आध्यात्मिक अर्थ हैं, उन दोनों अर्थों को वे जानते हैं? अगर शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं और प्रयोग करते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं, तो अर्थ का अनर्थ भी हम कर सकते हैं। इसलिए अलग-अलग विषयों को रखा जाए। अभी विजय बहादुर जी बोल रहे थे, अंध विश्वास कह रहे थे। हमारे गुरु डॉ. लोहिया थे। वह राजनीति के क्षेत्र में हमें सिखाया करते थे कि अंधविश्वास जितना खतरनाक है, उतना अंधअविश्वास भी खतरनाक है। हम अगर अंधविश्वास न करें, तो किसी पर अंधअविश्वास भी न करें। अर्थात् हम अपने विवेक के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, तर्क के अनुसार विवेचन करके उसे ग्रहण करें, यही हमारी निरंतर भारतीय संस्कृति की परम्परा रही है। इसीलिए तो गौतम ऋषि ने न्यायशास्त्र की रचना की थी। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, जहां के गौतम ऋषि थे और जहां न्यायशास्त्र की रचना हुई थी। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसे ऐसे न देखा जाए। जादू है, टोना है, लोगों के अंदर भ्रांति और भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे एक तरफ से देखा जाए।

मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप जानते हैं, कि जब हमारे चारों वेदों की रचना हुई थी, तो अथर्ववेद को प्रारम्भ में जादूटोना कहा गया था। तीन वेद वाले उस वेद को वेद मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में हमारे ऋषियों और महर्षियों ने एक लम्बा सत्संग किया, ज्ञान की चर्चा की और महर्षि वेद व्यास के नेतृत्व में धर्म सभा स्थापित करके चारों वेदों को उन्होंने मान्यता दी थी। महाभारत के काल में राजा शांतनु जब गंभीर रोग से बीमार थे तब क्या इसी अथर्व वेद के ज्ञाता महर्षि ने उन्हें अथर्व वेद के मंत्रों द्वारा और औषधियों के द्वारा उनका उपचार करके उन्हें स्वस्थ किया था। वह एक वैज्ञानिक चीज है। जो उनके मंत्र का अर्थ होता है जिसे आज हम फार्मूला कहते हैं और उस फार्मूला को हमारे ऋषियों ने कहा कि वह मंत्र है। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में आप किसी चीज का अविष्कार करते हैं, निर्माण करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं। एम.सी. एक्वॉयर।

MR. CHAIRMAN: E=MC<sup>2</sup>

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जी, जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी वह तो एक छोटा सा फार्मूला था लेकिन उसका विषलेक्षण अणु से परमाणु तक गया। उसी तरह से हमारे ऋषियों ने अगर एक छोटा मंत्र दिया था कि

" योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदय अंतर-ज्योति पुरुष एकम् सदविप्रा बहुधा वदन्ति"

वह तो मंत्र है। आप उसकी व्याख्या जितनी अंतर-दृष्टि से, अपने ज्ञान और विवेक से कर सकते हैं किरये, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में ज्ञान की तरफ लोगों का आकर्षण नहीं रहा, ज्ञान की तरफ लोगों की खोज नहीं रही और हम दूर भटकते चले गये और ज्ञान से वंचित होते गये, जिसका दुष्परिणाम हमें मिल रहा है, हम भटक रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। आप स्वयं शास्त्र पढ़े हुए हैं। क्या दुर्गा शप्तसती में हम पाठ करते हैं तो हम नहीं कहते हैं "मारणं, मोहनम, वश्यम, स्तम्भन, उच्चाटनादिकम"। क्या हम इसे प्रतिबंधित कर दें कि यह अंध-विश्वास है, यह गलत है। दूर्गा जी की पूजा के समय घर-घर में पाठ होता है लेकिन इसके व्यापक अर्थ को हम समझ नहीं पाते हैं। आप जब कथा वांचते हैं तो रामचरित मानस में आया है कि

" महामंत्र जिमि जपिह व्यालके, मिटही कठिन कुअंक भाल के"

यह किस अर्थ में कहा गया, अगर उसका कोई अर्थ नहीं है, परिभाषा नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूं ही लिख दिया था। अनपढ़-गवांर के जैसे आज टीवी में बोलने वाले हैं या कोई तंत्र-मंत्र करने वाले हैं, उन्हीं के जैसे उन्होंने लिख दिया था क्या? इस बात को भी हमें गहराई से समझना चाहिए।

सभापति महोदय : विषय-वासना का मारण करें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जी। आगे आकर हम देखते हैं कि हमारे यहां है तंत्र और मंत्र और फिर आता है यंत्र। मंत्र के अनुसार तंत्र है, तंत्र के अनुसार यंत्र है और उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, विज्ञान के जिरये हम चलते हैं लेकिन हम उस विज्ञान को भूल गये क्योंकि हमारे अंदर वह वैज्ञानिक चेतना नहीं रही। हम जब रामचरित मानस में जाते हैं तब महामुनी विशष्ट जी भरत जी को कहते हैं कि

" सुनहू भरत भावी प्रबलः विलख कहे मुनिनाथ हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश, विधि हाथ''।

यह हमें कितनी ऊंचाई तक पहुंचाता है लेकिन अफसोस है कि हम अपनी उस विद्या से उस ज्ञान से, उस शिक्षा से अपनी सनातन परम्परा से दूर हट गये और हम स्वयं अंधकूप में जाकर डूबने लगे। अगर

हम स्वयं अंधकूप में डूबते हैं तो क्या होगा? अगर कोई साधू है, कोई तांत्रिक है, किसी का उपचार करे, वह मर जाए तो अपराधी है लेकिन ऑल-इंडिया आयुर्विज्ञान में बड़े-बड़े डाक्टर्स के हाथों उपचार करते समय हजारों रोगी मरते हैं तो क्या वे दंडित नहीं होंगे? उनकी विद्या को क्या हम गलत कहेंगे? उनकी विद्या को क्या हम अपमानित करेंगे? जो आधुनिक यंत्र जांच करने के लिए बने हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए और उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो क्या उसका मतलब है कि वह विज्ञान गलत है? आज भारत में वैज्ञानिक शोध होना चाहिए, आध्यात्मिक शोध होना चाहिए। इसमें वरिष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान वाले, वैज्ञानिक ज्ञान वाले लोगों को जिन्हें भारत के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान की जानकारी हो, उनके द्वारा इस विषय पर शोध करने की आवश्यकता है।

मेरी जादू-टोने में आस्था नहीं थी। देश को जादू-टोने में किसने फंसाया है? भगवान शंकर, जो तंत्र-मंत्र के ज्ञाता हैं, वे जब अपनी पत्नी को नहीं समझा पाएं, तो उन्होंने कहा है कि:

"होहिंह सोइ जो राम रिच राख। को करै तर्क बढ़ावे शाखा।। हिर इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना।।" नारद जी के संबंध में उन्होंने कहाः

"सीम को चाँपि सकइ कोउ तास्। बड़ रखवार रमापति जास्।।"

आखिर हमारे अंदर जो धार्मिक आस्था थी, हमारे अंदर अपनी परम्पराओं के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति जो आस्था थी, जिस पर हम आगे बढ़ सकते थे, उस आस्था से देश को किसने डिगाया? जिसने डिगाया और अंधकूप की तरफ ले गया, उस शिक्षा पद्धित को आप अपराधी किहए। जिस शिक्षा पद्धित का आप ढिंढ़ोरा पीटते हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों को शिक्षित करते हैं।

सभापित जी, आपके उत्तराखंड में भी मैं गया था चारों धाम धूमने के लिए। वहां दूर दराज के क्षेत्र में पहाड़ पर अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, तो इलाज करने के लिए कोई डाक्टर नहीं है। कोसों दूर तक जाना पड़ता है। इस समय बादल फटने से रास्ते बंद हैं। अगर बीमार पड़ता है, तो तात्कालिक इलाज की क्या व्यवस्था है? वहां कोई दवा देने वाला होगा, कोई जड़ी-बूटी देने वाला होगा, उसी से तात्कालिक उपचार करेगा। हम उन्हें इलाज की सुविधा नहीं दे पाए, हम उन्हें साक्षर नहीं कर पाए, गांव के पिछड़े दलित या अनुसूचित जाति के लोगों को हम कहते हैं कि वे इसमें ज्यादा फंसे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लोग वे फंसे हैं जो राजनीतिक हैं, व्यावसायिक हैं, प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा चंद्रा स्वामी के पास कौन जाता है, क्या कोई गरीब जाता है या गांव का निर्धन निर्बल व्यक्ति जाता है। उनके यहां बड़े-बड़े राजनेता जाते थे। उनके चरण चुम्बन करते थे। उनके सामने नतमस्तक होते थे। आज भी बड़े बड़े आश्रम बने हैं। उन आश्रमों में कौन जाता है। कोई गरीब,

कोई निर्धन, कोई आदिवासी, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्या किसी आश्रम में जाता है। इन जगहों पर बड़े राजनीतिक लोग, व्यावसायिक लोग और प्रशासनिक सेवा के लोग जाते हैं। आप जब भी इस विषय पर बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें गरीब लोग फंसे हुए हैं, आदिवासी लोग फंसे हैं, पिछड़ी जाति के लोग फंसे हैं। वे अंधविश्वास में ज्यादा फंसे हैं। अगर वे फंसे हैं, तो उसका कारण भी है। उनको बीमारी लगती है तो क्या उनके इलाज की व्यवस्था है? इस बारे में भी हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और जो गलत है, उसे रोकना चाहिए। मैंने देखा कि हम बहस के दौरान ज्योतिष को भी अंधविश्वास में ले गए। ज्योतिष में दो चीजें हैं, एक गणित है और दूसरा फलित है। आज भी भारतवर्ष में ऐसे ज्योतिषी हैं, जो बनारस में बैठ कर पत्रा में लिख देते हैं कि फलाना दिन इतने समय पर सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या कोई इस बात को काट सका है। हमारे यहां आज भी ज्योतिष शास्त्र में जो गणित की गणना करने वाले हैं, वे गणित के जरिए त्रिकालदर्शी बन कर ग्रह और नक्षत्रों की गणना से निकालते हैं, उनकी अलग विद्या है। हम अगर ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानते, हमारे ज्योतिष ने इस पर आविष्कार किया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रहमांडे तथा पिंडे। हम ब्रह्मांड के अंश हैं। हम ही सम्पूर्ण ब्रह्मांड हैं। अब इसे समझे बगैर जिसे इसका ज्ञान नहीं हो, जिसने इस पर चिंतन नहीं किया हो, जिसने आत्मा को नहीं पहचाना हो, वह सीधे कह दे कि साहब यह कैसे होगा। यह नव ग्रह कौन है? यह नव ग्रह मंगल है, यह शनि है, यह चन्द्रमा है जिस पर आप जा रहे हो। यह सूर्य है, जिस पर आप जाने का प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में सोचा गया कि नव ग्रह जो नक्षत्र मंडल में है, उन नव ग्रहों का मनुष्य के मस्तिष्क पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी गणना की गई और बताया। हम उस विद्या को अंधविश्वास कह दें, तो मैं समझता हूं कि यह हमारा अंध अविश्वास है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिमी सभ्यता भारत में आई। हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़े और अंध अविश्वास पैदा किया कि भारत की विद्या, भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति और भारत का अध्यात्म, भारत के धर्म में जो कुछ भी कहा गया है वह नादानी वाला है। हमारे पूर्वज नादान थे, अज्ञानी थे और यूरोप वाले जो कहते हैं, वही सत्य है क्योंकि वे विज्ञान से आते हैं। अगर उन्हीं का विज्ञान सत्य है तो, मैं कहता हूं कि उनका विज्ञान शोषण का आधार है। वे रोज नये नये कम्प्यूटर बनाते हैं, पुराने कम्प्यूटर को फिकवाते हैं। वे अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। इसीलिए आप इस पर चिंतन करिए। जादू हो, टोना हो, पाखंड हो, इसको एक श्रेणी में रखकर उसको रोकने के लिए कानून बनाइए। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो प्राचीन विद्या है, ज्योतिष है, गणित है, अध्यात्म क्षेत्र है, तंत्र हैं या मंत्र हैं, उनका अपना एक अलग क्षेत्र है जो वैदिक काल से चला आया है। इसलिए कृपा करके इस गंदी नाली में हमारी प्राचीन और परम्परागत विद्याओं को मत डालिए। गंदी नाली में जो कुछ भी है, उसको साफ जरूर

किरए लेकिन अगर इसको गंदा किहएगा तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो अंधविश्वास है, अविद्या है, अंधकार है, उसमें लोग भटक रहे हैं। हम अपने भाइयों, बहनों और भारत माता की संतानों को उस अविद्या से निकालकर उनको ज्ञान के प्रकाश की ओर ला दें। जिस दिन उनमें ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो स्वयं ही वे इस अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे। हमें इसकी ओर प्रस्थान करना चाहिए।

अंत में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

## 17.26 hrs

### PRIVATE MEMBER'S BILLS-Introduced...Contd.

## (xxiv) GOVERNMENT OF UNION TERRITORY OF ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS BILL, 2012\*

MR. CHAIRMAN: Now, Item No. 31 – Introduction of Bill by Shri Bishnu Pada Ray.

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the creation of a Legislative Assembly for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the creation of a Legislative Assembly for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

SHRI BISHNU PADA RAY: I introduce the Bill.

\_

<sup>\*</sup> Published in the Gazette of India. Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 9.8.12

## 17.28 hrs.

## BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010—Contd.

MR. CHAIRMAN: Shri Adhir Chowdhary.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I would like to thank you for calling me to speak on this subject.

I must appreciate the initiative taken by our hon. colleague Shri Om Prakash Yadav for brining forward the Private Member's Bill titled "Ban on Witchcraft Bill" because, I think, the practice of witchcraft is a blot on the civilized society. When we are reading in the newspapers about the landing of the Rover craft in the Planet Mars – everybody knows the name curiosity when we are boasting of India as a country which is recognized as a space-technology-savvy country in the world, then, I think it is shameful to us when we come to know that poor women are being subjected to gruesome torture, atrocity and violence which even culminates into death. At that point of time, some sort of remedial measures have to be taken as an imperative need to address and redress this kind of an unsavory situation prevailing in our society. This legislative measure has sought to lay emphasis on and put an end to the witchcraft-related killings.

We should not confuse between astrology and astronomy. We should confound ourselves between ignorance and science. We should not deviate from the tone and tenor of this very legislative document.

For your convenience I would like to refer to two or three examples. On 22<sup>nd</sup> May, 2011, a news was published in a newspaper that in Rainur, 11 people of a village in Chhattisgarh barged into a house and severely assaulted a woman accusing her of practising witchcraft and inserted a pair of scissors in both her eyes and then in her husband's eyes too. The Chhattisgarh State Assembly had passed the Witchcraft (Prevention) Act in 2005 but it has hardly made an impact in tribal areas where most of the atrocities against women in the name of witchcraft

are still flourishing and a majority of the cases remain unreported. Then what should be our reaction to this kind of inhuman incident?

Witch killings are reported in the North East area also. Witch killings are reported mostly in the monsoon season in view of the outbreak of several deadly diseases when an ailing person could not be saved despite administering herbal concoctions, the quacks and 'shamans' are branded and killed in revenge by the family members. Can we subscribe to the view of those people who have committed this kind of crime?

Sir, another example is in Rajasthan. In Rajasthan, a news had come out 7<sup>th</sup> August, 2011 that Narangi Devi, 33, a resident of Rani village, was branded witch and made to lie on burning embers while tantrik Usha Meena placed hot embers on her body at Keshav Nagar of Pali district, nearly 296 kms. southwest of Jaipur. The incident took place on Friday night and even the victims husband, Chunni Lal, and other relatives looked on.

From 'Assam Tribune' dated 16<sup>th</sup> February 2012, a report has been published that every second day we read of women in Assam being labelled witches and killed. The latest was in Tezpur in Sonitpur district of Assam where Lakshmi Gaur was brutally killed and buried at Milanpur in Misamari area. Sir, the examples are galore, from where can we draw the conclusion. In the name of witchcraft, brutalities, atrocities, violence have been perpetuated in our society. Because of this, it appears that our country has been divided between India and Bharat. For, India has been glittering; on the contrary, Bharat has been languishing in the abysmal of despair, in the absence of knowledge. That is why, the need of the hour is to provide education so as to make our population literate, to provide health at an affordable price to those people who used to live in the remotest part of our country.

I do not know what kind of figures could be provided by the hon. Minister insofar as atrocities, witch hunting, witch killing are concerned, which have been continuing, unabated. It is reported that at least 12 States in our country are

recognised as areas where witch hunting is rampant even today. While statistics regarding the magnitude of the problem are scarce, according to unofficial estimates, in the last 15 years, around 2,500 women have been killed after being branded as witches. About 500 cases occurred in Jharkhand alone in the past few years.

Sir, when the womenfolk in our country are being deprived of the fundamental rights of living, which has been enshrined in our Constitution, when our women are being subjected to discrimination, when the poor women of the tribal villages are subjected to gruelling violence, then we can only take recourse to the legal machinery in order to address the situation. But the fact is, in spite of a plethora of laws, it is due to lack of implementation, this kind of ancient and medieval practices are still taking place in our country. Largely, the affected population, in so far as witch hunting is concerned, is the tribal cultures of our country because their life pattern is designed to save the tribal population where individuals cannot make their presence felt by expressing themselves and the tribal village is dominated by priests, by *pradhan*, and by *janguru* themselves. So, naturally they cannot go beyond their own capacity to express their feelings.

Sir, whenever any kind of misfortune befalls in any village, immediately after that witch hunting starts and those who are responsible for identifying the witches, they take to some inarticulate incantation and abracadabra and they adopt some medieval practices to identify the witches by their own whims and once a witch is identified, her life becomes miserable. That is why, this kind of practices need to be stopped.

Sir, witchcraft is not related to any religion; rather, I must say, it is a perversion of religion, it is a corruption of religion. The identification of witches with that of Pagan Goddess Diana is put forward by the Italian G. Tartaratti in the 15<sup>th</sup> Century on the basis of certain allusions in the medieval literature on witchcraft especially on account by Regino and it has been upheld by certain English authors also.

So, Sir, from fairy tales such as Hansel and Gretel to Shakespeare's Macbeth, witches have been projected as satanic and devilish women. So, whenever we visualise a witch, we think that she is worshiper of devil, she usually drinks human blood, she can fly on broomstick, she has the power to cast spell, she has the power to tell the future, etc.

Sir. throughout the world, these practices have been reported widely, especially in the underdeveloped and undeveloped countries which are largely the victims of this kind of medieval practices. Witch does not mean that they are to be female only. Both male and female can be regarded as witch, but because of our patriarchal society, where male dominates the society, female usually suffers a lot.

Sir, once upon a time, the female used to play the role of a peacemaker, or a counsellor, but to cut down their influence in our society the male power started to innovate various kinds of ways and means to scuttle the domination of womenfolk in our society. That is why due the patriarchal society of our country, the female are largely the victims of witchcraft.

Sir, India is a country which we are boasting of for surging ahead to the 21<sup>st</sup> Century. When we are boasting of a country like India which has carved out a niche for this country in the comity of nations then certainly we cannot encourage this kind of practice by any excuse whatsoever. That is why I think some sort of stringent measures need to be introduced in our legislative mechanism so as to put a ban on this kind of witchcraft, especially relating to the killing of the innocent, poor womenfolk in our country.

With these words, I am concluding my speech.

सभापति महोदय: अगर सभी माननीय सदस्य थोड़ा-थोड़ा बोलें तो सभी को बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदय, आपने मुझे जादू-टोना पाबंदी विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, श्री ओम प्रकाश यादव जी जिस विधेयक का प्रस्ताव लेकर आये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। देश में किसी भी रूप में जादू-टोना पर पाबंदी का उपबन्ध करने वाला विधेयक, जो सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

महोदय, यह जादू-टोना, अंधविश्वास आदि मध्यकालीन युग से चला आ रहा है। जहां-जहां अंधविश्वास होता है, अविश्वास होता है, वहां-वहां जादू-टोना चलता है और दुनिया के सभी देशों में यह आज भी थोड़े-थोड़े रूप में मौजूद है। आज हम बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यह विज्ञान की सदी है, टैक्नोलॉजी की सदी है, लेकिन फिर भी आज हम शगुन, अपशगुन, जंतर-मंतर, जादू-टोना पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं।

महोदय, इस जादू-टोना के गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादा शिकार बनते हैं। आज भी गांव में जब कोई बीमार होता है, किसी को बिच्छू या सांप काटता है तो उसे जंतर-मंतर करने वाले या जादू-टोना करने वाले के पास लेकर जाते हैं। सांप जहरीला होता है तो समय बर्बाद होने के कारण मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। विशेषकर महिलाएँ इसकी ज्यादा शिकार होती हैं। आज कई महिलाओं को चुड़ैल या डायन का नाम देकर उनको बहुत परेशान किया जाता है। मैं असम की बात करता हूँ तो असम में तेजपुर जिले में 12 फरवरी, 2012 को लक्ष्मी गौर नामक महिला को डायन होने के शक के आधार पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आश्चर्य की बात है कि आज भी पढ़े लिखे लोग इसमें ज्यादा बिलीव कर रहे हैं जो चिन्ताजनक है। इसमें टीवी और फिल्मों द्वारा जो राशिफल प्रसारित होता है, उनके द्वारा भी उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और अंधविश्वास का प्रसार किया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, पहले एक बार ऐसी अफवाह आई थी कि गणपति जी दूध पी रहे हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य एक मिनट विराम दें।

Hon. Members, the time allotted for the discussion is over. There are three or four more speakers to speak on this Bill. If the House agrees, the time for the discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes

MR. CHAIRMAN: Okay. Please continue.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: आदरणीय सभापित जी, आपने भी सुना होगा कि एक अफवाह आई थी कि गणपित जी ने दूध पिया और उसके बारे में मैंने एक घटना पढ़ी तो मुम्बई में ऐसा हुआ कि लाईन लगी थी और सब लोग गणपित जी को दूध पिलाने के लिए लाईन में खड़े थे। एक बच्चे के हाथ में दूध का लोटा नहीं था। पीछे वाले बच्चे ने पूछा कि हम तो गणेश जी को दूध पिलाने के लिए लाए हैं, आप किसलिए लाईन में खड़े हैं? उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम भी गणेश है और मैं इसलिए लाईन में खड़ा हूँ कि आज आप जब गणेश जी को दूध पिला रहे हैं तो उसमें जो कुछ दूध नीचे गिरेगा तो शायद मेरे भाग्य में भी कुछ आएगा क्योंकि मैं दूध का स्वाद भूल जाऊँ उससे पहले मैं दूध पीना चाहता हूँ और आज मौका है कि शायद मुझे दूध मिले। इस प्रकार के अंधविश्वास से हमारा समाज ग्रस्त है। यादव जी ऐसे समय पर जो बिल लेकर आए हैं, वह बिल्कुल सही है। समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और आज जो मानव बिल या पशु बिल होती है, उसको रोकना चाहिए। जादू-टोना बंद करने के लिए कड़े कानून का जो प्रावधान लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा लाए गए जादू-टोना पाबंदी विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, यह देश समाज में बँटा है और समाज में विश्वास और अंधविश्वास दोनों हैं। एक तरफ पूजा-पाठ है और दूसरी तरफ तांत्रिक व्यवस्था सदियों से चल रही है और चलती रहेगी। इस पर टोटल पाबंदी लगाने से कहीं न कहीं कठिनाई होगी। हम किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी सीरियस मरीज़ का आपरेशन कराना होता है तो वहाँ बड़े बड़े डाक्टर इकट्ठे होते हैं। मरीज़ सीरियस होता है। उस समय डाक्टर से जब मरीज़ का अटैन्डैन्ट पूछता है कि क्या स्थिति होगी तो डाक्टर कहते हैं कि दवा तो मेरे बस में है, आप दुआ कीजिए। यह बात सदियों से होती आ रही है और होती रहेगी। एक तरफ पूजा-पाठ है जहाँ से आदमी को आस्था और विश्वास मिलता है, उसकी इच्छाशक्ति ठीक होती है, बढ़ती है और दूसरी तरफ आडंबर है जहाँ तंत्र विद्या है, ढोंग है, जहाँ इस तरह से बिल, नरबिल और पशुबिल आदि की व्यवस्थाएँ हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है। ये दोनों पक्ष हैं। अभी हम अपने माननीय सदस्यों को सुन रहे थे। दोनों पक्षों को जोड़कर रखा गया। हम, आप सभी समाज में रहते हैं। घर से निकलते हैं तो हर हाथ में कोई न कोई अंगूठी, कोई न कोई ताबीज़, कोई न कोई रक्षा सूत्र बँधे हैं। ऐसा क्यों हैं? हम तो अनपढ़ नहीं हैं, हम तो पार्लियामैंट के मैम्बर हैं, हम तो समाज के सभ्य लोग हैं, हम तो बीसवीं सदी में प्रवेश करके अपनी विकास की यात्रा पर निकले हैं और हम चाँद पर तथा अन्य ग्रहों पर भी पहुँच गए हैं। लेकिन कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम पूजा-पाठ में विश्वास करते हैं चाहे हम किसी ग्रह-उपग्रह पर जा रहे हों या कोई मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग बना रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, आस्था की तरफ हमारा झुकाव होता है। इसे रोका नहीं जा सकता। धर्म और पूजा-पाठ एक दूसरी विधा है और दूसरी तरफ आडम्बर और जादू-टोना है जिस पर पाबंदी के लिए भाई ओमप्रकाश जी जो बिल लाए हैं, मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करता हूँ और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।

समाज में ऐसे लोग हैं, कहीं सांप, बिच्छु या जहरीले कीड़े काटते हैं तो दवा की जगह हम लोग पहले झाड़-फूंक करते हैं। अन्य भी तमाम ऐसे अंधविश्वास हैं, जहां भूत-प्रेत के चक्कर में लोग बने-बनाए घर को उजाड़ देते हैं, भूत-प्रेत के चक्कर में कहीं बिल दे दी जाती है। ऐसे तांत्रिक और ओझा जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। कुछ इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं टेलीविजन चैनल्स और दूरदर्शन की भी है। हम लोग हीवी देखते हैं, इसमें भी कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, कहीं कुछ दिखाया जा रहा है। इसका भी समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है, वहां भी पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह से समाज में कुरीतियां फैला कर दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज में भ्रामक व्यवस्था पैदा

करके भूत-प्रेत और टोना की व्यवस्था देकर समाज को विदूप कर रहे हैं। पशु बिल और नर बिल की व्यवस्थाएं दे रहे हैं। वहां पाबंदी लगनी चाहिए और दूसरी तरफ जो आस्था और विश्वास है, उसको इससे न जोड़ा जाए। यह एक अलग विधा है, यह एक अलग विधा है। मैं निश्चित रूप से जादू-टोना और अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करता हूं। इस पर कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और समाज में फैली हुई कुरीतियां और बुराइयां, जो घर कर गई हैं, उसमें केवल यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल ट्राइबल्स, दिलत, अनुसूचित या जंगल और कंदराओं में रहने वाले लोग ही इसके शिकार हैं, सभ्य लोग, जैसा कि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, हम लोग भी घर से निकलते हैं, बिल्ली आगे से रास्ता काटती है तो लोग बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, कोई दूसरा जानवर निकलता है तो कहते हैं कि अच्छा है, शुभ है। ऐसी चीजें हैं और रहेंगी भी, लेकिन जो अंधविश्वास है, जादू-टोना, पशु बिल, नर बिल है और लोगों को और बच्चे-बच्चियों को प्रताड़ना दी जाती है, जैसा कि कभी-कभी टीवी पर दिखाया जाता है, ये सब चीजें निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इन पर निश्चित रूप से पाबंदी लगनी चाहिए और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापित महोदय, ओम प्रकाश यादव जी द्वारा जादू-टोना पर पाबंदी लगाने का जो विधेयक लाया गया है, इसके संबंध में हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आज सदन में बहुत अच्छे विषय को ले कर चर्चा हो रही है। एक तरफ हम अंतिरक्ष की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चांद के बारे में कभी कहा जाता था कि वहां बूढ़ी अम्मा चरखा कात रही है, लेकिन उसी चांद पर एक परी सुनीता विलियम्स के रूप में हमारे यहां से जाती है और छः महीने तक अंतिरक्ष में रह कर आती है और सुश्री कल्पना चावला अंतिरक्ष में जाती है। यह विज्ञान है। दूसरी तरफ हुक्मदेव जी ने तथा दूसरे साथियों ने कहा कि विज्ञान और धर्म, दोनों को अलग-अलग करके हमें देखना पड़ेगा। समाज में जो अंधविश्वास फैला है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को छींक आ जाती है, तो हम कहते हैं कि अभी बाहर मत निकलो। हमारी माताएं रात में आचार नहीं निकालती हैं। यह माना जाता है कि अगर रात में आचार निकाला जाएगा, तो वह खराब हो जाता है। यह कहा जाता है कि शुक्रवार को कोई नया काम प्रारम्भ करने की चर्चा नहीं करनी चाहिए। शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए। यह सब अंधविश्वास है।

जब इन अंधविश्वासों के संबंध में हम चर्चा करते हैं, तो हमारे हर शहर के बाहर ऐसा कोई न कोई रास्ता या घाटी होती है, वहां से जब गाड़ियाँ जाती हैं, चाहे बस हो या ट्रक हो कहा जाता है कि वहां नारियल अवश्य फोड़ा जाता है। इन्दौर के आगे घाटी है। टीवी में उसके बारे में अकसर बताया जाता है कि वहां अगर ट्रक या बस वाले नारियल नहीं फोड़ते हैं, तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी बातें हमारे देश में बहुत सारे स्थानों पर देखने को मिल जाती हैं। पांडे जी ने और हुक्मदेव जी ने भी वही बात कही है कि इन सारी चीजों को रोकने में हम समाज का नेतृत्व करते हैं और इन कुरीतियों के प्रति जागरण के संबंध में हमें ही पहल करनी पड़ेगी। पिछले दिनों दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में हमारे परिवार के एक सदस्य का इलाज हो रहा था। वहां मैंने देखा कि बहुत धनाढ़्य परिवार के नौजवान का इलाज चल रहा था। डाक्टरों ने कहा कि उसके लिए बहुत ज्यादा सम्भावनाएं नहीं हैं, तो धनाढ़्य परिवार ने जादू-टोना करने के लिए बाहर से व्यक्ति को बुलाया। हमारे देश में चिकित्सा सुविधा होने के बावजूद भी हमारे समाज में अंधविश्वास इतना है कि हम उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। उसके संबंध में सबसे पहले हमें निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा स्वयं का एक प्रकरण है। जब मैं ग्यारहवीं लोक सभा चुनाव का फॉर्म डालने जाने लगा तो मेरे घर के सामने किसी ने सुबह चार बजे के आस-पास हड़डी, हत्दी और सिन्दूर वगैरह रख दिया। मैंने कहा मैं इसे नहीं मानता

और उस पर पैर रखता हुआ मैं आगे बढ़ गया। मैंने लोक सभा चुनाव के लिए फॉर्म भी डाला और चुनाव भी जीता। उसके बाद लगातार चुनाव जीतता रहा। एक बात बहुत सारे मित्रों ने कही है कि जो भूत-प्रेत वाले, डरावने सीरियल और फिल्में बन रही हैं, उसके कारण बच्चों में काफी भय पैदा हो रहा है और उस भय को दूर करने के लिए माताएं जादू-टोना का सहारा ले रही हैं। ऐसे जादू-टोना वाले डरावने सीरियलों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऐसी फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो तरह-तरह से समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं।

मैंने विज्ञान और धर्म के संबंध में जो बात कही थी कि हमें विज्ञान और धर्म दोनों को अलग-अलग देखना पड़ेगा। विज्ञान बहुत पहले भी था। रामायण के समय में भी था। उस समय पुष्पक विमान की कल्पना की गयी यानी हमारी टेक्नॉलोजी बहुत आगे थी। तब दिव्य दृष्टि से देख कर बात करने की बात कही जाती थी। आज कम्प्यूटर आया, टेलीविजन आया। लेकिन, ये सारी चीज़ें उस युग में भी थीं और हजारों किलोमीटर दूर से भी इन चीज़ों को देखा जाता था। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विज्ञान का सहारा लेकर पानी में पत्थर को तैरा देते हैं, पानी में आग लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने जादू-टोना कर दिया। हमारे आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं। ऐसे लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ों को करके यह कहा जाता है कि हम जादू-टोना कर रहे हैं। वास्तव में यह विज्ञान है। हमारे घरों के आँगन में तुलसी का पौधा होता है। वह चौबीस घंटे ऑक्सीजन देता है। वह तुलसी का पौधा हमारे लिए इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है कि जिस घर के आँगन में उस तुलसी के पौधे की उपस्थिति होती है, वहां यह माना जाता है कि उस घर में किसी तरह की दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती हैं, कोई बुरी आत्मा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकतीं, सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं।

हमें विज्ञान और धर्म दोनों को अलग-अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा और जादू-टोना के संबंध में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उस अंधविश्वास के विरोध में, चूंकि हम लोग समाज का नेतृत्व करते हैं इसलिए हम सभी सांसदों को इस संबंध में पहल करनी चाहिए कि जादू-टोना खत्म होना चाहिए। जब तक हम इसके लिए अपने जीवन में पहल नहीं करेंगे तब तक यह समाप्त नहीं होगा।

महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको और ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा एक बहुत अच्छा प्राईवेट मेम्बर बिल लाया गया है। सभी सांसदों ने इस विषय पर काफी रुचि के साथ अपने-अपने विचार रखा है। मैं इन बातों के साथ कि इस पर बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए और जादू-टोना पर पाबंदी लगाने का जो बिल लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** सभापित महोदय, मैं श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010 को लाने के लिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। यह कहा जाता है कि जादू-टोना गरीब तबके में व्याप्त होता है, मैं इसे नहीं मानता। यह पढ़े-लिखे, पॉलिटीकल, कॉरपोरेट सेक्टर और अन्य लोगों में भी होता है और अन्य देशों में भी यह होता है। मैं समझता हूं कि जादू-टोना अज्ञानता की वजह से होता है। जहां शिक्षा कम होती है, वहीं जादू-टोना भी होता है।

जादू-टोने के संबंध में जो कानून बनाने की बात है, उसके संबंध में मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। मैं स्वयं का एक अनुभव यहां व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पेशे से सर्जन हूं। मेरे पास एक मरीज़ लाया गया था। वह महिला थी और बालिका थी। उसके ऊपर अलग-अलग प्रकार का जादू-टोना किया गया था। उसके परिवारजनों और गांव वालों ने उसे डाकिन माना था। वह महिला चिल्लाती थी। उसे उल्टी होती थी। वह पूरे बिस्तर पर तड़फड़ा रही थी। बाद में किसी ने कहा कि लगता है कि इसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। उसके परिवार के लोग उसे मेरे पास लाए। मैंने उनकी जांच की। जांच के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन्हें एपेंडिसाइटिस की बीमारी थी। एपेंडिसाइटिस की बीमारी की वज़ह से वह बहुत तड़फड़ाती थी, बहुत टॉसिंग होती थी, उसे बहुत उल्टी होती थी, और वह अलग-अलग प्रकार की भाव मुद्राएं करती थीं। इसी वज़ह से परिवार वालों ने उस पर जादू-टोना किया था। वे उसे मेरे पास लाए और मैंने उसका ऑपरेशन किया।

## 18.00 hrs

ये जो महिला आज बड़ी हो गई है, उनके दो-तीन बच्चे भी हुए हैं। वह आज भी मेरे सम्पर्क में है। ये इनका एक उदाहरण है। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये जादू-टोना उनकी अज्ञानता की वजह से है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सोलंकी जी, समय हो गुरा है, आप अगली बार इसमें बोलेंगे। अब हम शून्य काल ले रहे हैं - श्री प्रेमदाय जी।

श्री प्रेमदास (इटावा): आदरणीय सभापित जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे लोक सभा क्षेत्र इटावा में दिबियापुर में एनटीपीसी प्लांट लगा हुआ है। वहां जब यह प्लांट लगा था तो किसानों की बहुत अच्छी जमीन ली गई थी। वहां जब प्लांट लगता है तो वहां पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैलने का काम होता है। एनटीपीसी ऐसा प्लांट है, जिसमें बहुत भारी तादाद में धुंआ वगैरह निकलता है। कई बार मंत्री जी को मैंने लेटर लिखा, मंत्री जी ने सदन में घोषणा भी की कि पांच किलोमीटर के आसपास एनटीपीसी से बिजली देने का काम करेंगे। दो साल हो गए, मैंने कई पत्र लिखे, उन पत्रों का जवाब भी आया। लेकिन दो साल बाद आज भी उसमें काम शुरू नहीं हो रहा है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक विष्ठ मंत्री ने घोषणा की, बिजली मंत्री, श्री शिन्दे साहब आज सदन के नेता हो गए। ऐसे पूरे देश में कई प्लांट हैं, जिनमें पांच किलोमीटर बिजली करने की घोषणा की गई। मेरी मांग है, आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। बगैर बिजली के कम्यूटर आदि बहुत सी चीजें नहीं चलती। जनहित में बिजली इतनी आवश्यक हो गई है। मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी एनटीपीसी के आसपास पांच किलोमीटर बिजली की व्यवस्था सरकार करे।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापित महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महुआ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां से मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं। आपको यकीन नहीं होगा कि सन् 1950 से आज तक भारत सरकार का वहां कोई संस्थान नहीं बना। अभी हाल में मेडीकल हैल्थ मिनिस्टर ये एलान कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में मेडीकल होस्पिटल एम्स की बराबरी के बनाएंगे। हमारे यहां जिला हैड क्वार्टर हमीरपुर में, महुआ में एनेसथिसिस्ट नहीं है। अगर एक बहू की डिलवरी होती है तो उसे सौ-120 किलोमीटर चलना पड़ता है और सबसे नियरेस्ट पाइंट हमीरपुर में झांसी 110 किलोमीटर है तथा कानपुर डेढ़ सौ किलोमीटर है। आजकल भारत में एक बड़ा अजीब सा समाजवाद आया, रूरल इंडिया और अरबन इंडिया में हो गया और ये गेप बढ़ता चला जा रहा है। जहां दिल्ली में हर अंग का अस्पताल है, दिल, हड्डी, स्टमक, किडनी, आइज़ और नोज़ आदि सब का अलग अस्पताल है। हमारे जिले में 150 डॉक्टरों की तैनाती है। अभी हमने मेडीकल ऑफिसर, सीएमओ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि 44 डाक्टर काम करते हैं। 30 परसैंट डाक्टर, 70 परसैंट डिस्पेंसरी में कोई है ही नहीं। मैं एग्रीकल्चर परिवार से हूं। अपनी तरफ से मैंने हैल्थ मिनिस्टर को भी लिखा है कि मैं 100 बीघा जमीन डोनेट करना चाहता हूं और उसके लिए एक पैसा नहीं लूंगा। अभी ऐलान हुआ है कि ऑल इंडिया मैडीकल इंस्टीट्यूट शायद वे हमारे बुन्देलखण्ड में खोल रहे हैं। बगल में झांसी में मैडीकल कालेज है, बांदा

में मैडीकल कालेज हो गया, सिर्फ हमीरपुर और महोबा ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि जितनी जमीन चाहिए, आप 100 बीघा से शुरू करें और हमारे यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज़ शुरू करें।

मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, चूंकि आप बहुत विद्वान हैं, इसिलए मैं यह बात करने को टैम्पटेड हूं कि भारत के संविधान में फण्डामेंटल राइट्स दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि लॉ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, अगर वे थोड़ा सा अटेंशन अगर दे दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टीकल 21 में लिखा है, राइट टू लिव और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या दी है कि Right to live means decent living, not animal living और हमारे यहां एनेस्थीसिएसिस्ट नहीं है। मैं अभी महोबा में गया था, वहां पर एक गाइनाकोलोजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि मैं दो साल से यहां हूं लेकिन सिजेरियन डिलीवरी नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि, कोई एनेस्थीसिएसिस्ट नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

76 से सम्बन्धित है।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज़ हमीरपुर में खोला जाये और उसमें जितनी जमीन चाहिए, मैं फ्री ऑफ कास्ट देने को तैयार हूं। मैं यह लिख कर मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को दे चुका हूं।...(व्यवधान) श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आज एक तात्कालिक अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग

मिर्जापुर से इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी होकर पाकिस्तान की सीमा के निकट राजस्थान के पिंडवाड़ा तक यह मार्ग जाता है। यह मार्ग इलाहाबाद से चित्रकूट, चित्रकूट से बांदा के बीच तथा बांदा से महोबा के बीच पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस पर इतने गड़ढे हो गये हैं कि स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। चित्रकूट और बांदा, शिवरामपुर, अतरड़ा और महोबा के बीच में स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि चित्रकूट आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, वह एक धार्मिक स्थल है, जहां भगवान राम 12 साल उस चित्रकूट में रहे हैं। वह पर्यटक स्थल भी है, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वह मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि है और वहां इलाहाबाद भी हमारी धार्मिक आस्था का केन्द्र है। अगर इलाहाबाद से चित्रकूट आप कभी कार में जायें तो मैं समझता हूं कि पांच से दस घंटे इलाहाबाद से आने में लगेंगे और आपका कचूमर निकल जायेगा।

यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। मैंने लगातार माननीय मंत्री जी को कई बार इस सम्बन्ध में लिखा है, किन्तु एन.एच.76 की मरम्मत नहीं की जा रही है। मेरी

आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि एन.एच. 76 का तत्काल उच्चीकरण किया जाये और उच्चीकरण करके जगह-जगह जो 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, अभी भादों का महीना है, वहां बड़ा विकराल मेला लगने जा रहा है। मैं एक मिनट में आपसे मांग करना चाहता हूं कि भादवीं अमावस्या में जो टूरिस्ट और धार्मिक लोग वहां आ रहे हैं, जो अन्य लोग आ रहे हैं, वहां उस सड़क में जगह-जगह 3-3 फीट के गड्ढे हैं, इससे आवागमन बाधित है। उन गडढों को तत्काल पुरवा करके अभी अगर आपके पास बजट नहीं है तो टैम्पोरेरी उन गडढों को पुरवा करके तत्काल अगर ठीक नहीं करवाया गया तो हमारी जो अमावस्या आने वाली है, तब वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

सभापति महोदय: आप लिखकर दे दीजिए।

श्री आर.के.सिंह पटेल: मैंने लिखकर दे दिया है। माननीय मंत्री जी से मेरी बात भी हुई है। इस भादवीं अमावस्या तक अगर गड्ढे नहीं पुरवाये गये, उनकी मरम्मत नहीं की गई तो सत्र चल रहा है, मैं लोक सभा के सामने यहीं पर धरने पर बैठने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि तत्काल इस नेशनल हाईवे की मरम्मत कराई जाये।

सभापति महोदय: आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। इसके बाद आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

श्री विजय बहादुर सिंह को श्री आर.के. सिंह पटेल के साथ सम्बद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, India is fast becoming a country which records most crimes against women. According to a report of the National Crimes Records Bureau, last year there were 2,61,000 cases of crimes against women, including sexual harassment, cruelty by in-laws and husband, kidnapping and human trafficking. During the same period, there were 42,000 cases of molestation of women. Compared to previous years, during 2011, there was a rise of upto 870 per cent in rape cases. We have such cases even in the Capital of Delhi, needless to talk about the far off and remote places. The NCRB reports that rape is the fastest growing crime in India.

With all these records, India is fast becoming 'the Crime Capital' of the world. There are also surveys, which point out that India is ranked better only to Pakistan and Afghanistan, in its treatment towards women.

Under the circumstances, women have very little to celebrate. The perpetrators of the crimes also seem to believe that they can get away with these crimes.

Hence, I urge upon the Home Minister to bring forward a comprehensive strict law to deal with the problem of crimes against women.

SHRI M. RAJAMOHAN REDDY (NELLORE): Mr. Chairman, Sir, with deep sorrow I am mentioning the tragic incident of fire that broke out in a coach of Chennai bound Tamil Nadu Express near Nellore in Andhra Pradesh in the early hours of 30/07/2012, where 30 innocent persons including women and children were charred to death. Nellore, being my Parliamentary Constituency, I personally visited the site immediately after the accident. The scene was so pathetic and horrible that Railway Authorities could not identify and furnish the details of all the dead.

Hon. Railway Minister along with Minister of State and top Railway officials also visited the spot and ordered an enquiry. Though the exact cause of the fire will be known only after the Committee Report is received, there are apprehensions of the cause like overcrowding of unauthorized and unreserved passengers in the ill-fated reserved coach carrying inflammable material.

Every time any mishap occurs, an inquiry is ordered, recommendations are made and Railway raise the question of paucity of funds to update the safety measures. It is pertinent to mention here that Government has already a set of recommendations in its possession, submitted by early Inquiry Committees dealing with each and every possible aspect of said mishaps. But, the Railway could not carry out the reforms because of insufficient funds and requirement of budgetary support from the Planning Commission.

Since the matter concerns the lives of passengers' safety and protection of Railway property, I would appeal to the Government to provide liberal funds enabling Railways to carryout up-dating safety measures by modernization,

maximizing the security mechanism and gradual withdrawal of flammable material used in bogies for safety and security of passengers.

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमित दी, इसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। इस साल वर्षा में बहुत एक्सट्रीमिज्म है। कई राज्यों में बहुत भारी वर्षा हुई है, उसने तबाही मचा दी है और कई राज्यों में सूखा पड़ा है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में वर्षा बहुत कम हुयी है और गुजरात में अभी सूखे की स्थिति है। गुजरात में 15 फीसदी से लेकर 5 फीसदी तक अभी तक बारिश हुयी है। वहां के लोग, खासकर किसान और सभी लोग इस वजह से बहुत त्रस्त और परेशान हैं।

केंद्र सरकार के मंत्री जी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात का दौरा किया था और इसकी समीक्षा की थी और गुजरात को 450 करोड़ रूपए पेयजल के लिए आबंटित किया, इसके लिए मैं मंत्री जी और सरकार का अभिनंदन करता हूं। इस सूखे की परिस्थित से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 14,673 करोड़ रूपए का आकलन किया है। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने जो राशि दी है वह बहुत कम है। गुजरात सरकार ने अकाल से निपटने के लिए जो बिजली का प्रबंधन है, उसके घंटे को बढ़ा दिया है। इरीगेशन के लिए नर्मदा के पानी के स्रोत को भी बढ़ा दिया है, इसलिए मैं गुजरात सरकार का अभिनंदन करता हूं। गुजरात सरकार ने जो मांग उठायी है, केंद्र सरकार उसमें ज्यादा राशि का प्रबंधन करे और केंद्र के राज्य आपदा राहत कोष तथा प्राकृतिक आपदा कोष संबंधी केंद्रीय सहायता मानदंडों और तत्काल अकाल राहत प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है। केंद्रीय मंजूरी के अभाव में नर्मदा का पानी बेकार समुद्र में बहा जा रहा है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि सरदार सरोवर परियोजना को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। अकाल राहत में केन्द्रीय प्रावधान और स्थानीय जरूरत पर खर्च का अधिकार राज्यों को दिया जाए और एसडीआरएफ की तीस फीसदी राशि के विवेकाधीन खर्च का अधिकार भी राज्यों को मिले।

सभापति महोदय: डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी के द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ श्री अर्जून मेघवाल अपने-आप को संबंद्ध करते हैं।

**डॉ. राजन सुन्ना (कांगड़ा):** आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक मालवाहक समूद्री जहाज एमबी-2 को, 26 नवम्बर, 2011 को सोमालिया के समुद्री लूटरों ने अगवा कर लिया था। इस जहाज में कुल 23 सदस्य थे जिनमें से 7 सदस्य पाकिस्तान, 7 सदस्य श्रीलंका, 6 सदस्य बंगलादेश, 1 सदस्य इरान तथा 2 सदस्य भारत के थें। इनको छोड़ने के लिए सोमालिया के लूटरों ने पहले 8 मिलियन डालर और बाद में 2.8 मिलियन डालर की मांग रखी। पाकिस्तान ने 1.20

मिलियन डालर दे कर अपने सदस्य को छुड़ा लिया है। श्रीलंका और बांगलादेश की सरकारें भी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इन अगवकर्ताओं से बात कर रहे हैं। परन्तु इस के बारे में भारत सरकार क्या कर रही है? देश यह जानना चाहता है। इनकी एक मांग यह भी है कि भारतीय नेवी द्वारा पकड़े गए 61 सोमालियन को छोड़ो तभी भारतीयों को छोड़ेंगे।

आदरणीय सभापति जी, भारत के दो नागरिकों में से एक को 25 जून, 2011 को मार दिया गया है। अब दूसरे नागरिक के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। दूसरा नागरिक हमारे संसदीय क्षेत्र कांगड़ा जिला से, श्री अमन कुमार, सुपुत्र श्री केवल किशन, गांव कडयाल, तहसिल ज्वाली, जिला कांगड़ा है। वह मर्चेन्ट नेवी में काम कर रहा था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिए।

डॉ. राजन सुशान्त: उसने अब दो अगस्त को संदेश भेजा है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे जल्दी से जल्दी छुड़ा लें। उसने अपनी जान की भीख मांगी है।

मेरी भारत सरकार से विशेष कर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी तथा माननीय नेता विपक्ष से प्रार्थना है कि इस हिमाचली भारतीय युवक की रक्षा तुरन्त की जाए व इसे तुरंत लूटरों से छुड़ा कर भारत लाया जाए।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापित जी, मध्यप्रदेश में बलाड़ जिले में मलांजखंड में हिन्दुस्तान ताम्र परियोजना की स्थापना के समय किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण के समय उनके बच्चे नाबालिग थे। उनके बच्चे को नौकरी नहीं दी गई थी। अब उनके बच्चे बालिग हो गए हैं लेकिन हिन्दुस्तान ताम्र परियोजना के तानाशाही रवैये के कारण उनके बच्चों को नौकरी दिए जाने में आनाकानी की जा रही है। ताम्र परियोजना में सेवा के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है जिससे उन परिवारों में भूखमरी की स्थित उत्पन्न हो गई है। इसके कारण कर्मचारियों में तीव्र आक्रोश है।

माननीय सभापित जी, माननीय खान मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि मलांजखंड ताम्र परियोजना में विस्थापित परिवारों के बालिग सदस्यों को तथा प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार नौकरी दी जाए। हिन्दुस्तान ताम्र परियोजना मलांजखंड में की जा रही अनियमितताओं की केन्द्र द्वारा टीम भेज कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों के कारण तथा विभिन्न बीमारियों के चलते विकलांग्ता का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा जो

विकलांग कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें न तो उनको पर्याप्त पेंशन मिल पा रही है और न ही उनके द्वारा ब्लॉक या जिले में शिक्षा देने के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्कूलों का प्रबंध न होने के कारण वे अशिक्षा का भी शिकार होते जा रहे हैं।

प्राइवेट संस्थाएं इन विकलांगों को काफी हद तक सुविधा देना चाहती हैं। उन्हें शिक्षा देना चाहती हैं, समाज की बराबरी में लाना चाहती हैं। लेकिन जो लोग विकलांग विद्यालय खोलकर विकलांगों को आत्मिनर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, अगर उनके पास कक्ष नहीं हैं तो उसके लिए भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिए।

श्री राजाराम पाल: उनके लिए एलैम्बको जैसा संस्थान कानपुर में है। उनके लिए छड़ी, ट्राइसाइकिल या जो दूसरे अंग निर्माण किए जाते हैं, उन्हें फ्री देने की सुविधा दी जाए। हमारे जैसे सांसदों के पास आए दिन विकलांग लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ट्राइसाइकिल दिलवा दीजिए, कोई कहता है कि हमारा हाथ लगवा दीजिए, कोई कहता है हमारा पैर लगवा दीजिए।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें जो पैंशन दी जा रही है, वह नाकाफी है। सरकार ने विकलांग पैंशन देने का जो प्रावधान किया है, वह 50 प्रतिशत से ऊपर के विकलांगों के लिए है। उसमें छूट प्रदान की जाए। विकलांग विकलांग होता है। 25 से 100 प्रतिशत विकलांग को एक हजार रुपये के लगभग पैंशन दी जाए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से मांग करता हूं कि विकलांगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, पैंशन, आरक्षण में समुचित व्यवस्था की जाए तथा बैसाखी, ट्राइसाइकिल व कृत्रिम अंगों की उपलब्धता करवाई जाए।

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जेन): सभापित महोदय, मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास जैसे मालवा के शहरों में केन्द्रीय सरकार के लगभग बीस हजार से अधिक सेवानिवृत कर्मचारी निवास करते हैं। उज्जैन धार्मिक स्थली होने के साथ-साथ इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरा महानगर है। यहां के सेवानिवृत कर्मचारियों को इलाज हेतु भोपाल जाना पड़ता है। उन्हें दो सौ किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है जिससे काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति ने इंदौर के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। माननीय उच्च

न्यायालय ने दिनांक 17.09.2008 के निर्णय में स्वास्थ्य मंत्रालय को डायरैक्शन दी थी कि सीजीएचएस की सुविधाएं इंदौर या उज्जैन में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएं।

इंदौर, उज्जैन, देवास के आसपास सीजीएचएस डिसपैंसरी नहीं है। इस पीड़ा को देखते हुए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर मांग की गई है।...(व्यवधान) सीजीएचएस डिसपैंसरी खोलने का अनुरोध किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इंदौर या उज्जैन में सीजीएचएस डिसपैंसरी खोली जाए। इससे हजारों की संख्या में लोगों को फायदा होगा।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापित महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के ओरछा, निवाड़ी और हरपालपुर स्टेशन टीकमगढ़ और छतरपुर जिले के नागरिकों को रेल पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हैं क्योंकि बुंदेलखंड में रेल सुविधाओं की दृष्टि से ये जिले आज भी बहुत पीछे हैं। छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिलों में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। इन जिलों को रेल सेवाओं से जोड़ने के लिए लिलतपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन काफी लम्बे समय से प्रतीक्षारत है। लिलतपुर से टीकमगढ़ तक रेल लाइन बिछा दी गई है। किन्तु बजट में घोषित होने के बाद भी लिलतपुर-टीकमगढ़ ट्रेन को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। अत: लिलतपुर-टीकमगढ़ ट्रेन को चलाए जाने के साथ ही ओरछा, निवाड़ी एवं हरपालपुर स्टेशन पर तुलसी एक्सप्रैस, बुंदेलखंड एक्सप्रैस एवं उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रान्ति सिहत उदयपुर खजुराहो ट्रेन का भी स्टापेज किया जाना चाहिए तािक खजुराहो और ओरछा जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के पर्यटक उदयपुर पर्यटन केन्द्र से भी सीधे जुड़ सकें और टीकमगढ़, छतरपुर के नागरिक निवाड़ी एवं हरपालपुर से ट्रेन पकड़कर इन पर्यटन केन्द्रों पर आसानी से पहुंच सकें।

माननीय सभापित जी, आपने इस विभाग को संभाला है। अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर जिले के नागरिकों को रेल सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से ओरछा, निवाड़ी एवं हरपालपुर स्टेशन पर तुलसी एक्सप्रैस, उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांन्ति एवं उदयपुर, खजुराहो सिहत बुंदेलखंड एक्सप्रैस का स्टापेज दिलाए जाने का सहयोग करें।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, 15 अगस्त, 2012 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसान काला बैज पहनकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। वे इस कारण अपना विरोध प्रकट करेंगे, क्योंकि जब वर्ष 2004 में सुनामी आयी थी तब आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम नया अंडमान बनायेंगे। हजारों-करोड़ रुपये दिये गये, लेकिन किसानों को कुछ भी नहीं मिला। उसके पश्चात् चिदम्बरम जी अंडमान दौरे पर गये, तो उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि किसानों की जमीन न लेकर

उनको मुआवजा दिया जाये। उसके पश्चात् भूख-हड़ताल हुई, जेल गये, लेकिन सरकार सोई की सोई रह गयी। किसान लोग मंत्री जी से मुलाकात करके गये थे, लेकिन चिदम्बरम जी ने बात को पलट दिया। आज किसानों की जमीनें कोड़ियों के दामों पर ली जा रही हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिये।

श्री विष्णु पद राय: हमारी दो मांगें हैं। एक मांग यह है कि स्वामीनाथन ग्रुप ने जो स्लूइस गेट बनाने के लिए कहा था और उसके साथ उनको उचित मुआवजा दिया जाये। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 15 अगस्त के दिन शास्त्री जी का स्लोगन जय जवान, जय किसान न निकल कर सरकार के खिलाफ निकलेगा कि हमें पैसा दो, स्लूइस गेट दो, जमीन का मुआवजा दो।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापित महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अन्तर्गत पश्चिम मध्य रेलवे का एक ट्रैक ग्वालियर-इंदौर वाया गुना, ब्यावरा मक्सी होकर मौजूद है। इस रेलवे ट्रैक पर पचोर रोड एक स्टेशन आता है, जहां से शुजालपुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इस रूट पर कोई रेलवे लाइन नहीं है। शुजालपुर इंदौर, उज्जैन से भोपाल रेलवे ट्रैक को जुड़ा हुआ है।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि पचोर रोड से शुजालपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को स्वीकृति मिल पाती है, तो केवल संसदीय क्षेत्र राजगढ़ ही नहीं, समीपस्थ राजस्थान राज्य के भी कई कस्बों व शहरों को भोपाल जाने के लिए सीधी रेल सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

कृपया इस नये रेल मार्ग को शीघ्र सर्वे करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें, जिससे आम जनता के समय और धन की बचत हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापित जी, आपने मुझे शून्य काल में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में विगत कुछ माह से मीडिया कर्मियों, पत्रकारों, रिपोर्टरों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं। 2 अगस्त, 2011 को मैंने एक अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के माध्यम से पूछा था कि ऐसी कितने घटनाएं हुई हैं, उसकी जानकारी दी जाये, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुझे जवाब दिया कि घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है, यह उन्होंने माना, लेकिन कितनी हुई है, उसकी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। साल भर बीत गया, मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां भी एक घटना घटी। जोधपुर में भी एक कांड हुआ। वहां भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई। अभी अन्ना टीम की भी पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की हुई। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं अपनी मांग ही रख रहा हूं। अभी 3 अगस्त, 2012 को राजस्थान के अलवर में अरावली बचाओ अभियान, एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान जन आंदोलन के रूप में ...(व्यवधान) वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी था, वहां पर ई टीवी के रिपोर्टरों पर हमला हुआ। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा प्रबंध पूरे होने चाहिए। आप किसी विदेशी देश से भी अध्ययन करवा सकते हैं, जैसे अमेरिका में पत्रकारों के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बना हुआ है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: बीमा भी सरकार करवाती है और बीमा के लिए कुछ अंश भी पत्रकारों की सैलरी से कटता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा अमेरिका और यूके में दी गयी है, वैसी सुरक्षा भारत में भी पत्रकारों को दी जाये, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके और चौथा स्तम्भ सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रह कर सच बोल सके, यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on Monday, the 13<sup>th</sup> August, 2012 at 11 a.m.

## 18.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 13, 2012 / Sravana 22, 1934 (Saka).